खण्ड-356, अंक-7
बुधवार, 26 फाल्गुन, शक संवत् 1903
(17 मार्च, 1982 ई0)

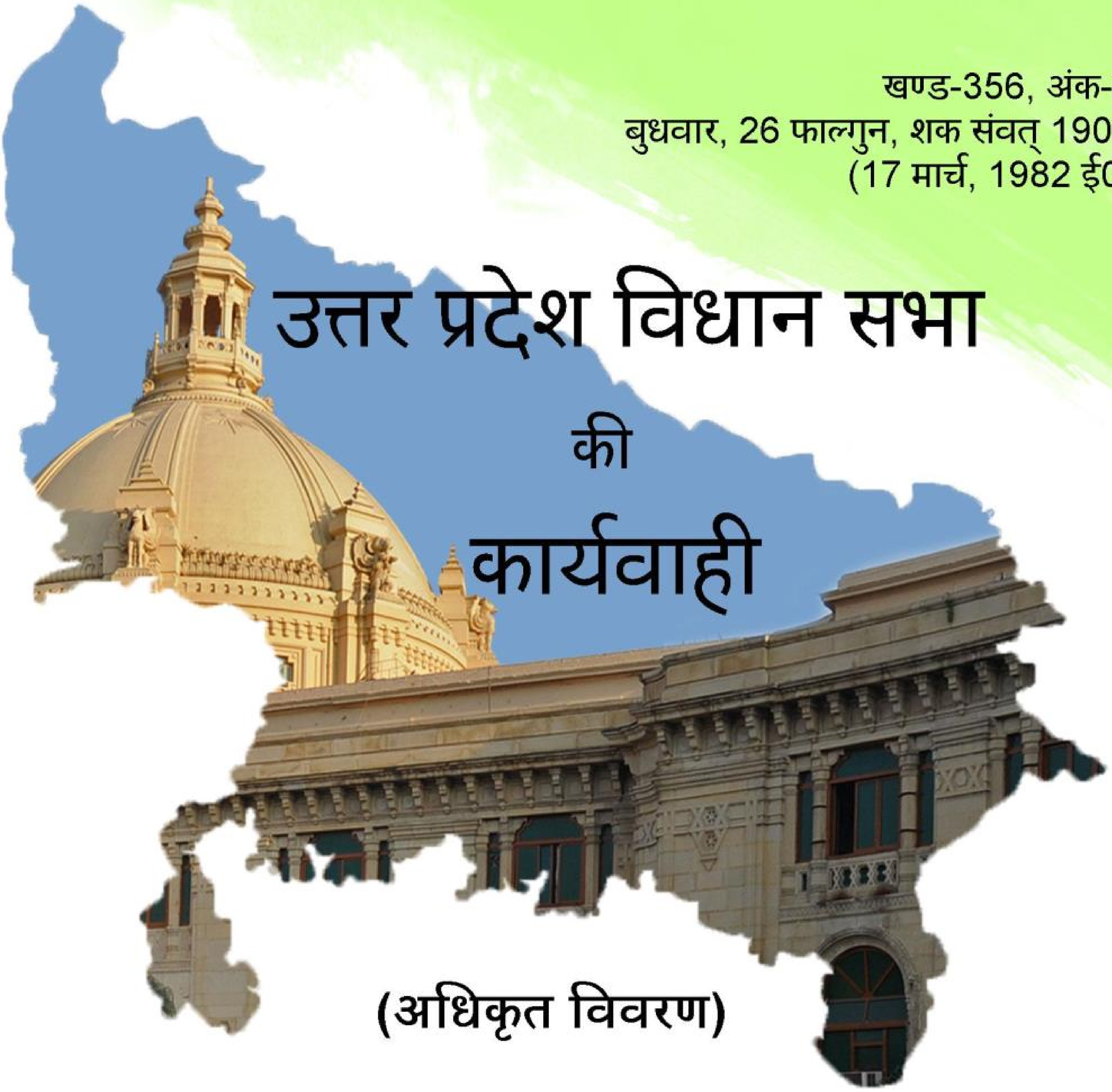

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 356 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	871–875
प्रश्नोत्तर	..	877–926
दारूलशफा 'ए' ब्लाक के पहले गेट पर एक लाश पड़ी होने की सूचना	..	926
जमुना नदी में अचानक भारी मात्रा में पानी बढ़ जाने के कारण जनपद मथुरा और आगरा के किसानों की जायद की फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	926–927
मुरादाबाद के चिकित्सालयों में कुत्ते से काटे हुए मरीजों से 10 रुपये लेकर इंजेक्शन लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	927
बड़ौत मेरठ में श्रीमती ऊषा जैन को दहेज की लालच में ससुराल वालों द्वारा मार दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	927–928
उत्तर प्रदेश हरियाणा के सीमा विवाद को लेकर तनावपूर्ण स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 से अन्तर्गत सूचना	..	928–929
हरदोई जिला जेल में कुख्यात अपराधी श्री राम नारायण द्वारा एक बन्दी रक्षक को गोली मार देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	929–930
आज प्रश्नोत्तर काल में सिंचाई मन्त्री श्री वीर बहादुर सिंह द्वारा श्रीमती गौरी देवी द्वारा लिखे गये पत्रों को दिखाने के सम्बन्ध व्यवस्था का प्रश्न	..	930–931
मुख्य मन्त्री तथा भूतपूर्व संसदीय कार्य मन्त्री श्री अम्मार रिजवी के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न व औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	..	931–934
आगरा जिले के चन्द्रावल गांव में डाकू अनार सिंह के गिरोह द्वारा पांच पुलिस कर्मियों की हत्या तथा दीवानी कचहरी, देवरिया के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	934–939
गोण्डा में पुलिस तथा डकैतों की मुठभेड़ के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन	..	939

विषय		पृष्ठ-संख्या
1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग	..	939-1000
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	1000
प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंधी उपलवृष्टि एवं वर्षा से क्षति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..	1000-1013

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 17 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 353

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमर नाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतपुर)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वरशरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबारी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
किरनपाल सिंह, श्री (दुलन्दशहर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, (बदायूं)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव, (एडोकेट) (एटा)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरीगढ़वाल)
खैरूल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गय, सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्द्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)

गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैंध्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ीगढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटा शंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जतवन्तसिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल, साकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुलतानपुर)
झंगड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेजबहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, , श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नरायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्म वीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पारबती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान श्रीमती, (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभु नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलबीर सिंह, श्री (रामपुर)

बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री (एटा)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
मण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)

राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवबालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)

सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरिहर प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 17 मार्च, 1982

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

फैजाबाद बस स्टेशन पर कैन्टीन का ठेका

*1--श्री अकबर हुसैन तथा श्री रियासत हुसैन--

क्या परिवहन मन्त्री को यह विदित है कि फैजाबाद बस स्टेशन पर कैन्टीन का ठेका 1,800 रुपये प्रतिमाह पर देने के लिए मुख्यालय से आदेश भेजे गए थे परन्तु उन आदेशों का पालन अब तक नहीं हुआ जिससे विभाग को दिसम्बर, 1980 से अब तक 1,800 रुपये प्रतिमाह का नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो आदेश पालन न करने का क्या कारण है ? आदेशों की अवहेलना किए जाने पर क्या कार्यवाही की गयी ?

परिवहन मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

जी नहीं । फैजाबाद कैन्टीन का ठेका रु0 1,800 प्रतिमाह पर देने विषयक कोई आदेश मुख्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया । अतः उसका अनुपालन न किये जाने अथवा उसकी अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अकबर हुसैन--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित उनसे यह आश्वासन चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में डिनाई किया है कि ऐसा कोई आदेश नहीं गया, मेरे पास उस आदेश की कापी है, 14 महीने से 1,800 रुपये महीने के हिसाब से नुकसान हो रहा है और इस तरह से 25 हजार रुपए का नुकसान हो गया है तो क्या मंत्री जी आपके आदेशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्रीमन्, किसी के आफर देने से कुछ नहीं होता है । उसकी ओपन नीलामी होती है और जिसकी बोली ज्यादा होती है उसी को वह ठेका दिया जाता है । उसने कहा था कि 18 सौ रुपये में हम करना चाहते हैं । उसको स्वीकार नहीं किया गया ।

श्री अकबर हुसैन--

मान्यवर, मुख्यालय के आदेश हुये थे और 14 महीने से वह कैन्टीन बन्द पड़ी है तो अब तक किसी को ठेका न देने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, आदेश नहीं हुए थे । प्रबन्धक ने लिखा था कि कार्यवाही हो रही है । नियमानुसार जो कुछ हो सकता था, वह किया गया ।

श्री बद्रीनाथ एवं केदार नाथ मन्दिर समिति में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी नियम

* 2--श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री बद्रीनाथ एवं केदार नाथ मन्दिर समिति के अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत वहां कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये सेवा सम्बन्धी नियम नहीं बनाये गये हैं ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत समिति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा निवृत्त किया जाता है ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

मिनिस्ट्रीरियल व निम्न श्रेणी के मंदिर समिति के कर्मचारियों के लिये सेवा सम्बन्धी नियम मंदिर समिति के अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत बनाए गये हैं । अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति करने का प्राविधान सामान्य रूप से सेवा नियमावली के अन्तर्गत नहीं किया जाता है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि श्री बद्री नाथ तथा केदार नाथ मंदिर समिति के अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत वहां कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये सेवा सम्बन्धी नियम नहीं बनाये गये हैं और यदि बनाए गए हैं तो किन नियमों के अन्तर्गत समिति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा-निवृत्त किया जाता है ? मंत्री जी ने वहां के कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया है और उन्होंने सिर्फ मिनिस्टीरियल व निम्न श्रेणी के लोगों के लिये सेवा-सम्बन्धी नियम बनाये गये हैं । उन्होंने आगे कहा कि उस नियमावली में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा निवृत्त करने का कोई प्राविधान नहीं है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति का प्राविधान आपने किस नियम के अन्तर्गत किया है ? कितनी उम्र में वहां के अधिकारी और कर्मचारी लोग रिटायर होते हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि आपने जो सेवा नियमावली बनायी है उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

श्रीमन्, मंदिर समिति के अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत जो रूल्स बनाये गये हैं वे मिनिस्टीरियल और इन्फीरियर सर्विसेज के लोगों के लिए बनाए गये हैं, अधिकारियों के लिये नहीं बनाये गये हैं । दूसरी बात यह है कि सेवा निवृत्ति जो है उसके लिये कोई नियमावली नहीं बनायी गई है । मंदिर समिति अपने प्रस्ताव के द्वारा अपने अधीनस्थ लोगों को सेवा-निवृत्त करती है । श्रीमन्, कल ही उस समिति ने इस बात पर विचार किया कि कब और किस तरह से उसके कर्मचारियों और अधिकारियों को रिटायर किया जाय लेकिन उसकी जानकारी अभी शासन को नहीं है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि नियम 26 के अन्तर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनायी गयी है तो उसके अन्तर्गत सेवा निवृत्ति के नियम क्यों नहीं बनाये गये हैं, यह आप बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

श्रीमन्, यह ऐक्ट, 1939 का है और जैसा मैंने कहा सामान्य रूप से नियमावली में रिटायरमेंट की एज नहीं दी जाती है लेकिन इस बात को कांगनिजेंस ले ली गयी है और मंदिर समिति इस पर एक्टिवली विचार कर रही है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस नियमावली के बारे में वह कहते हैं कि नियमावली बनी हुई है उसको सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी भी है कि कोई सेवा-नियमावली अभी तक नहीं बनी है । वह इसलिए भी नहीं बन रही है कि उसके अध्यक्ष माननीय राज्यपाल महोदय हैं और वे मीटिंग ही नहीं बुला रहे हैं, इसलिए भी वह नहीं बन रही है, इसका उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

श्रीमन्, नियमावली बनी हुई है मेरे पास उपलब्ध भी है और अगर आपका आदेश होगा यहां रख देंगे ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मैं जानना चाहता हूं कि यह सेवा-नियमावली कब बनी, इसके बनने की तिथि क्या है और अगर 6 महीने से अधिक हो गया है तो सदन के पटल पर क्यों नहीं रखी गयी है, वह क्या विशेष कारण रहे हैं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

श्रीमन्, लगभग 1940 में नियमावली बनायी गयी थी ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, 1940 में यह नियमावली बनायी गयी और मैं भूलता नहीं हूं, तो यह 1982 है । तो इन 42 वर्षों में इस सदन के पटल पर उसे न रखने का विशेष कारण क्या था ?

(मंत्री जी को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया ।)

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, जो सूचना अभी दी गयी है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह सूचना बिल्कुल गलत दी गयी है, 1952 में बद्रीनाथ टैम्पल कमेटी का पहली बार ऐक्ट बना है और आपने अभी कहा है कि नियमावली के अनुसार नियुक्त करते हैं, लेकिन वह नियमावली रिटायर करने के लिए नहीं है । तो जो वहां पर कार्याधिकारी कार्य कर रहे हैं इनको और कितने वर्ष तक चलायेंगे जैसे गढ़वाल विश्वविद्यालय के वी0 सी0 को 74 वर्ष की उम्र में ला रहे हैं । तो क्या उसको जीवनपर्यन्त लाने की कोई योजना बन रही है जिससे वह नहीं बता रहे हैं । कितने वर्षों बाद उनको रिटायर कर रहे हैं ? चूंकि माननीय राज्यपाल इस कमेटी के अध्यक्ष हैं इसलिए मीटिंग नहीं हो रही है ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने बताया कि इसको संज्ञान में ले लिया गया है इस पर विचार कर रहे हैं। (व्यवधान) बताया कि अभी कल मीटिंग हुई थी।

[बुधवार, 17 मार्च, 1982 ई0 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

परिवहन बसों के समाजीकरण के सुझाव पर कृत कार्यवाही

* 1.--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सन् 1980 के माह अक्तूबर, नवम्बर व दिसम्बर में कितने विधायकों के इस आशय के पत्र प्राप्त हुए कि परिवहन बस सेवा का समाजीकरण कर दिया जाय ताकि 15 दिसम्बर, 1980 को प्रचलित किराये की दरों पर ही सफलतापूर्वक मुनाफे के साथ बस चलाई जा सके ? यदि हां, तो सरकार ने इस सुझाव के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, माननीय विधायक श्री राम स्वरूप, वर्मा के पत्र दिनांक 29-11-80 तथा 22-12-80 माननीय मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुए थे जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ परिवहन बस सेवा के समाजीकरण का सुझाव दिया था।

पत्र दिनांक 22-12-80 के उत्तर में मेरे अ0 शा0 प0 सं0 133 (2) (बी0 आई0 पी0)/30-1-81 दिनांक 19-2-81 के द्वारा माननीय विधायक जी से इस सम्बन्ध में स्वतः स्पष्ट सुझाव देने का अनुरोध किया गया था परन्तु उनसे कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी को याद है कि उनके पास हमने एक सुझाव भिजवाया था 5 जनवरी, 1982 को और हमारे यहां उसकी प्राप्ति की स्वीकृति है जिसको आपने सदन में इन्कार कर दिया, इसी पर हमने विशेषाधिकार का प्रश्न रखा है जिसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप जानबूझ कर उसे एवाइड कर रहे हैं क्या यह सही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय वर्मा जी के जो सुझाव आने चाहिए थे, वह उस तरह से नहीं आए। इन्होंने केवल इतना ही कहा कि कंडक्टर, ड्राइवर्स और मैकेनिक जो काम करते हैं, इन लोगों को मिलाकर इसकी व्यवस्था की जाए, तो मान्यवर, यह कोई स्पष्ट बात नहीं हुई। इसमें और भी बहुत से इम्पलाइज हैं, तो यह क्या-क्या चाहते हैं, इसकी पूरी परिभाषा किस तरह की होगी, किनको रखना चाहते हैं आदि सारी बातों सहित यह सुझाव देंगे, तो विचार किया जाएगा।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, 5 जनवरी, 1982 को मैंने आपके यहां भी विशेषाधिकार का एक प्रश्न उठा रखा है कि मन्त्री जी ने हमारे पत्र के बारे में अपने उत्तर में कहा था कि वह पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ। हमने पूरा समाजीकरण के लिए

इनके पास लिखकर भेजा है, तो वह उसे इतने दिन तक क्यों नहीं खोज सके, जबकि विशेषाधिकार का एक प्रश्न भी लम्बित है, तो क्या मन्त्री जी जानबूझ कर सवाल की वजह से इसे एवाइड कर रहे हैं, क्या यह सही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

आप केवल एक सुझाव दे रहे थे, सुझाव आते हैं, उस पर विचार होता है । मेरी समझ में नहीं आता है कि उसको एवाइड करने का क्या प्रश्न है । स्पष्ट करके यह सारी चीजें भेज देंगे तो देख लिया जाएगा ।

श्री मोहन सिंह--

जो वर्मा जी ने सुझाव दिया है उसमें इस बात का भी क्या सुझाव है कि इनका समाजीकरण हो सके, जिससे इनका भी सामाजिक उपभोग हो सके ? (हंसी)

श्री हुकम सिंह--

अच्छा प्रश्न है, लेकिन हमें तो शंका है कि इनका समाजीकरण होने के बाद समाज को सुविधा मिल सकेगी । एक स्पष्ट सुझाव वर्मा जी का आया था, लेकिन उसमें आपने चाहा कि और उसे स्पष्ट किया जाए, तो क्या इस बात का वह आश्वासन देंगे कि समाजीकरण की परिभाषा करके यदि वर्मा जी आपको दे दें, तो वह उसके अनुसार समाजीकरण करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह जरूरी नहीं है कि सुझाव मान ही लिया जाए । जो मानने वाला सुझाव है वह माना जाएगा वरना नहीं ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मन्त्री जी के लिए यह नया शब्द है, चौंकाने वाला है, तो जब वर्मा जी ने मन्त्री जी को सुझाव दिया तो मन्त्री जी समाजीकरण का क्या अर्थ समझें ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह तो मैं वर्मा जी से खुद पूछ रहा हूं । आप स्पष्ट भेज दें, तब विचार किया जाएगा ।

श्री राज कुमार राय--

प्रश्न यह है कि वर्मा जी द्वारा पूछा गया यह समाजीकरण शब्द कहीं डिफाइन्ड नहीं है, तो क्या इसके बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न इसीलिए किये जाते हैं कि उनका स्पष्टीकरण हो जाए चाहे उनकी परिभाषा की गयी हो या करने को हो ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

जो पत्र मन्त्री जी को 5 जनवरी, 1982 को भिजवाया गया है, उसको क्या वह अपने दफ्तर में ढुंढ़वाकर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैं फिर उसकी खोज करवाऊंगा ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं मन्त्री जी और सत्तारुढ़ दल के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में यह ढिंढोरा पीटा था कि हम समाजवादी समाज की रचना करेंगे तो मन्त्री जी ने जो परिवहन विभाग के समाजीकरण की बात कही है क्या वह उससे अलग है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

*2--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[10वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

जी0 सी0 शीट्स के भौतिक सत्यापन कराने पर कमी तथा जांच

*3--श्री जटाशंकर सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 1ले बुधवार के लिए निर्धारित ता0 प्र0 सं0 19 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि 30.1 टन शीटों की कमी का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी0 सी0 शीट्स के भौतिक सत्यापन कराने पर कोई कमी नहीं पाई गयी । इसका विवरण इस प्रकार है--

1--कुल प्राप्त जी0 सी0 शीट्स	1430.420	एम0 टी0
2--स्थानान्तरण जी0 सी0 शीट्स	873.491	,,
अवशेष जी0 सी0 शीट्स	556.929	,,

पिछले प्रश्न संख्या 19 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में भूल से 556.9 एम0 टी0 के स्थान पर 526.9 एम0 टी0 बता दिया गया था जो केवल लिपिकीय त्रुटि के कारण हुआ ।

वस्तुत: कोई कमी नहीं पाई गयी है ।

*4--श्री राम कृष्ण माहेश्वरी तथा श्री सूबेदार सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटाया गया ।]

*5--श्री बलवीर सिंह--

[29वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उन्नाव जिले में अतिवृष्टि तथा सैलाब से समस्त जिले की फसल को क्षति तथा सिंचाई महसूल माफी की मांग

*6--श्री भीखा लाल (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले से सम्बन्धित सिंचाई विभाग के सभी अधिशासी अभियन्ताओं ने पिछले वर्ष संयुक्त रूप से शासन को रिपोर्ट भेजकर संस्तुति की थी कि 1388 फ0 खरीफ में अतिवृष्टि तथा

सैलाब से समस्त जिले को फसल को पचहत्तर प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है इसलिए सिंचाई महसूल माफ किया जाय और शासन द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा में वसूली रोक दी गयी थी ? यदि हां, तो शासन ने इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । जिलाधिकारी, उन्नाव ने दिनांक 9 मार्च, 1981 को एक बैठक बुलाई थी जिसके कार्यवृत की प्रति शासन को भी भेजी गई थी । इसमें इस प्रकार की संस्तुति की गई थी । शासन ने जिलाधिकारी की संस्तुति स्वीकार नहीं की ।

माननीय विधायकों को उनकी विशिष्ट सेवाओं को ध्यान में रखते हुये पेंशन तथा अन्य सुविधाओं की मांग

*7--डा0 शिवानन्द नौटियाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1967 व 1974 की विधान सभा के विधायकों को, जो केवल इन दो कार्यकाल में रहे, उनकी विशिष्ट सेवाओं को ध्यान में रखते हुए पेंशन तथा अन्य सुविधायें प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)--

वर्ष 1967 तथा 1974 के ऐसे विधायकों, जिनकी सदस्यता का कार्यकाल 5 वर्ष से कम होता है, को पेंशन दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं था किन्तु हाल में ही विधान मंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी सिफारिश की गयी है कि ऐसे भूतपूर्व सदस्यों को, जिनका कार्यकाल एक या एक से अधिक विधान सभा के विघटन के कारण 5 साल का नहीं होता उन्हें भी कम से कम दो सौ रुपया पेंशन दी जाय । उक्त प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर शासन ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रतिवेदन के बारे में उन्होंने अपने उत्तर में कहा है, क्या उसकी अन्य संस्तुतियों को मान लिया गया है ? यदि हां, तो इस संस्तुति को मान लेने में उन्हें क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि विचार कर रहे हैं, अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है । आपका प्रश्न इसके बारे में ही है ।

देवरिया जिले के उत्तरांचल में फसल की क्षति

*8--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10 जनवरी, को देवरिया जिले के उत्तरांचल में गण्डक नहर विभाग के अधिकारियों की असावधानी

से 10 हजार एकड़ गेहूं की बोई फसल जलमग्न हो गई ? यदि हां, तो इन किसानों को जिनकी फसल जलमग्न हो गई, किसी प्रकार का मुआवजा देने की घोषणा की गई है ? यदि, नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

देवरिया जिले के उतरांचल में दिनांक 10 जनवरी, 1982 को नहर टूटने के कारण कोई फसल जलमग्न नहीं हुई, अतः कृषकों को किसी प्रकार का मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि नहर काटी गयी तो क्या उससे जो किसानों की फसल का नुकसान हुआ है उसकी जांच किस अधिकारी ने की और उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

एक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा उसकी जांच करायी गई थी और उन्होंने बताया कि नहर अपने से नहीं टूटी थी बल्कि काटी गई थी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या यह सही है कि वह नहर उसी स्थान पर कटती रहती है, क्या मन्त्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि ऐसा क्यों है और क्या उसकी जांच किसी बड़े अधिकारी द्वारा कराने की कृपा करेंगे और प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसकी जांच बड़े अधिकारी, सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर, से भी करा लूंगा ।

श्री हुकम सिंह--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि नहर टूटी नहीं काटी गई । अगर वह काटी गयी तो 2-4-5 आदमियों ने मिलकर उसे काटा होगा जिसका उत्तर-दायित्व उन्हीं पर है । तो उस नहर के टूटने से या कटने से जो किसानों का नुकसान हुआ है, क्या मन्त्री जी उन किसानों को, जिनकी फसल नष्ट हुयी है, मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यदि ऐसा नियम बना दिया जायेगा तो लोग नहर को काट दिया करेंगे और सरकार मुआवजा देती रहेगी । काटने पर मुआवजा नहीं दिया जा सकता है ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, यह नहर काटी नहीं गई, इसमें इतना ज्यादा पानी आ गया कि जिससे रामपुर, चन्द्रभान, कर्महा और हिरन्दापुर गांवों में पानी से फसल बरबाद हो गई । तो क्या वहां के इंजीनियरों ने उसमें इतना पानी दे दिया था जिसके कारण नहर टूट गयी थी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो दूसरी नहर की बात आप कर रहे हैं ?

श्री नन्द किशोर सिंह—

नहीं, श्रीमन्, यह वही नहर है ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैंने स्वयं कहा है कि इसकी भी जांच करा लूंगा ।

*9—श्री भगवती सिंह विशारद—

[10वें बुधवार के लिए स्थगित]

*10—श्री हरि किशन श्रीवास्तव—

[10वें बुधवार के लिए स्थगित]

प्रदेश में खेती लायक भूमि तथा असिंचित क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान कराने के उपाय

*11—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौजूदा समय में प्रदेश में कितनी ऐसी भूमि है, जो खेती लायक है और उसमें से कितनी ऐसी भूमि है जो सिंचित है और क्या बकिया असिंचित भूमि को अधिक उत्पादन की दृष्टि से सिंचित करने हेतु शासन द्वारा कोई समयबद्ध योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कृषि विभाग द्वारा वर्ष 1980-81 में नवीनतम प्रकाशित "उत्तर प्रदेश के कृषि आंकड़े" के अनुसार प्रदेश में खेती लायक भूमि 203.58 लाख हे0 है । इसमें से वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल 88.92 लाख हे0 है ।

पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सिंचित क्षेत्र में शीघ्रातिशीघ्र वृद्धि करने के प्रयास शासन द्वारा किये जा रहे हैं । तथापि प्रदेश के असिंचित क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के उपाय तथा तद्नुसार सिंचाई कार्यों का निर्माण एक वृहत्त एवं दीर्घकालीन कार्य है जिसका व्यापक विवरण उपलब्ध कराने हेतु दीर्घ सर्वेक्षण की आवश्यकता है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि 88.92 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था अब तक हो चुकी है, मैं जानना चाहता हूं कि आजादी के बाद से अब तक क्या प्रगति हुई और आजादी के समय कितने लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आजादी के पहले लगभग 25 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था थी और अब करीब 90 हो गयी है, अब माननीय सदस्य हिसाब लगा लें कि कितनी भूमि में अधिक हुई है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितनी भूमि सिंचित होने से रह गई है उस सब को सिंचित करने में और कितना समय लग जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह हमारे रिसोर्सेज और साधनों पर निर्भर करता है, जितने हमारे पास साधन होंगे उसी के अनुसार सिंचित क्षमता बढ़ेगी । इस चीज को हमने छठी पंचवर्षीय योजना में प्रायरिटी पर रखा है और इस पर ज्यादा महत्व दिया जा रहा है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैंने कल भी कहा था और आज भी मेरा विचार है कि इस ओर सरकारी प्रयास अपर्याप्त हैं, तो क्या माननीय मन्त्री जी इसके लिये कोई ऐसा सर्वेक्षण करायेंगे कि कितने क्षेत्रों में नलकूपों से सिंचाई हो सकती है और कितने क्षेत्र में नहरों आदि से ? और उसका सर्वेक्षण कराकर कोई उसके अनुसार ही योजना सरकार बनायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह सवाल प्रथम बार नहीं, कई बार माननीय वर्मा जी उठा चुके हैं और उसका जवाब दिया जा चुका है । जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है उसे आप चलने दें, इसमें कोई व्यवधान डालने से काम नहीं चलेगा । जिस कार्यक्रम के अनुसार हम चल रहे हैं, वह ठीक है ।

(व्यवधान)

श्री मेंहदी असगर--

जो पिछड़े क्षेत्र हैं, क्या माननीय मंत्री जी वहां के लिये प्रायरिटी बेसिस पर पानी की व्यवस्था करायेंगें ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जो पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां तो ज्यादा सुविधा दी ही जायेगी ।

श्री सूबेदार सिंह--

जहां पर सिंचाई की सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं और जहां अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे आगरा मंडल है, बुन्देलखंड है, वहां अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहां की आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री जी सिंचाई की विशेष व्यवस्था ऐसे क्षेत्र में करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसके लिये मान्यवर, जहां जहां जितना सम्भव है प्रयास किया जा रहा है । आगरा और मथुरा के बारे में कल भी मैंने बताया था, वहां हम विशेष प्रयास कर रहे हैं और पिछड़े क्षेत्रों के लिये भी हम अधिक सुविधायें दे रहे हैं ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, यह ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें माननीय मंत्री जी ने आंकड़ों के सहित यह सिद्ध करने की बात की है कि प्रदेश की सारी भूमि की उपयोगिता के आधार पर, लैंड यूज सर्वे के आधार पर उन्होंने आंकड़े तो दिये हैं,

मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी पर सारी कृषि अवलम्बित है। तो मैं यह आपके माध्यम से मान्यवर, जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने लैंड यूज सर्वे किसके माध्यम से करवाया और यह जो आंकड़े इन्होंने दिया है, इसका स्रोत क्या है, जिससे कि हमको मालूम हो जाय कि प्रदेश में किस प्रकार की खेती कहां हो सकती है, कहां पर इसकी सिंचन व्यवस्था हो सकती है और मान्यवर, यह भी माननीय मंत्री जी बता दें कि क्या सारे प्रदेश का लैंड यूज सर्वे हो गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसमें हमने कहा है कि कृषि विभाग द्वारा वर्ष 1980-81 में नवीनतम प्रकाशित "उत्तर प्रदेश के कृषि आंकड़े" के अनुसार जो कृषि लायक भूमि है, जो कृषि विभाग आंकड़ा तैयार करता है, उसके अनुसार मैंने बताया।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर म आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह आंकड़े जो 90.70 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होने का माननीय मंत्री जी ने दिया है, इसमें गैर सरकारी और सरकारी स्रोत सिंचित भूमि का शामिल है, और इनका नहर और ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई का अलग-अलग क्या-क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह अभी जो कहा है, यह सरकारी स्रोत है। इसमें जो 90.70 लाख हेक्टेयर हमने कहा है, यह बिलकुल सरकारी है और जो प्राइवेट है, उसका अलग से है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, बुन्देलखण्ड क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, जहां की आधी भूमि खेती योग्य है और जो आधी भूमि शेष बचती है, वहां पर कोई भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहां पर आपके ट्यूबवेल भी नहीं लग सके हैं और न आपकी नहरें वहां पर खोदी जा सकती हैं। क्या आपने बुन्देलखण्ड में वहां के खेतों की सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था कराई है, ताकि जो वहां पर जो आधे क्षेत्र में सिंचाई न होने के कारण खेती नहीं हो पाती है, वह वहां पर खेती हो सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, बुन्देलखण्ड का मैंने सर्वेक्षण कराया है और वहां पर यह देखा गया है कि कितनी सिंचाई नदियों से हो सकती है। हम राजघाट बांध बना रहे हैं, दूसरे हम बंधिया भी बना रहे हैं और जहां पर नलकूप लग सकते हैं, उसके लिए हम नलकूप लगाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि बुन्देलखण्ड को जितनी ज्यादा से ज्यादा हम सिंचाई की सुविधा दे सकें, वह हम दें।

आजमगढ़ जिले में जिला हरिजन छात्रावास का भवन निर्माण

*12—श्री लालसा—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में जिला हरिजन छात्रावास का भवन निर्माण कब से और कितने वर्षों से शासन द्वारा स्वीकृत है ? क्या यह सही है भूमि उपलब्ध होने के बावजूद भी अभी तक भवन निर्माण नहीं कराया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी उक्त जिला हरिजन छात्रावास आजमगढ़ का भवन निर्माण अविलम्ब कराने की कृपा करेंगे ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

मंडलायुक्त गोरखपुर के पत्र संख्या–2380–81/21–56/80–81, दिनांक 28–12–80 द्वारा उपलब्ध करायी गयी नजूल भूमि की सूचना के आधार पर वर्ष 1980–81 में आजमगढ़ जनपद में हरिजन छात्रावास भवन का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया ।

जी हां, प्रश्नगत भूमि पर विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण भवन निर्माण नही कराया जा सका ।

निर्माण कार्य प्रगति में है और आशा है कि माह दिसम्बर, 1982 तक यह छात्रावास भवन पूर्ण हो जायेगा ।

श्री लालसा—

मैं आपके माध्यम से मान्यवर, माननीय मंत्री जी से यह स्पष्ट जानकारी चाहता हूं कि जिला हरिजन छात्रावास के भवन निर्माण की प्रगति क्या है ? मौके पर इसका कितना निर्माण कराया गया है ? दूसरी बात में यह जानना चाहता हूं कि जो विवाद के बारे में मंत्री जी ने बताया है, वह किस प्रकार का विवाद है और किसके द्वारा विवाद खड़ा कराया गया है ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, छात्रावास भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होने के फलस्वरूप दिनांक 4–10–81 को माननीय सूचना राज्य मंत्री श्री काशी नाथ मिश्र द्वारा इस छात्रावास का शिलान्यास हो चुका है तथा हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ जिसके द्वारा निर्माण कार्य कराया जाना था, की निर्माण इकाई ने अपना एक अस्थाई स्टोर भी स्थापित किया, किन्तु इस बीच जिला जज ने प्रस्तावित भूमि को अपना बताते हुए वहाँ पर भूमि का विवाद उत्पन्न करा दिया था, जिसकी वजह से इसके निर्माण में देर हुई है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, शिलान्यास तो राज्य मंत्री ने कर दिया । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह विवाद पहले शुरू हुआ या शिलान्यास के बाद ? अगर विवाद के होने के बाद शिलान्यास हुआ तो उस तारीख से आज तक कितना काम हुआ ?

श्री गुलाब सेहरा—

इसका विवाद जनवरी 1982 में सेटिल हुआ और शिलान्यास 4–10–81 को हुआ था बीच में विवाद आ गया । 28 जनवरी, 82 को जिलाधिकारी ने

पत्र द्वारा सूचित किया है कि इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, यह बता दें कि यह विवाद न्यायालय में था या हरिजन विभाग की पत्रावलियों पर था ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, जिला जज ने इस बारे में अपनी भूमि का होना बताया था और उसी का विवाद हुआ था बाद में जिलाधिकारी की मध्यस्थता में इस विवाद को हल कर दिया गया है ।

मुरादाबाद डिवीजन फर्स्ट में नये नलकूप आपरेटरों की नियुक्ति

*13--श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री को विदित है कि दिनांक 12-1-82 को मुरादाबाद डिवीजन फर्स्ट में कुछ नये नलकूप आपरेटरों की नियुक्ति की गई है, जो अटेंडेंट हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उनके नाम सेवायोजन कार्यालय से मंगाए गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

दिनांक 12-1-82 को नलकूप खंड, प्रथम, मुरादाबाद में एक नलकूप चालक की नियुक्ति तीन माह के लिए नियमानुसार अस्थायी व्यवस्था के रूप में की गयी तथा पहले से कार्यरत दो अस्थायी नलकूप चालकों की तीन माह के लिए समय वृद्धि की गयी । यह तीनों नलकूप चालक एक माह की ट्रेनिंग प्राप्त किये हुए थे । खंड की प्रतीक्षा सूची में इस समय कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था और नलकूपों पर नलकूप चालकों को नियुक्त करना आवश्यक था । अतएव इन व्यक्तियों की अस्थायी नियुक्ति की गयी । इनके नाम सेवायोजन कार्यालय से नहीं मंगाये गये थे परन्तु यह व्यक्ति सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत थे ।

अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित कोडरा माइनर के कटाव से किसानों को क्षति तथा परगनाधिकारी, अकबरपुर द्वारा दी गई निरीक्षण रिपोर्ट

*14--श्री रामचन्द्र शर्मा, श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री शेरबहादुर तथा श्री दूधनाथ राजभर--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित कोडरा माइनर के कटाव से सम्बन्धित किसानों को होने वाली क्षति के विवाद के सम्बन्ध में मंत्री जी द्वारा विभाग एवं तहसील के सामूहिक मौके के निरीक्षण कर वस्तुस्थिति की सही जानकारी करने के लिए आदेश दिये थे, जिसके लिए अधीक्षण अभियन्ता (शारदा सहायक), फैजाबाद ने माह जनवरी, 1982 में अपने अधीनस्थ अधिकारी को उक्त आदेश के आधार पर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया था ? तद्नुसार क्या परगनाधिकारी, अकबरपुर 7 फरवरी, 1982 से पूर्व निश्चित तिथि को मौके पर निरीक्षण पर गये ? यदि हां, तो निरीक्षण रिपोर्ट क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

निरीक्षण रिपोर्ट का सार निम्न प्रकार है :—

माइनर के पूरी क्षमता में पानी प्रवाहित होने पर पानी रिसकर तथा पटरी के ऊपर निकलकर खेतों को प्लावित कर देता है । कुछ भूखण्ड निरीक्षण के समय भी जल प्लावित पाये गये जिसकी वजह से आज भी खेत बोये नहीं गये हैं ।

खसरा प्रविष्टियों के अनुसार कृषकों को होने वाली क्षति का मुआवजा दिया जाना चाहिये । इस माइनर के कटाव को रोकने के लिए ईंटों की लाइनिंग करा दी जाय ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, मेरा प्रश्न इसका दूसरा हिस्सा है । परगनाधिकारी व विभागीय अधिकारी द्वारा जो जांच या सर्वे की बात थी शासन के आदेश थे उसमें परगनाधिकारी की रिपोर्ट क्या है ? मैंने रिपोर्ट मांगी है, सारांश नहीं । मैंने कहा है कि नहर कटने से किसानों की फसल डूबी है ओवरफ्लो होने से । इस सम्बन्ध में परगनाधिकारी की जो रिपोर्ट हो वह मिल जाय तो उसके बाद कोई बात हो अभी तो उत्तर ही पूरा नहीं आया है ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, 1979 से 1981 तक खरीफ से लेकर रबी तक की फसल 100 से 125 बीघा तक नहर के कटाव के कारण बोई नहीं जा सकी । आगे यह भी कहा है कि यह आंकड़े ग्रामवासियों के कथनानुसार हैं न कि किसी अभिलेख या जांच के आधार पर हैं ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि तहसीलदार, अकबरपुर ने 18-3-81 को जो रिपोर्ट शासन को दिया उसमें स्पष्ट लिखा है कि कोडरा माइनर की कटिंग विगत दो वर्षों से है और उस पर नहर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया जिसके कारण 100 से 125 बीघा तक फसल नहीं बोई गई । इस कटिंग को तुरन्त बन्द कराने हेतु तुरन्त अलग से एक पत्र अधिशासी अभियन्ता को लिखा जाय । परगनाधिकारी ने जांच किया उस दिन विभाग का कोई अधिकारी नहीं गया, मैं कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को देखते हुए क्या उन किसानों को जिनकी नहर कट जाने से 2 वर्ष फसल नहीं बोई गई उनको मुकम्मल मुआवजा सरकार देगी और उनको जो पैसा लगान के रूप में देना है क्या राजस्व विभाग को लिखेंगे कि न लिया जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, विभाग ने भी कहा है कि चूंकि वहां पर डिप्रेशन है जिसके कारण 17 एकड़ जमीन डूबी रहती है । इसलिए कहा गया है कि डिप्रेशन के काम को पूरा किया जाय और विभाग इस काम को करने जा रहा है और 300 मीटर को लाइनिंग करने जा रहा है और बाकी को ऊंचा करके ऐसा कर देंगे कि भविष्य में यह समस्या नहीं रहेगी ।

मान्यवर, मुआवजे के सम्बन्ध में जो रूल्स में प्राविधान है उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, इसी सदन में मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में विभाग ने यह सूचना सदन को दिया था कि यह कहना सत्य नहीं है कि वहां पर कोई जमीन जिस पर काश्त होती थी वह डूबी थी । उसके बाद मैंने लिखा-पढ़ी किया तब जाकर शासन ने परगनाधिकारी, क्षेत्रीय विधायक और सम्बन्धित अधिकारियों को ज्वाइन्ट सर्वे के लिए आदेश दिया और जो तारीख परगनाधिकारी ने तय किया उस दिन विभागीय अधिकारी नहीं गये । मैं और परगनाधिकारी गये और जाकर देखा कि कटी नहर से आज भी फसल डूबी है । इसलिए विभाग ने जो गलत रिपोर्ट दिया था तो सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य सोचते हैं कि कोई लापरवाही बरती गई है तो उसकी जांच करा ली जायेगी ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, उत्तर में कहा गया है कि जहां नहर के काटने का सवाल है वहां नियमों में यह प्राविधान नहीं है कि मुआवजा दिया जाय। मान्यवर, अभी साफ मामला आया, परगनाधिकारी की रिपोर्ट भी आयी कि नहर काटी नहीं गई, स्वयं टूटी है और यदि काट ली जाय तो नियमों की आड़ न लेकर और रूल्स में परिवर्तन चाहे करना पड़े, मैं आश्वासन चाहता हूं कि कम से कम ऐसे विषयों में जहां नहर काटने से और टूटने से किसान की फसल की क्षति हो तो वहां मुआवजा देने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, दो बातें मैंने कही कि नहर अपने से टूट जाती है तो मुआवजा दिया जाता है और नहर काट दी जाती है तो नुकसान होता है तो उसमें मुआवजा देने का प्राविधान नहीं है ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, बाराबंकी जिले में मेरी जानकारी में नहर काटने के कारण किसानों को मुआवजा दिया गया है श्री कृष्ण मगन सिंह की कांस्टीटूएन्सी में, इसका मेरे पास सबूत है । यदि शासन ने बाराबंकी जिले में नहर काटने के कारण मुआवजा दिया है तो किन परिस्थितियों में कोडरा माइनर के कटाव से सम्बन्धित किसानों को मुआवजा नहीं दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैंने कहा है कि जो प्राविधान होगा उसके अनुसार मुआवजा दिया जायेगा ।

*15--श्री थम्मन सिंह गहलौत--

[7वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या-9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*16—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

[10वें बुधवार के लिए स्थगित]

केन नदी पर ग्रेटर गंगऊ बांध बनाने की योजना तथा बांदा जनपद को सिंचाई सुविधा

*17—प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार के समझौते से ग्रेटर गंगऊ डैम बनना स्वीकार हुआ था ? यदि हां, तो किन कारणों से उक्त बांध का कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त बांध के न बनने से सिंचाई के लिये उक्त इलाके को लाभ नहीं हो पा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वेक्षण कर ग्रेटर गंगऊ बांध का केवल प्रोजेक्ट बनाने की प्रार्थना स्वीकार की है ।

कार्य प्रारम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । ग्रेटर गंगऊ बांध के न बनन से उक्त परियोजना से होने वाली सिंचाई का लाभ बांदा जनपद को नहीं मिल पा रहा है ।

प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि गंगऊ बांध 1915 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन नदी पर बांदा जिले को सिंचाई के लिए बनाया गया था । वर्ष 1972 में और 1977 के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच में समझौता हुआ था कि जो गंगऊ बांध में सिल्टिंग हो गई है जिससे बांध को कम पानी मिलेगा, इसलिए ग्रेटर गंगऊ बांध प्रोजेक्ट बनाया जाय और उस समझौते के अनुसार उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार एक 1400 क्यूसेक्स की बरियारपुर कैनाल बनाने को इजाजत दे दी गई थी । लेकिन सन् 77 से लेकर आज तक ग्रेटर गंगऊ प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं बनाया गया है । दूसरी ओर बरियारपुर कैनाल 1400 क्यूसेक की बनाने की कार्यवाही हो रही है । तो ग्रेटर गंगऊ बांध बनने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह बात सही है कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से इस सम्बन्ध में बातचीत सन् 1977 में हुयी थी । उसमें निश्चय किया गया था कि मध्य प्रदेश इसका डिटेल्ड सर्वे करेगा और सर्वे करके इसका प्रोजेक्ट बनाकर इसको जल्द से जल्द बनायेगा । सन् 72 में भी मीटिंग हुयी तो कहा गया कि 73 में बना दिया जायगा । सन् 77 में मीटिंग हुयी लेकिन मध्य प्रदेश ने प्रोजेक्ट नहीं बनाया । हम चिठ्ठी लिख रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश ने प्रयास नहीं किया है । अभी दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से मुख्य मंत्री जी ने बात किया है । उन्होंने कहा है कि हम जल्दी मीटिंग बुलाकर इस बात को तय कर लेगें ।

प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

मान्यवर, मध्य प्रदेश के लिये 1400 क्यूसेक की बरियारपुर कैनाल बन रही है । तो जिस दिन यह कैनाल बरियारपुर डैम से जोड़ देंगे तो बांदा जनपद को मिलने वाला पानी मध्य प्रदेश की ओर जायगा और बांदा जनपद की सिंचाई व्यवस्था नष्ट हो जायगी । तो जब तक ग्रेटर गंगऊ प्रोजेक्ट नहीं बन जाता है तब तक इस कैनाल को बनाने से रोका जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से इस सम्बन्ध में बात हुयी है । मैं चाहूंगा कि बैठक जल्दी से हो जाय ताकि यह बात तय हो सके ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश शासन से कोई ऐसा पत्र मिला है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने यह कहा है कि इस डैम से मध्य प्रदेश के किसानों को सिंचाई का कोई लाभ होने नहीं जा रहा है । लेकिन बांदा जनपद के किसानों को यह बांध बनने से लाभ होगा इसलिये मध्य प्रदेश शासन इस पर विचार नहीं कर रहा है ? तो क्या उत्तर प्रदेश शासन इस प्रोजेक्ट को तैयार करके डैम बनाने पर विचार करेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, गंगऊ डैम जो बनना है वह मध्य प्रदेश में बनना है । वह हमें बनाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं । वह कहते हैं कि हम खुद बनायेंगे ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मैंने यह जानना चाहा है कि मध्य प्रदेश शासन का कहना है कि हमारा इस डैम के बनाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है । यह डैम उस स्थान पर है जहां मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है । इस डैम के बनने से बांदा जनपद के हजारों एकड़ क्षेत्र की सिंचाई हो सकती है । मध्य प्रदेश शासन का कहना है कि आप बनाना चाहें तो बना लें । तो आप क्या इस प्रोजेक्ट को बनाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मध्य प्रदेश सरकार बनाने देने के लिये तैयार नहीं है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मध्य प्रदेश शासन से जो पत्र आया है उसमें साफ-साफ लिखा है कि वह बनाने को तैयार नहीं हैं, आप बनाना चाहें तो बना लें ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मध्य प्रदेश ने सर्वे करके प्रोजेक्ट बनाने की जिम्मेदारी ली थी । जब तक यह नहीं बन जाता तब तक प्रोजेक्ट कैसे बनेगा ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की दिल्ली में वार्ता हुयी है । तो मैं जानना चाहता हूं कि इस वार्ता का विवरण क्या और यह बन्धा कब तक बन जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अभी कन्हर प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमारे मुख्य मंत्री जी की मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से बैठक हुयी थी । उसी में मुख्य मंत्री जी ने अनुरोध किया कि ग्रेटर गंगऊ का फैसला हल कर लिया जाय तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी हल कर लेंगे ।

सिंचाई विभाग में प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं जनहित में अभियन्ताओं का स्थानान्तरण

*17--श्रीमती गौरी देवी तथा श्री गौरी शंकर भैय्या--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 10 अगस्त, 81 के बाद मध्य सत्र में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण न करने के मुख्य मंत्री जी के आदेश के विपरीत गत 4 माह (नवम्बर, 81 से 15 फरवरी, 1982) में सिंचाई विभाग में बड़े पैमाने पर लगभग 155 अभियन्ताओं के स्थानान्तरण निर्गत होने तथा उनमें 38 अभियन्ताओं को रोकने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेशों के अनुरूप किया गया है । माह नवम्बर 81 से 15 फरवरी, 82 की अवधि में शासन एवं विभागाध्यक्ष स्तर से 55 अभियन्ताओं के स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं जनहित में तथा अधिकारियों के पदोन्नति के फलस्वरूप हुए रिक्त स्थानों के लिए निर्गत हुये तथा उनमें से 18 अभियन्ताओं के स्थानान्तरण जनहित में रोके गये ।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या इतने बड़े पैमाने पर जनहित का सहारा लेकर स्थानान्तरण करना या रोकना मुख्य मंत्री जी के आदेशों का उल्लंघन नहीं है ? मेरा स्पष्ट आरोप है कि सिंचाई विभाग में जितने भी स्थानान्तरण हुए हैं या रोके गये हैं, उसमें 20 हजार से लेकर 50 हजार रु० माननीय वीर बहादुर सिंह, मंत्री जी ने लिये हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कीजिये ।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, सुन लीजिये...

(व्यवधान)

मान्यवर, सुन लीजिये । पार्टी के एक कर्मचारी को एक चिट्ठी आयी है..

(व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह--

(एक पत्रावली हाथ में उठाकर दिखाते हुए) मैं दिखा रहा हूं, कितनी संस्तुतियां इनकी हैं, कितनी दरखास्त इन्होंने दी हैं, सब इनके दस्तखत की हैं। यह मैं मानता हूं कि हमारे विभाग में 11,600 चीफ इन्जीनियर से लेकर जूनियर इन्जीनियर तक हैं, इनमें 55 ट्रांसफर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है--कितने ही ट्रांसफर जनहित में करने पड़े, बहुत से विधायक भी सिफारिश करते हैं, उनको भी करना पड़ता है। माननीय सदस्या का यह धन्धा है कि दूसरे पर चार्ज लगाती हैं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा क व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्रीमती गौरी देवी--

(एक पत्रावली उठाकर दिखाते हुए) पता नहीं कितने सहायक अभियन्ताओं का इन्होंने किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं। शान्त हो जायं। प्रश्नों के माध्यम से आप प्रश्न करें और (सत्ता पक्ष की ओर इंगित करते हुए) आप उत्तर दें। कोई भी माननीय सदस्य इसमें उत्तेजित न हों। आप प्रश्न करें, मंत्री जी उत्तर दें, उत्तेजना की बात नहीं होनी चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरी एक आपत्ति है। मेरी आपत्ति यह है कि माननीय सदस्या ने सवाल किया, आपने अनुमति दी....

(व्यवधान)

मैं यह कह रहा था कि माननीय सदस्या ने एक सवाल किया, आपके पुकारने पर, आपने अनुग्रह कर माननीय मंत्री जी को उत्तर देने के लिये बुलाया, उनसे अपेक्षित था कि उत्तर देते, लेकिन मंत्री जी ने माननीय सदस्या की नीयत पर आक्षेप करते हुए कहा कि यह उनका धन्धा हो गया है। माननीय मंत्री जी इसी प्रकार का अनर्गल, अप्रासंगिक और तत्वहीन भाषण देते हैं, इससे पहले भी उन्होंने यही कहा था। मेरा साफ निवेदन है कि इस पर आप निर्णय दें कि यह शब्द आक्षेप मूलक और निन्दनीय है, इसलिये इनका यह वाक्य सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यदि कोई सदस्य झूठा आरोप लगाता है तो फिर कहना ही पड़ता है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आरोप झूठा है या सच्चा, इसका जवाब तो मंत्री जी दे ही सकते थे। लेकिन किसी माननीय सदस्य पर यह आरोप करना कि ऐसा करना इनका धन्धा बन गया है, यह कहां तक उचित है ?

श्रीमती गौरी देवी—

अभियन्ताओं से पैसा लिए हैं, क्या यह जनहित में मंत्री जी किये हैं ?

(सत्ता पक्ष के सदस्यों में घोर उत्तेजना के कारण व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया शान्त हो जांय। ऐसा कभी-कभी सम्भव होता है कि माननीय सदस्य को आवेश आ जाय। ऐसा कभी-कभी प्रश्नों के उत्तर के समय भी सम्भव होता है। ऐसे अवसर पर मैं आप सभी सदस्यों से अपेक्षा करूंगा कि उस आवेश को शान्त करने के लिए, उसके क्रोध के निराकरण के लिए आप हमारी सहायता करें। यदि आप कोई बात उठा कर विरोध कर देंगे तो यह हमारे लिए परेशानी की बात होगी और सदस्य को मनः स्थिति के कारण ऐसी ही स्थिति पैदा हो जाती है, ऐसे में भावनाओं में उद्वेग आना स्वाभाविक है। माननीय गौरी देवी ने प्रश्न किया और प्रश्न के बाद उन्होंने अपने उत्तर में यह कहा था कि मुख्य मंत्री के आदेशानुसार यह हुआ है। उन्होंने नाम ले कर कहा है कि वीर बहादुर सिंह ने यह किया है। उसी सिलसिले में कुछ चिट्ठियां उठाकर दिखाई गईं। अगर उस पृष्ठभूमि में क्रोध की बात न होती तो उस पक्ष से भी ऐसी कोई बात न कही जाती और न आप आरोप लगाते न वह कहते यह धन्धा है। इसलिए मैं पुनः निवेदन करूंगा कि शान्ति पूर्वक अपने प्रश्नों के उत्तर, उत्तर से ही सम्बन्धित रखें।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, मेरा भी प्रश्नकर्ता में नाम है, हमको भी कहने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष—

केवल प्रश्न ही करियेगा।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जैसा कि आपने कहा है कि ट्रान्सफर्स जनहित में रोके गये हैं। जनहित में कोई कार्य करने का मंत्री जी को अधिकार है, उसके लिए हमें कुछ नहीं कहना है परन्तु केवल 5 लोगों के बारे में मैं, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा गोरखपुर के बारे में कि निम्न लोगों के ट्रान्सफर्स किस प्रकार से जनहित में रोके गये हैं :—

1—श्री एम० पी० श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता ट्यूबवेल में गोरखपुर में थे, उन्हें रिग्स डिवीजन गोरखपुर में ही रख दिया गया। कई माह तक दोनों जगह का काम देखते रहे।

2—श्री नरसिंह, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई (अल्प) गोरखपुर में यह थे इनके खिलाफ बहुत आरोप भी हैं जिसके कारण ट्रान्सफर

किया गया था परन्तु अब इन्हें भी बाढ़ खन्ड, गोरखपुर में रख दिया गया है ।

3—श्री एस0 बी0 आर0 मिश्रा, सहायक अभियन्ता, गोरखपुर को ड्रेनेज विभाग से बाढ़ खंड देवरिया में भेजा गया है ।

4—श्री श्यामलाल चौहान, सहायक अभियन्ता को गन्डक गोरखपुर से ड्रेनेज गोरखपुर में कर दिया गया है ।

(सत्ता पक्ष की ओर से घोर व्यवधान)

आप सुनिये । चमचागीरी की बात आप मत करिये । तैश में मत आइये : तैश हम लोगों ने बहुत देखा है । तो श्रीमन्,

5—श्री बी0 पी0 सिंह, सहायक अभियन्ता को गोरखपुर ड्रेनेज से बाढ़ खंड गोरखपुर में कर दिया जबकि इनका ट्रान्सफर डिजाइन डिवीजन लखनऊ को किया गया था ।

तो श्रीमन्, ये सभी लोग गोरखपुर में ही तैनात थे और कम आमदनी के जगहों पर थे तथा बाढ़ विभाग में कर के ज्यादा आमदनी की जगहों पर कर दिया गया है । तो इसमें कौन सा जनहित छिपा था ? क्या यह सत्य नहीं है कि इन लोगों के ट्रांसफर में कुछ लोगों ने भारी धनराशि ली जिसकी वजह से इनका ट्रांसफर किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ट्रांसफर कुछ तो प्रमुख अभियन्ता के यहां से होते हैं और कुछ वहां के लोकल अधिकारियों द्वारा जो यह देखते हैं कि किस काम को कौन कर सकता है कौन नहीं । अभी जो बाढ़ आई थी गोरखपुर, बलिया, बस्ती में, लोगों ने लापरवाही बरती और इसकी शिकायत पर जांच कराई थी । जांच रिपोर्ट में जब आया कि फलां-फलां अधिकारियों ने लापरवाही बरती है इसलिए उनको वहां से हटाया जाये । इसलिए उनको वहां से हटाया गया । जबरदस्ती किसी को नहीं रोका जायेगा और न किसी को जबरदस्ती एक ही जगह पर रखा जायेगा । बहुत से कान्ट्रैक्टर होते हैं तो इंजीनियर से मिलकर, उनको एक ही जगह पर रखना चाहते हैं । ऐसे लोगों को कतई नहीं रहने दिया जायेगा ।

श्री मोहन सिंह—

मंत्री जी ने कहा कि ये समस्त स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किए गये मुख्य मंत्री द्वारा निर्धारित अवधि के बाद । तो इसमें जनहित कौन सा आ गया कि उसको स्थगित करना पड़ा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कौन सा स्थगित किया गया ?

श्री मोहन सिंह—

आपने जो मूल उत्तर दिया है उसमें कहा गया है कि 18 लोगों को जनहित में रोका गया और 55 प्रशासनिक कारणों से किए गए ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

11 हजार 5 सौ में मुख्य अभियन्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, ए0 ई0, ई0 ई0, बहुत से हैं, तो इनमें से इतने का, ऐसी जगहों पर, जनहित में, शिकायतों के आधार पर, माननीय सदस्य चाहते हैं कि रोका जाये, तो करना पड़ता है ।

श्री मोहन सिंह--

अभी मेरा उत्तर साफ नहीं हुआ । जब वे स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किए गए तो कोई भी स्थानान्तरण जो प्रशासनिक हुआ है उसमें बहुत सी शिकायतों की बात ही होती है । तो उन प्रशासनिक कारणों में जनहित कहां से पैदा हो गया कि रोकना पड़ा क्यों कि संदेह इसी की वजह से पैदा होता है, क्योंकि स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किए जाते हैं और उन्हीं प्रशासनिक कारणों से किए हुए स्थानान्तरण को रोका जाता है ? तो रोके हुए स्थानान्तरण पर ही संदेह पैदा हुआ ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह बात बड़ी स्पष्ट है कि कभी-कभी माननीय सदस्य ही कहते हैं कि फलां-का लड़का बीमार है फलां बीमार है, बच्चा पढ़ रहा है उसको रोक दिया जाये, घरेलू प्राब्लम्स हैं, तो जनहित में ऐसे ही हो जाते हैं । अगर आप चाहते हैं कि किसी समस्या को न देखा जाये, किसी अधिकारी के बारे में मानवता की दृष्टि से विचार न किया जाये तो वे भी सरकारी अधिकारी हैं, आपके ही लोग हैं, इसलिए उनकी समस्याओं को देखना पड़ता है ।

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय मंत्री जी ने माननीय मुख्य मंत्री के आदेशों के उल्लंघन के रूप में ट्रांसफर रोकने और करने शुरू कर दिये तो चीफ इंजीनियर एस्टेबिलिश्मेन्ट, श्री राम नगीना सिंह थे, उन्होंने मंत्री जी से स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैं इस तरह से ट्रांसफर नहीं करूंगा तो मन्त्री जी ने उसी दिन उनको एस्टेबिलिश-मेन्ट से हटा दिया और नये को रख दिया । क्या यह बात सही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह देखना प्रमुख अभियन्ता का काम है । जिसको जनहित में समझेंगे, करते रहते हैं ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

थाना नाका, लखनऊ में बढ़नी, जनपद बस्ती में फर्जी नामों से बुक हुई सरकारी कापियों की बरामदगी

**1-श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या यह सही है कि बाबा साहब अम्बेदकर हरिजन एवं समाज कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश (रजि0), लखनऊ के एक कार्यकर्ता द्वारा दिनांक 8-2-82 को लगभग एक लाख नियंत्रित सस्ते दर की कापियां जो नेपाल राज्य जा रही

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

थी पुलिस द्वारा पकड़ी गई है, जिसकी रपट थाना नाका, लखनऊ में उसी तिथि को धारा 3/7 आ0 व0 अधिनियम के अन्तर्गत की गई है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 8-2-82 को बाबा साहब अम्बेदकर हरिजन एवं समाज कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश के दो कार्यकर्ताओं ने थाना नाका हिंडोला को पुलिस को मौखिक रूप से, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध किये गये रियायती मूल्य के कागज से निर्मित सहकारी अभ्यास पुस्तिकाओं को नेपाल राज्य सीमा पर स्थित बढ़नी, जनपद बस्ती जाने की सूचना दी । उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा श्री राम ट्रान्सपोर्ट कम्पनी गुरुद्वारा रोड बांस मन्डी, लखनऊ पर पहुंच कर उक्त ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की तलाशी ली गई तो 60 बन्डल जिल्ददार व बिना जिल्ददार कापियां जो बढ़नी के लिए फर्जी नामों से बुक हुई थी बरामद की गईं । इन कापियों के बन्डलों को कब्जे में लेकर उक्त ट्रान्सपोर्ट के मैनेजर तथा गोदाम इंचार्ज को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया । इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना तत्काल प्रारम्भ की गई ।

विवेचना तत्परता से की जा रही है ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कापियों के बंडल किस फर्म या दूकान से लिये गये हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जैसा कि अभी मैंने आपसे निवेदन किया, श्रीराम ट्रांसपोर्ट कम्पनी से उन बंडलों को रिकवर किया गया ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मेरा मतलब यह है कि क्या इसका पता लगाया गया कि किस व्यक्ति या फर्म ने किस दूकानदार के नाम से इन बंडलों को बुक किया था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इसकी विवेचना जारी है । पता लगते ही पुलिस ने तुरन्त ही कार्यवाही की । इस पर तो आपको खुश होना चाहिए । पुलिस ने फौरन ही बंडल को पकड़ लिया, इसकी तो आपको तारीफ करनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जब अवैधानिक माल को पकड़ लिया गया तो अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही होनी चाहिए थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जानकारी करने की कोशिश की गई कि माल

किस व्यक्ति के यहां पकड़ा गया और बढ़नी में किस व्यक्ति या संस्था के नाम उसे बुक किया गया था और क्या शासन ने उस पर कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, विवेचना जारी है। जो भी व्यक्ति दोषी पाया जायगा उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। अभी दो व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यही शिकायत है हमारी माननीय गृह मंत्री के खिलाफ। प्रश्न कुछ, उत्तर कुछ। मैं साफ यह जानना चाहता हूं कि दो व्यक्तियों के नाम क्या हैं ? अगर मंत्री जी को जानकारी नहीं है तो वह कह दें जानकारी नहीं है। लेकिन फिर वही प्रसंग पैदा हो रहा है....

श्री अध्यक्ष--

आपने प्रश्न पूछा है, आप प्रश्न सुन लें, ट्रान्सपोर्ट कम्पनी से पकड़ी गई कापियां उस ट्रान्सपोर्ट कम्पनी में किस पार्टी, किस व्यक्ति, किस फर्म ने बुक करायी बढ़नी भेजने के लिए, पता हो तो बता दें, पता न हो तो न बतायें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय, अध्यक्ष जी मेरे पास जो सूचना है मैं वह प्रस्तुत करती हूं। इस सम्बन्ध में जो मैनेजर थे ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के और गोदाम के जो इन्चार्ज थे उन दोनों व्यक्तियों को तुरन्त पकड़ा गया। अब विवेचना जारी है। इसके अलावा अभी मेरे पास वह सूचना नहीं है। जैसे ही सूचना आयेगी वह आपको प्रेषित कर दी जायगी।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने और बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जाइये। आप जाफरी साहब, बैठ जायें। आप सभी लोग भी बैठें।

आपके प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मेरे पास केवल इतनी सूचना है और सूचना नहीं है, जब सूचना आयेगी तो बता देंगे। इसलिए मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं और सूचना आयेगी तो दी जायेगी।

चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की योजना

**2--श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड के तीनों सीमान्त जनपदों (चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़), जो शिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े हैं, में प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम लागू किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1--श्री नन्द किशोर सिंह ने पूछा।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी नहीं। प्रश्नगत जनपद शिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त पिछडे नहीं हैं।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, पर्वतीय विकास मंत्री जी ने उत्तर दिया कि चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जिले शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के अन्य जनपदों देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल जो कि इन जनपदों से शिक्षा की दृष्टि से बहुत आगे हैं वहां किस आधार पर प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम लागू किया गया और आप इन तीनों जनपदों में इस कार्यक्रम को क्यों नहीं लागू कर रहे हैं जब कि इस कार्यक्रम के लिए सारा व्यय भार केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाना है ? यहां प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम करने में आप क्यों असमर्थता जाहिर कर रहे हैं और क्यों यह जनपद आपके कोप के भाजन बन रहे हैं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

श्रीमन्, जिन 3 जिलों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया उनमें केन्द्र सरकार के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा योजना चल रही है। प्रदेश के सारे जिलों में यह योजना नहीं है। इसके अलावा फिर भी हमने 1981-82 के आय-व्ययक में 12 लाख 28 हजार रुपये का प्राविधान किया था इन जिलों में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाने के लिए, किन्तु माननीय सदस्यों के ही अनुरोध पर उनके सुविचारों को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि 27-12-80 को पर्वतीय विकास परिषद् की मीटिंग हुई थी और उसमें हमारे सम्मानित सदस्य श्री शिवानन्द नौटियाल ने यह कहा था कि उनके विचार से इस कार्यक्रम को चलाकर धन का अपव्यय किया जा रहा है तो इस वजह से हमने इसको दूसरी आवश्यक आवश्यकताओं के लिए निर्धारित कर दिया।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि यह तीन जिले चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ पिछड़े हुए नहीं हैं शिक्षा की दृष्टि से तो 5 जिले जो उन्होंने लिए हैं क्या उनके पास कोई इस तरह के आंकड़े हैं जिससे यह विदित होता है कि वह पिछड़े हुए हैं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

श्रीमन्, मैंने यह नहीं कहा कि पिछड़े नहीं हैं। मैंने कहा कि अत्यन्त पिछड़े नहीं हैं और दूसरे भारत सरकार की योजना पहले से लागू थी और उसके इस बीच में 80 के बाद से ऐसी कोई योजना नहीं आई है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत खोज-बीन करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सन् 1980 में मैंने कोई बात कही और उस पर माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से उसका निर्णय किया। मान्यवर, क्या ही अच्छा होता कि मेरे और सुझावों को भी मंत्री जी मान लेते। मैंने यह कब सुझाव दिया था कि पर्वतीय जिले के 5 जिलों में तो आप प्रौढ़ शिक्षा करें और जो सबसे पिछड़े हुए हैं वहां न करें। ऐसी कौन सी मैंने सिफारिश की थी जिसको मंत्री जी ने स्वीकार करके ऐसा किया है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

श्रीमन्, मैंने आपसे बताया कि भारत सरकार की स्कीम इन्हीं 5 जिलों में है और पहले से चल रही है और भारत सरकार की यदि और कोई योजना होती तो हमें उसे कार्यान्वित करने में कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने पहले भी कहा कि इसके लिए 12 लाख 28 हजार रु0 का प्राविधान भी किया गया था लेकिन माननीय सदस्य तथा पर्वतीय विकास परिषद् के अन्य कई माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव आये कि वहां पर साक्षरता है और उन्होंने कहा कि यह अपव्यय है और इसको वरीयता न दिये जाने का ही सुझाव वहां पर आया।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

इन तीन जिलों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने की बड़ी मांग है, तो क्या माननीय मंत्री जी जनभावना का आदर करते हुए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम अन्य जनपदों की भांति इन जिलों में भी लागू करेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक में इस बात का निर्णय हुआ था, उसी का कार्यान्वयन हो रहा है। अगली होने वाली पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक में अगर तमाम माननीय सदस्यों की आम राय होगी तो उस पर निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

प्रौढ़ शिक्षा का मापदंड क्या है और कहां-कहां वह चलाया जा सकता है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मूल रूप में तो इसको शिक्षा विभाग चलाता है। भारत सरकार से मिली धनराशि का परिव्यय हमारे यहां हो रहा है इसलिए मैंने उसकी सूचना दी है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद गोरखपुर में अध्ययनरत गोंड जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति व अन्य सुविधायें

श्री--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से वर्ष 1980-81, 1981-82 में किन-किन मान्यताप्राप्त व सरकारी विद्यालयों में किन-किन कक्षा 6, 9 व 11 में अध्ययनरत गोंड़ जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति व अन्य सुविधायें दी गई हैं जबकि ये मूल रूप से कहार व भड़भूज जाति (पिछड़ी जाति) के हैं ? यदि हां, तो पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट--अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री गुलाब सेहरा—

मूलरूप से कहार तथा भड़भूजा पिछड़ी जाति के हैं। वे गोंड़ जाति के अन्तर्गत नहीं आते। अतः गोरखपुर जिले में कहार अथवा भड़भूजा जाति के छात्रों को गोंड़ जाति के नाम से छात्रवृत्ति अथवा अन्य कोई सुविधा न अनुमन्य है और न दी गई है।

जनपद इलाहाबाद में वरुणा नदी के पानी की निकासी हेतु स्थायी योजना

2—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद इलाहाबाद में वरुणा नदी में शारदा सहायक की कई नहरों से लगातार पानी गिरने से वरुणा नदी में जल भराव हो गया है जिससे हजारों एकड़ भूमि पानी में डूबी है ? यदि हां, तो क्या वरुणा नदी के पानी की निकासी हेतु शासन स्थायी योजना बना कर नदी को गहरा करने का कार्य प्रारम्भ करेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वरुणा नदी में शारदा सहायक की कई नहरों से पानी गिरता है जिसके फलस्वरूप नदी के शीर्ष में कुछ क्षेत्रफल डूब जाता है। इसके स्थायी निराकरण हेतु वरुणा नदी को गहरी करने के अभिप्राय से एक परियोजना राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति को प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद इलाहाबाद में बारी तथा रामपुर राजबहा से सिंचाई हेतु पानी की पूर्ति

3—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद में शारदा सहायक की बारी तथा रामपुर राजबहा से सिंचाई हेतु पानी की पूर्ति जून, 82 से किया जाना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

चूंकि बारी राजबहा पर कि0मी0 20.5 पर रेलवे क्रासिंग निर्माणाधीन है। जो दिसम्बर, 1982 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है अतः जून, 1982 से हेड से 20.0 कि0मी0 तक पानी चलाया जाना प्रस्तावित है।

रामपुर राजवाहा के कि0मी0 1.52 पर रेलवे क्रासिंग निर्माणाधीन है जिसको जून, 1983 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है अतः रामपुर राजवाहा को जून, 82 से हेड से 1.5 कि0 मी0 तक ही चलाया जाना संभव हो सकेगा।

जनपद इलाहाबाद की हंडिया तहसील के राजकीय नलकूपों की पानी की डिस्चार्ज क्षमता

4—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में इलाहाबाद की तहसील हंडिया में किन-किन राजकीय नलकूपों का पानी का डिस्चार्ज उनकी न्यूनतम क्षमता से कम है ? क्या उन स्थानों पर दूसरे राजकीय नलकूप लगाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद इलाहाबाद की हंडिया तहसील के 9 राजकीय नलकूपों का डिस्चार्ज उनकी न्यूनतम क्षमता से कम है जिनमें से नलकूप संख्या 48-एच0 (चन्दमहा), 261-एच0(बबुआपुर) एवं 284-एच0 (कूराकट) के पुनः निर्माण हेतु छिद्रण हो चुका है ।

निर्माणाधीन शारदा सहायक नहर की कमांड में पड़ने के कारण नलकूप संख्या 29-एच0 (सारीपुर), 49-एच0 (ढोली) एवं 55-एच0 (भेलखा), जिनका निकास नगण्य था, के परित्याग की कार्यवाही की जा रही है ।

नलकूप संख्या 56-एच0 (धुर्वा), 268-एच0 (खानापुर) एवं 279-एच0 (कुसारी), जिनका निकास क्रमशः 6,660, 10,466 तथा 10,000 गैलन प्रति घंटा है, को फिलहाल चालू रखा गया है । शारदा सहायक नहर के कमांड में आने के कारण इन नलकूपों का पुनः निर्माण प्रस्तावित नहीं है ।

5-6--श्री प्रताप नारायण द्विवेदी--

[10वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 21-22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ड्रेनेज खंड, प्रथम व द्वितीय बस्ती में क्रय किए गए बोल्डर व ईंट की बोरियों का मूल्य

7--श्री माता प्रसाद पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ विभाग बस्ती के ड्रेनेज खंड प्रथम व ड्रेनेज खंड द्वितीय वर्ष में 1981-82 में कुल कितने रुपये मूल्य के बोल्डर व ईंट व बोरियां किस-किस रेट पर कहां से खरीदी गईं तथा क्या यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त सामग्री कितने रुपये मूल्य की बांड बना कर खरीदी गई और कितने रुपये वर्क आर्डर पर भुगतान किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ड्रेनेज खंड, प्रथम बस्ती में वर्ष 1981-82 में 51.91 लाख रु0 का बोल्डर तथा 12.48 लाख रुपये की ईंट बांड द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत दर पर ठेकेदारों के माध्यम से खरीदी गईं । 26 हजार रुपये का बोल्डर और 0.94 लाख रुपये की ईंट कार्यादेश द्वारा छोटे-छोटे स्थानीय ठेकेदारों से स्वीकृत दर पर क्रय की गई ।

ड्रेनेज खंड, द्वितीय बस्ती द्वारा 1981-82 में 2.60 लाख रुपये का बोल्डर और रुपया 103073.00 की ईंट बांड द्वारा एवं 70 हजार रुपये की ईंट कार्यादेश द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से स्वीकृत दर पर खरीदे गए। बोरिंग का कार्य नहीं किया गया ।

बकरी पालन तथा अन्य लघु उद्योगों हेतु मैनपुरी जनपद में हरिजनों को दिया गया अनुदान

8--श्री सूबेदार सिंह--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1979 में बकरी पालन तथा अन्य लघु उद्योगों के लिए उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा

मैनपुरी जनपद के कितने हरिजनों को अनुदान स्वीकार किए गए थे ? उनमें से कितने का भुगतान कर दिया गया है और कितने का भुगतान पड़ा है ? इसका भुगतान न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सड़क परिवहन निगम आगरा परिक्षेत्र में परिचालकों का साक्षात्कार

9—श्री सूबेदार सिंह तथा श्री रामहर्ष राय—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि उ0 प्र0 सड़क परिवहन निगम, आगरा परिक्षेत्र में वर्ष 1981 में परिचालकों का कोई साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो अभी तक उसके परिणाम घोषित न होने के क्या कारण हैं और कब तक घोषित कर दिये जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया जिलान्तर्गत कतिपय विकास खंडों में नलकूप लगाने की योजना

10—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत देसही, देवरिया, बैतालपुर, गौरी बाजार में वर्ष 1981-82 में कितने-कितने नलकूप लगाने की योजना थी और कितने नलकूप लग गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1981-82 में केवल बैतालपुर विकास खंड में 5 राजकीय नलकूप लगाने की योजना है तथा देसही, देवरिया एवं गौरीबाजार में राजकीय नलकूप लगाने की योजना नहीं है । बैतालपुर विकास खंड में एक नलकूप लगाया जा चुका है जिसका उर्जीकरण होना शेष है ।

11—श्री नन्द किशोर सिंह—

[7वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मुख्य कार्याधिकारी, श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ मन्दिर समिति, चमोली के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा किसी अन्य अधिकारी को तैनात किये जाने पर विचार

12—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य कार्याधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मन्दिर समिति, चमोली के विरुद्ध जुलाई से दिसम्बर, 1981 के मध्य, स्थानीय गण मान्य व्यक्तियों द्वारा कुछ शिकायती-पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो शिकायतों के तथ्य क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी हां, सामान्यतः इनके विरुद्ध अपने पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, कुव्यवस्था तथा मन्दिर सम्पत्ति से दुरुपयोग आदि के आरोप लगाये गये हैं। जिलाधिकारी, चमोली से जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

13—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को जानकारी है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मन्दिर समिति, जोशीमठ, चमोली के मुख्य कार्याधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर शासन द्वारा किसी अन्य सेवा के अधिकारी को तैनात करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो तैनाती कब तक की जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

यह कहना सही नहीं है कि श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ मन्दिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर शासन द्वारा किसी अन्य सेवा के अधिकारी को तैनात करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान मुख्य कार्याधिकारी का कार्यकाल 8 जुलाई, 1982 तक के लिये बढ़ाया गया है, लेकिन इसके पूर्व भी उन्हें शासन द्वारा बिना कारण बताए हटाया जा सकता है।

14—श्री सुरेन्द्र कपिल—

[10वें बुधवार के लिए स्थगित]

15—श्री सुरेन्द्र कपिल—

[10वें बुधवार के लिए स्थगित]

जनपद बलिया के हरिजन एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान

16—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री गौरी शंकर भैय्या—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में कितने हरिजन एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों ने छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए सन् 1981-82 में आवेदन-पत्र दिया है? इसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी? तथा विभाग को अब तक कितना रुपया दिया जा चुका है? बाकी धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायगा?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

समाज कल्याण निदेशालय के अवकाश प्राप्त पी0 ए0, श्री जी0 बी0 पांडेय द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त अधीक्षक के पद पर कार्य करने के विरुद्ध कार्यवाही तथा मूक बधिर विद्यालय, ऐशबाग में शिक्षा संहिता के नियम

17-18—श्री भीखालाल—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण निदेशालय से अवकाश प्राप्त पी0 ए0, श्री जी0 बी0 पाण्डेय, मूक बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ, जो शासन द्वारा दिये गये अनुदान पर चलता है और शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त अधीक्षक के पद पर कार्य करते हैं तथा सरकार से पेंशन प्राप्त करते हैं ? तो क्या उन्होंने इस संस्था में नौकरी करने के लिए शासन से अनुमति प्राप्त की अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो इस नियम विरुद्ध काय करने के लिए इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

क्या समाज कल्याण मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 96 से 99 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि मूक बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ शिक्षा विभाग द्वारा स्थायी मान्यता प्राप्त संस्था है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा संहिता के नियम संस्था में लागू हैं ? यदि नहीं, तो क्या इससे भिन्न इस संस्था में कोई नियम हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गृह कारागार विभाग से कारागार महानिरीक्षक को भेज गये आदेश

19—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गृह कारागार विभाग से 19-11-1981 को कारागार महानिरीक्षक को यह आदेश भेजे गये थे कि हड़ताल के दौरान जिन कनिष्ठ अधिकारियों या कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया गया था, उन्हें पुनः उनके मूल पद पर करके पारितोषिक देने के सुझाव भेजे जावें ? यदि हां, तो कारागार महानिरीक्षक ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

19-11-81 का कोई आदेश नहीं भेजा गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू0 पी0 जेल्स एसोसियेशन के प्रतिनिधियों के साथ समझौता तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही

20—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी ने यू0 पी0 जेल्स एसोसियेशन के प्रतिनिधियों के साथ समझौते के क्रम में 5-11-1981 के वार्ता में पहल की थी ? यदि हां, तो क्या

वह मुख्य मंत्री द्वारा इसके लिए अधिकृत थे ? क्या यह भी सही है कि दिनांक 5-11-1981 से प्रारम्भ वार्ता के बाद जेलों में भी नई भर्तियों, निलम्बनों एवं बरखास्तगियों के आदेश जारी किए गये ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हड़ताल 18 नवम्बर, 1981 को वापस ली गई तब तक यथावश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही विधिवत् की गई ।

गोमती नदी के लामार्टिनियर बन्धे पर बोल्डर पिचिंग का कार्य

21--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नदी के लामार्टिनियर बन्धे पर बोल्डर पिचिंग के कार्य का क्या प्राक्कलन स्वीकृत है ? क्या इतने बड़े कार्य की निविदा आमंत्रित की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गोमती बांध पर पम्पों के मरम्मत हेतु भुगतान

22--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खंड 2 शारदा नहर, लखनऊ के अन्तर्गत गोमती बांध पर पम्पों के मरम्मत हेतु 12,000 रु0 की लागत का अनुबन्ध किया गया है परन्तु भुगतान अब तक लगभग 39,000 रु0 का किया जा चुका है और अब कुल भुगतान लगभग 50,000 रु0 का किया जा रहा है ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

23--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[10वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

लखनऊ खंड 2 शारदा नहर, लखनऊ के अन्तर्गत गोमती बन्धे पर मिट्टी का भुगतान

24--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खंड 2 शारदा नहर, लखनऊ के अन्तर्गत गोमती बन्धे पर ट्रक द्वारा लाई गयी मिट्टी दिखाकर 18 रु0 प्रति घनमीटर की दर से भुगतान माह जुलाई, अगस्त, 1981 में किया गया है ?

क्या माह मई, जून, 1981 में बन्धे के पास नदी के सपाट में लोकल मिट्टी नहीं थी ? क्या यह सच है कि वहीं पास में ही सिंचाई खंड–3 द्वारा बन रहे नए बन्धे के निर्माण में लोकल मिट्टी नदी के सपाट से 6·50 रु0 प्रति घनमीटर की दर से भुगतान की जा रही है ? क्या रु0 11·50 प्रति घनमीटर की दर से अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खंड–2 द्वारा अधिक भुगतान किया गया है ? क्या इस कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गोमती बांधों के बीच में पड़ने वाले मकानों का मलवा तथा उसका प्राक्कलन

25—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती बांधों के बीच में पड़ने वाले कितने मकान अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खंड–2 द्वारा तोड़वाए गए ? क्या मकानों के नक्शे तथा प्राक्कलन स्वीकृत कराए गए थे ? तोड़ने से कितना सामान (मलवा) निकला ? इसका प्राक्कलन क्या था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

26—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री गौरी शंकर भैय्या—

[10वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

27—श्री अकबर हुसैन तथा श्री गौरी शंकर भैय्या—

[10वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

28—श्री भगवती सिंह विशारद—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटाया गया ।]

श्री काशी प्रसाद गुप्त, मुख्य लिपिक, जिला हरिजन एवं हरिजन समाज कल्याण, वाराणसी की वरिष्ठता तथा पदोन्नति पर विचार

29—श्री राजकुमार राय—

प्रथम सत्र 82 के पहले बुधवार के प्रश्नकर्त्ता के ता0 प्र0 सं0 12 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि तदर्थ एवं प्रोन्नति व्यवस्था द्वारा की गयी प्रोन्नतियों के निरस्त हो जाने पर श्री काशी प्रसाद गुप्त स्वयंमेव प्रोन्नति पा जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी नहीं ।

अनुपयुक्त को छोड़ते हुए वरिष्ठता के आधार के सिद्धान्त पर पूरे प्रदेश के वरिष्ठ लिपिकों की अन्तिम वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति की जाती है । वर्तमान समय में 16 पद खाली हैं । अतः उपरोक्त सिद्धान्त के आधार पर 16 कर्मचारियों की पदोन्नति का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

क्षेत्रीय प्रबन्धाधिकारी, गोरखपुर की देख-रेख में परिचालकों के पद हेतु इन्टरव्यू

30—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक 26-3-80 से 22-4-81 तक क्षेत्रीय प्रबन्धाधिकारी, गोरखपुर की देख-रेख में परिचालकों के पद हेतु इन्टरव्यू हुआ था? उसमें कुल कितने व्यक्ति चयनित हुए और उसमें से कितनों को सेवा में ले लिया गया तथा कितनों को लेना बाकी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री के0 बी0 लाल, सहायक अभियन्ता के स्थानान्तरण आदेश तथा पुनः उसी पद पर कार्यभार ग्रहण कराने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

31—श्री भगवती सिंह विशारद तथा श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री गौतम, अधिशासी अभियन्ता, नलकूप प्रखंड द्वितीय, इलाहाबाद ने शासनादेश के अनुसार श्री के0 बी0 लाल, सहायक अभियन्ता, नलकूप प्रखंड द्वितीय, इलाहाबाद को दिनांक 28 नवम्बर, 1980 को रिलीव कर दिया तथा श्री गौदम, अधिशासी अभियन्ता ने बिना शासन अथवा उच्च अधिकारी के आदेश के पुनः 15-12-80 को के0 बी0 लाल, सहायक अभियन्ता को उसी पद पर ज्वाइन करा दिया ? यदि हां, तो शासन ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मुख्य अभियन्ता ने 24-10-81 को श्री के0 बी0 लाल, सहायक अभियन्ता के स्थानान्तरण आदेश जारी किए । उक्त आदेशों के अनुपालन में विलम्ब होने पर मुख्य अभियन्ता ने अधीक्षण अभियन्ता को 2-11-81 को तार भेजा । फिर भी उक्त स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन नहीं कराया गया । अतः मुख्य अभियंता ने 12-11-81 को टेलीफोन द्वारा अधीक्षण अभियन्ता को यह निर्देश दिए कि श्री के0 बी0 लाल को उसी दिन कार्यमुक्त कर दिया जाय और अनुपालन रिपोर्ट भेजें ।

2—इस पर अगले दिन 13-11-81 को श्री के0 बी0 लाल ने मुन्सिफ के यहां से स्थगन आदेश प्राप्त किए जो जिला जज द्वारा 26-11-81 को निरस्त कर दिया गया । अन्ततोगत्वा 28-11-81 को श्री अशोक सिंह, सहायक अभियंता को चार्ज आज्यूम कराकर श्री के0 बी0 लाल को उसी दिन से कार्यमुक्त मान लिया गया ।

3—उसके बाद श्री के0 बी0 लाल, सहायक अभियंता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और 14-12-81 को स्थगन आदेश प्राप्त किए । इस स्थगन आदेश पर श्री लाल ने उसी दिन अधिशासी अभियन्ता को योगदान किया जिस पर अधिशासी अभियन्ता ने उसी दिन उन्हें योगदान करा दिया ।

4—उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका 24-12-81 को खारिज कर दी गई। अधिशासी अभियन्ता श्री गौतम को उनके कथनानुसार यह आदेश 1-1-82 को प्राप्त हुये फिर भी अधीक्षण अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता ने श्री लाल को कार्य मुक्त नहीं किया और श्री लाल को एक महीने से अधिक अवधि तक अपने पद पर बनाये रखा।

5—मुख्य अभियन्ता द्वारा शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किए जाने पर शासन ने 2-2-82 को श्री लाल, सहायक अभियन्ता के निलम्बन के आदेश पारित किए। मुख्य अभियन्ता ने 3-2-82 को विशेष पत्रवाहक द्वारा उक्त निलम्बन आदेश को श्री के0 बी0 लाल पर तामील करने हेतु अधिशासी अभियन्ता श्री गौतम के पास भेजा। यह आदेश श्री लाल पर व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं कराया जा सका। अतः 8-2-82 को पुनः श्री अशोक सिंह, सहायक अभियन्ता को चार्ज अज्यूम कराकर श्री लाल को 3-2-82 से कार्यमुक्त मान लिया गया। अगले दिन 4-2-82 को उक्त निलम्बन आदेश श्री लाल के पते पर भेजा गया और उसी दिन से उन्हें निलम्बित मान लिया गया।

6—दिनांक 28-11-81 को कार्यमुक्त मान लिए जाने के बाद भी श्री के0 बी0 लाल को किस प्रकार पुनः कार्यभार ग्रहण कराया गया तथा वे किन परिस्थितियों में दिनांक 3-2-82 तक खण्ड में कार्यरत रहे, के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता श्री ओ0 पी0 अग्रवाल और अधिशासी अभियन्ता श्री गौतम द्वारा मुख्यालय को न तो कोई सूचना दी गई और न मुख्यालय से कोई आदेश प्राप्त किये गये।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ निम्नलिखित कार्यवाही की गई :—

(क) सहायक अभियन्ता श्री के0 बी0 लाल को निलम्बित कर दिया गया।

(ख) अधीक्षण अभियन्ता श्री ओ0 पी0 अग्रवाल को भर्त्सनात्मक प्रविष्टि देने हेतु आदेश पारित कर दिये गये हैं।

(ग) अधिशासी अभियन्ता श्री गौतम के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

32—श्री पंचानन राय—

[10वें बुधवार के लिए स्थगित।]

आजमगढ़ जनपद में निर्माणाधीन शारदा सहायक के घोसी रजबहा के मार्ग का गलत निर्धारण से सम्बन्धित पत्र तथा सुझावों पर विचार

33—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 2रे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 84 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता द्वारा 25-2-81 को अन्तिम निर्धारण स्वीकृत किए जाने से पूर्व प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ प्राप्त सुझावों पर विचार हेतु कब-कब किस-किस अधिकारी द्वारा प्रश्नकर्ता से सम्पर्क स्थापित किया गया? यदि नहीं, तो क्या प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17-10-80 में प्राप्त सुझावों के सम्बन्ध में कोई पत्र व्यवहार किया गया? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि अन्तिम निर्धारण से पूर्व प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ प्राप्त सुझावों पर कोई विचार नहीं किया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह--

दिनांक 25-2-81 को अन्तिम निर्धारण के पूर्व प्रश्नकर्ता से सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया।

जी नहीं।

जी नहीं। प्रश्नकर्ता के सुझावों पर विचारोपरान्त अन्तिम निर्णय लिया गया।

नैथना (अल्मोड़ा) पेयजल योजना हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही

34--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 31 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही कब तक पूरी हो जाएगी और प्रश्नगत कूप का पुनः निर्माण कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही वर्ष 1982-83 में पूर्ण होने की सम्भावना है। उसके बाद ही उक्त राजकीय नलकूप के पुनः निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।

आश्रम पद्धति विकास विद्यालय ईश्वर शरण आश्रम इलाहाबाद में शिक्षा व्यवस्था तथा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम लागू न किये जाने का कारण

35--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 2रे बुधवार के लिए निर्धारित ता0 प्र0 सं0 17 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आश्रम पद्धति विकास विद्यालय ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद में किस परीक्षा तक की पढ़ाई होती है ? क्या यह माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है ? यदि हां, तो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम इस पर लागू न किये जाने के क्या कारण हैं ? तत्समय से वेतन भुगतान न करने के लिए संस्था के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गुलाब सेरा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ के स्टोर कीपर श्री बृजेन्द्र सिंह के विरुद्ध स्टोर से सामान गायब होने के आरोप की जांच

36--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ के स्टोरकीपर श्री बृजेन्द्र सिंह के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के ज्ञापन दिनांक 14-9-81 तथा 24-11-81 एवं स्टोर से सामान गायब होने की

संपरीक्षा आख्या परीक्षा स्थानीय निधि लेखा, उ0 प्र0 प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो आरोप क्या है तथा गायब सामान का मूल्य क्या है ? सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर में राजकीय हरिजन छात्रावास बनाने की योजना

37--श्री रामधनी तथा श्री राम करन--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में राजकीय हरिजन छात्रावास बनाने की योजना है ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ? तथा यह कब तक बन जायेगा ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां, जनपद गाजीपुर में एक छात्रावास छावनी लाइन पुलिस लाइन के पीछे बन कर तैयार हो गया है और शीघ्र नये सत्र से छात्रों को उपलब्ध होगा ।

38--श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

[10वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

39--श्री कुबेर भंडारी तथा श्री श्याम नारायण तिवारी--

[10वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

40--श्री राधे श्याम पटेल--

[10वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं का निर्माण तथा विलम्ब

41--श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 और वर्ष 1981-82 के लिए जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत किन-किन पेयजल योजनाओं का निर्माण प्रस्तावित है ? इन योजनाओं के निर्माण हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी तथा कितनी धनराशि जल निगम को अब तक दी जा चुकी है ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में कुल 159 पेयजल योजनाओं (122 चालू एवं 37 नई) का निर्माण प्रस्तावित था तथा वर्ष 1981-82 में कुल 232 पेयजल योजनाओं (137 चालू तथा 95 नई) का निर्माण प्रस्तावित है। उक्त योजनाओं के निर्माण हेतु 1980-81 में लगभग 232·19 लाख रु0 तथा 1981-82 में लगभग 251 लाख रु0 की आवश्यकता बताई गई, जिसके समक्ष जल निगम द्वारा 1980-81 में 286 लाख रु0 व्यय किया गया तथा वर्ष 1981-82 में 251 लाख रु0 व्यय किया जाना प्रस्तावित है ।

42—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि धनाभाव के कारण जनपद पौड़ी गढ़वाल में पेयजल योजनाओं का निर्माण लगभग ठप्प पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो इन पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ? क्या यह भी सच है कि गढ़वाल जनपद में जल निगम प्रत्येक शाखा को दो-दो लाख रुपये ही दिए जा रहे हैं ? यदि हां, तो उसका प्रयोजन क्या है ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता । जल निगम ने जनवरी, 1982 में पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित अपनी शाखाओं को दो-दो लाख रुपये की धनराशि आवंटित की थी । शाखाओं को निगम द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जा रहा है ।

जनपद गोरखपुर, ग्राम बलभरियां व शेखपुरवा के बीच बन रहे पुल का निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती-पत्रों की जांच

43—श्री फिरगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्त्ता ने जनपद, गोरखपुर के नारायणी शाखा खंड के अन्तर्गत ग्राम बलभरियां व शेखपुरवा (बड़हराराजा) की बीच बन रहे पुल के निर्माण के क्रम में सीमेन्ट की चोरी, ए० ई० द्वारा घूस लेने, घटिया सामान लगाने आदि की शिकायत स्थानीय नगर विभाग के अधिकारियों को दिनांक 20-1-82 द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

दिनांक 6-1-82 तथा 20-1-82 के दो शिकायती-पत्र प्राप्त हुये । शिकायत की जांच कराई गई तथा कार्य में घटिया सामान लगाने की शिकायत निराधार पाई गई, फिर भी पुल की चुनाई में से तोड़कर सीमेन्ट के मसाले के नमूने सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की को जांच हेतु भेजे गये हैं । जांच रिपोर्ट अभी तक अपेक्षित है ।

सहायक अभियन्ता द्वारा घूस लेने एवं सीमेन्ट की चोरी के आरोप निराधार पाये गये ।

श्री अयूब हसन, अधीक्षण अभियन्ता, बाराबंकी का निलम्बन तथा बहाली

44—श्री दीप नारायण—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 77-78 में श्री अयूब हसन, अधीक्षण अभियन्ता, बाराबंकी 7 लाख रुपये के गबन में लगातार दो साल तक निलम्बित रहे हैं ? यदि हां, तो उन्हें क्यों बहाल किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री अयूब हसन, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता को शासन के आदेश दिनांक 18-10-77 द्वारा उनके अधीनस्थ उपखण्डों में मिट्टी के कार्य में अधिक भाव एवं अधिक दर से भुगतान होने के कारण अनुशासनिक जांच पर्यन्त निलम्बित किया गया था। जांचोपरान्त उन्हें शासन के आदेश दिनांक 30-4-79 द्वारा पदारुढ़ किया गया, क्योंकि उन्हें सेवा मुक्त करने अथवा पदावनति करने जैसा कठोर दण्ड देना आवश्यक नहीं पाया गया।

45--फिरंगी प्रसाद विशारद--

[10वें बुधवार के लिए स्थगित]

सहायक अभियन्ता श्री के0 बी0 लाल को रिलीव न करने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

46--श्री कमला प्रसाद सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्त्ता का एक शिकायती-पत्र दिनांक 29-1-82 जनपद इलाहाबाद के अधिशासी अभियन्ता नलकूप प्रखण्ड द्वितीय के विरुद्ध शासनादेश के बावजूद वहां के सहायक अभियन्ता श्री के0 बी0 लाल को रिलीव न करने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

47--श्री बिहारी लाल--

[10वें बुधवार के लिए स्थगित]

केराकत राजबहा को मड़ियाहूं से थाना गद्दी तक पक्का कराने की मांग

48--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री शारदा नहर के मड़ियाहूं केराकत राजबहा के किनारे की पटरी (सड़क) मड़ियाहूं से थाना गद्दी तक पक्की कराकर आवागमन की सुविधा उपलब्ध करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

शारदा सहायक परियोजना में नहरों की पटरी (सड़क) पक्का कराने का प्राविधान नहीं है। केराकत राजबहा को मड़ियाहूं से थाना गद्दी तक की पटरी को पक्का कराने का प्रश्न नहीं उठता।

सरकार की निष्प्रयोज्य गाड़ियों की नीलामी में विधायकों को सुविधा देने की व्यवस्था

49—श्री जियाराम शुक्ल 'विकल' साकेती तथा श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार सेना में विधायकों को वाहन खरीदने की सुविधा प्राप्त है उसी प्रकार राज्य सरकार के नीलाम होने वाले वाहनों में विधायकों को सुविधा देने की व्यवस्था करेंगे ? क्या इस सम्बन्ध में लगभग चालीस विधायकों द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सरकार की निष्प्रयोज्य गाड़ियां संबंधित विभागों द्वारा स्वयं खुले नीलाम द्वारा बेची जाती हैं जिनमें विधायक भी बोली बोलकर उन्हें खरीद सकते हैं। विधायकों को इस संबंध में कोई सुविधा देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

नलकूप संख्या 110 बस्ती समूह का निर्माण तथा विद्युतीकरण

50—श्री परमात्मा प्रसाद सिंह तथा श्री दीनानाथ पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नलकूप नं0 110 बस्ती ग्रुप को बने कितना दिन हुए ? क्या इस नलकूप में विद्युत कनेक्शन नहीं लगा है ? यदि हां, तो क्यों और किसकी शिथिलता से ? क्या सरकार जिम्मेदार कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नलकूप संख्या 110 बस्ती समूह का मूल निर्माण वर्ष 1956 में हुआ था। नलकूप के विफल होने के उपरांत इसका पुनः निर्माण जुलाई 1980 में कराकर बी0 एण्ड एल0 फार्म विद्युतीकरण हेतु विद्युत विभाग को मार्च 1981 में भेज दिया गया है। शेष प्रश्न नहीं उठता है।

51—श्री भागीरथ—

(10 वें बुधवार के लिए स्थगित)

सदानन्द महाविद्यालय छिउलहा के प्राचार्य द्वारा हरिजन छात्र-वृत्ति अधिक निकालने व उसका दुरुपयोग करने के संबंध में जांच

52—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या फतेहपुर के दौरे के समय कोई ज्ञापन मन्त्री जी को दिनांक 9 जनवरी, 1982 को फतेहपुर डाक बंगले में श्री हरिश्चन्द्र गुप्त संयोजक व श्री वीरेन्द्र अवस्थी मन्त्री छात्र संघर्ष समिति सदानन्द महाविद्यालय छिउलहा द्वारा दिया गया था ? जिसमें सदानन्द महाविद्यालय छिउलहा के प्राचार्य द्वारा सन् 1980-81 हरिजन छात्रवृत्ति अधिक निकालने व उसका दुरुपयोग करने के अतिरिक्त कई आरोप लगाये गये थे ? यदि हां, तो इस ज्ञापन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां।

दिनांक 9-1-82 को श्री हरिश्चन्द्र गुप्त, संयोजक व श्री वीरेन्द्र अवस्थी, मंत्री छात्र संघर्ष समिति सदानन्द महाविद्यालय, छिउलहा, फतेहपुर का पत्र प्राप्त हुआ था।

इस शिकायती पत्र पर जांच विभागीय जांच सेल द्वारा कराई जा रही है।

राजकीय प्रमाणित संस्था इलाहाबाद में संवासियों की संख्या तथा उनके लिए क्रय किये गये कपड़े

53--श्री ऊदल--

प्रथम सत्र 1982 के 3रे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के संदर्भ में क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय प्रमाणित संस्था इलाहाबाद में सन् 76-77 से 81-82 तक कितनी संवासियां प्रत्येक वर्षों में थीं और क्या कम्बल, स्वेटर, चादर कपड़े जो खरीदे जाते थे वह एक वर्ष के लिए ही होते थे ? इस मामले में, जिसमें 6 वर्षों में ही 8 लाख रुपया व्यय किया गया है, जांच न करने का कारण क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में विकलांगों हेतु संचालित योजनायें

54--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विकलांगों की पैकेज योजना से क्या तात्पर्य है तथा यह योजना प्रदेश में कब से लागू हुई है तथा इसमें अब तक कितने लोग लाभान्वित हुए हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

प्रदेश में पैकेज योजना के नाम से कोई योजना संचालित नहीं है किन्तु अपंगों के कल्याणार्थ छात्रवृत्ति, कृत्रिम अंग हेतु अनुदान आदि अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं।

55--श्री बलवीर सिंह--

[10वें बुधवार के लिए स्थगित]

56--श्री सुरेन्द्र कुमार--

[10वें बुधवार के लिए स्थगित]

57--श्री सुरेन्द्र कुमार--

[10वें बुधवार के लिए स्थगित]

प्रदेश में गत दो वर्षों में पिछड़ी जाति को छात्रवृति न दिए जाने का कारण

58--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के दूसरे बुधवार(दिनांक 27-1 1982) के लिए तारांकित प्रश्न संख्या-1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विधायकों के ज्ञापन, दिनांक 5-11-80, 20-11-80, 28-11-80 तथा 15-9-81 में उल्लिखित आरोपों की जांच किस दिनांक से आरम्भ हुई, जांच किस स्टेज पर है और जांच के परिणाम से कब तक अवगत करायेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पर्वतीय जिलों में कुटीर लघु उद्योगों की स्थापना पर व्यय

59--श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष कुल कितनी धनराशि पर्वतीय जिलों में कुटीर लघु उद्योगों की स्थापना पर व्यय हुई और उसमें से कितनी धनराशि किस-किस जिले में कितने व्यक्तियों को दी गयी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

वर्ष 1980-81 में जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु कुल 39,74,000 रु0 स्वीकृत किया गया था । जिलेवार सूचना निम्नवत् है :--

जिला	स्वीकृत धनराशि (लाख रु0)	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1--चमोली	5.420	12
2--पौड़ी	6.425	52
3--टिहरी	5.365	34
4--उत्तरकाशी	5.720	50
5--देहरादून	7.100	47
6--अल्मोड़ा	2.670	27
7--पिथौरागढ़	2.670	69
8--नैनीताल	4.370	33

पर्वतीय जिलों के लिए हिल कैडर बनाने की घोषणा तथा कार्यरत कर्मचारियों द्वारा दिये गये आप्शन

60--श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों के लिए जो हिल कैडर बनाने की घोषणा गत वर्ष की गयी थी उसका कार्यान्वयन

कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उन सभी कर्मचारियों से जो वहां पर कार्यरत हैं, आप्शन ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

पर्वतीय क्षेत्र में लघु सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, तथा सार्वजनिक निर्माण विभागों द्वारा सेवाओं में एक निर्दिष्ट स्तर तक उप संवर्ग बनाये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। सिंचाई विभाग, कृषि तथा भूमि संरक्षण विभाग, पशुपालन विभाग, उद्योग एवं फलोपयोग विभाग, तथा सामुदायिक विकास विभागों द्वारा उप संवर्ग गठन किये जाने की कार्यवाही का अनुसरण किया जा रहा है। सम्बन्धित संवर्गों के कर्मचारी, चाहे वे वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्र में तैनात हों अथवा उसके बाहर, इस प्रकार गठित उप संवर्गों के लिये विकल्प दे सकते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा उप संवर्ग में चयन हेतु सम्बन्धित अधिकारियों कर्मचारियों से विकल्प मांगे गये हैं।

जनपद गोरखपुर में हरिजनों को मिलने वाली छात्रवृत्तियों में फर्जी हरिजन प्रमाण पत्र प्रेषित कर अन्य व्यक्तियों द्वारा लेने सम्बन्धी शिकायती पत्र

61--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

जनपद गोरखपुर में छात्रवृत्तियों, पुस्तकीय सहायता व अन्य विभागीय सुविधा, जो हरिजनों को मिलती है उसका खुला लाभ फर्जी हरिजन प्रमाण-पत्र प्रेषित कर अन्य व्यक्तियों द्वारा लेने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ0 प्र0, लखनऊ को दिए गये शिकायती-पत्र, दिनांक 4-2-82/ जिसकी प्राप्ति निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक कृते निदेशक करके पत्रांक 761/ वै0 स0/विविध/82, लखनऊ, दिनांक 4 फरवरी, 1982 द्वारा की है, पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

62--श्री शेर बहादुर, श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री दूधनाथ राजभर--

[10 वें बुधवार के लिए स्थगित]

63--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[10 वें बुधवार के लिए स्थगित]

64--श्री राम चरण सिंह--

[10 वें बुधवार के लिए स्थगित]

सेमरी बंधी नं0 9, जिला मिर्जापुर का निर्माण कार्य पूरा किये जाने की कार्यवाही

65--श्री राम चरण सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र, दिनांक 29-11-81 को सेमरी बंधी नं0 9, जिला मिर्जापुर के अधूरे कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में लिखा था, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। प्रश्नकर्ता का पत्र 29-11-81 का न होकर 25-12-81 का है।

सेमरी बंधी का अधिकांश निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस बन्धी स्थल की नींव में चट्टानों की सघनता हेतु कुछ भाग में उपचार किया जाना है, जिसके पूर्ण होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य को पूर्ण करने की कार्यवाही की जायेगी।

गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान में शहीद स्मारक के शिलान्यास तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के सम्मेलन में दी गई सुविधाएं तथा स्मारक के निर्माण पर व्यय

66--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान में 6 फरवरी, 82 को शहीद स्मारक के शिलान्यास तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के सम्मेलन में क्या सहायता व सुविधा दी गई और इस अवसर पर उ0 प्र0 शासन के मुख्य मंत्री सहित किन मंत्रियों ने भाग लिया ? शहीद स्मारक के निर्माण तथा चौरी चौरा के विकास पर कितना-कितना धन व्यय होगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान में स्वतन्त्रता संग्राम में शहीद हुए व्यक्तियों की स्मृति में स्मारक निर्माण हेतु शासन ने 1,53,000 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है। दिनांक 6-2-82 को चौरी चौरा में हुए स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गोरखपुर, वाराणसी फैजाबाद एवं लखनऊ मंडल के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा शासन द्वारा प्रदान की गई। शिलान्यास के समारोह तथा सम्मेलन में माननीय मुख्य मन्त्री जी, राजनैतिक पेंशन मंत्री, परिवहन एवं सिंचाई मंत्री, राज्य मंत्री उर्जा, राज्य मंत्री सहकारिता, राज्य मंत्री हथकरघा, उप मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा मंडलीय मंत्री, गोरखपुर ने भाग लिया। चौरी चौरा में बनाये जाने वाले शहीद स्मारक एवं स्थल के विकास हेतु पुनरीक्षित आगणना बनाया जा रहा है। आगणन के तैयार होने पर ही विदित होगा कि स्मारक के निर्माण एवं स्थल के विकास में कितना धन व्यय होगा।

किच्छा-रुद्रपुर नैनीताल मार्ग का विस्तार तथा किसानों की खेतिहर भूमि से मिट्टी की ढुलाई

67--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किच्छा-रुद्रपुर, जिला नैनीताल मार्ग का विस्तार करने हेतु शासन ने स्वीकृति दी है ? यदि हां, तो इस कार्य को विभाग कब से करने जा रहा है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी हां। कार्य अगस्त, 1981 से आरम्भ कर दिया गया और प्रगति पर है।

68—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या यह सत्य है कि विस्तार हेतु जो मार्ग बनाया जा रहा है उसके लिए गांव के किसानों की खेतिहार भूमि से मिट्टी या ढुलना किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी, नहीं ।

अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध मन्दिर, संकिसा, जिला फर्रुखाबाद में महावीर हनुमान की मूर्तियों की स्थापना

69—श्री गोरेलाल शाक्य—

क्या सरकार को जानकारी है कि अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध मन्दिर, संकिसा, जिला फर्रुखाबाद में महावीर हनुमान की मूर्तियों की स्थापना गत जनता सरकार के शासन काल में की गई थी ? यदि हां, तो ऐसे स्थान पर अन्य धर्म की मूर्तियां लगाने का क्या औचित्य है ?

श्री गुलाब सेहरा—

स्थानीय जांच के अनुसार, जिला फर्रुखाबाद के संकिसा स्थित बौद्ध मन्दिर के परिवार में एक काफी ऊंचे टीले पर विसारी देवी का एक प्राचीन मन्दिर है और इस मन्दिर के उत्तर में हनुमान जी की दो मूर्तियां उसी टीले पर विद्यमान हैं । हनुमान जी की एक मूर्ति पत्थर की है जो बहुत प्राचीन है और दूसरी मूर्ति सीमेन्ट की है जो वर्ष 1978 में स्थापित की गई, बताई जाती है ।

इस टीले से लगभग 200 गज की दूरी पर एक अन्य मन्दिर है जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति विद्यमान है ।

ग्राम दौलतपुर के पुरवा-पूरे बाबू बहादुरगंज एवं ग्राम रसूलपुर पर स्थित नाले पर पुल निर्माण का विचार

70—श्री दीप नारायण—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दौलतपुर-रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर की सीमा पर एक बड़ा नाला है जिससे ग्राम बरसन्डा-मगरौती लगभग 50 ग्रामों के निवसियों को जाफरगंज मन्डी आने-जाने में बड़ी असुविधा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम दौलतपुर के पुरवा-पूरे बाबू बहादुरगंज एवं ग्राम रसूलपुर पर स्थित नाला पर एक पुलिया का निर्माण कराने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

यह एक प्राकृतिक नाला है जिस पर सिंचाई विभाग द्वारा पुल निर्माण का कोई विचार नहीं है ।

श्री माता प्रसाद, ग्राम धमोलिया की बस दुर्घटना में मृत्यु तथा आश्रितों को आर्थिक सहायता

71--श्री मित्रसेन--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माता प्रसाद पुत्र करिया, ग्राम धमोलिया की मृत्यु दिनांक 6 दिसम्बर, 1981 को रोडवेज, फैजाबाद बस नं0 7887 यू0 पी0 एक्स से हुई दुर्घटना में हो गई है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध सं0 261, धारा 204-ए, थाना इनायत नगर, फैजाबाद में दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो मृतक के परिवार व आश्रितों को सरकार द्वारा क्या आर्थिक सहायता की गई और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नलकूपों के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु टी0 एण्ड पी0 पार्ट्स व विभिन्न मशीनों की आपूर्ति

72--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी0 पी0 गोयल, मुख्य अभियन्ता (नलकूप) जब नलकूप मण्डल, लखनऊ में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर कार्यरत थे तो उक्त मण्डल एवं उसके अधीन खन्डों, उपखन्डों में नलकूपों के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु कितने रुपए की प्रति वर्ष की दर से टी0 एण्ड पी0 पार्ट्स व विभिन्न मशीनों की आवश्यकता थी तथा इन आवश्यकताओं के विपरीत कितने-कितने रुपए का क्रय किया गया तथा इस क्रय किए गए सामान में से कितने सामान का अब तक उपयोग हो चुका है तथा कितना सामान उपयोग हेतु शेष है ? इस शेष सामान में कितने मूल्य का सामान अब उपयोगी नहीं रह गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नलकूपों के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु टी0 एण्ड पी0 पार्ट्स व विभिन्न मशीनों की आपूर्ति आवश्यकतानुसार नलकूपों की स्वीकृत परिकल्पना एवं तत्कालीन दरों पर ली जाती है । 22 जुलाई, 1977 से 15 अगस्त, 1980 की प्रश्नगत अवधि में विभिन्न मुख्य मदों के अन्तर्गत निम्नलिखित धनराशि के सामान का क्रय अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं द्वारा किया गया :

क्र0 सं0	वर्क का नाम	धनराशि
1	2	3
		रु0
1	टी0 एण्ड पी0 व मशीन	11,25,320·21
2	स्पेयर पार्ट्स	30,51,831·41

1	2	3
3	रिवाइन्डिंग मेटेरियल तथा अनुरक्षण का अन्य सामान	8,48,345·77
4	नलकूपों के निर्माण हेतु सामान	16,54,320·89
	योग ..	66,79,818·28

उपरोक्त धनराशि में से 66,66,363·28 रुपये के सामान का उपयोग हो चुका है व 13,455·00 रुपये का सामान उपयोग हेतु शेष है। शेष सामान में कोई अनुपयोगी नहीं है।

जिला देवरिया के सोनदिया रजबहा पर दक्षिण नहर टूटने से फसल की क्षति

73—श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नारायण तिवारी—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जिला देवरिया के पडरौना तहसील स्थित सोनदिया रजबहा पर सोनदिया ग्राम के लगभग 3 फर्लांग दक्षिण नहर टूटने से पचासों एकड़ कृषि भूमि एवं फसल नष्ट होने से बचाने हेतु 26 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, दिनांक 11 मई, 1981 के साथ किसी विधायक का पत्र, दिनांक 12 मई, 1981 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, प्रश्नकर्ता द्वारा नहर के बारे में बताई गई सब शिकायतों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करा दी गई है। जहां तक उनकी शिकायतों में पुलिया के निर्माण का सम्बन्ध है, यह मांग उचित नहीं है, क्योंकि इस स्थान के ऊपर व नीचे 500 मीटर की दूरी पर पुल बने हुए हैं।

राज्य सड़क परिवहन के पूर्वी जोन में बैट्री का अभाव तथा अधिक डीजल खर्च होने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

74—श्री पंचानन राय—

क्या विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 4थे बुधवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 42 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1980 से 30 नवम्बर, 1980 तक 2,07,85,850 रुपये के घाटे के लिए कौन से अधिकारी उत्तरदायी थे? बैट्री के अभाव का क्या कारण था तथा इस कारण 1,14,08,807 रु० का अधिक डीजल खर्च होने के लिए कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर के कर्मचारियों का बकाया वेतन

75—श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 रा0 स0 प0 निगम क्षेत्र, गोरखपुर में कितने कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें जुलाई, 1964 से जुलाई, 1972 तक के अवधि का वेतन नहीं मिला, परन्तु वार्षिक बढ़ोत्तरी का पैसा पा रहे रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोरखपुर क्षेत्र में केवल एक ऐसा कर्मचारी है, जिसे सेवा में अनुपस्थित रहने के कारण मई, 1964 से अप्रैल, 1971 तक का वेतन नहीं मिला परन्तु वार्षिक बढ़ोत्तरी पा रहा है। इस प्रकरण की छानबीन की जा रही है।

कानपुर से गोरखपुर जाने वाली सड़क परिवहन निगम की बस ट्रक से टकरा जाने से मृत तथा घायल व्यक्ति

76—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 10-12-81 को कानपुर से गोरखपुर जाने वाली सड़क परिवहन निगम की बस लखनऊ गोरखपुर रोड पर स्थित मुमताज नगर कस्बे में ट्रक से टकरा गयी है, और एक व्यक्ति मर गया तथा 17 घायल हो गये हैं ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

वाराणसी-मिर्जापुर मार्ग पर पड़ने वाले नारायनपुर पुल का निर्माण

77—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी-मिर्जापुर मार्ग पर पड़ने वाले नारायनपुर पुल का निर्माण कार्य गत 3 वर्षों से चल रहा है और अभी तक पूरा न होने से लोगों को और असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुल का निर्माण शीघ्र करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नरायनपुर मुख्य नहर के वाराणसी-मिर्जापुर मार्ग पर पड़ने वाले पुल का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

हल्द्वानी, जनपद नैनीताल में बाई-पास रोड बनाने की योजना

78—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हल्द्वानी जनपद नैनीताल में बाई-पास रोड बनाने की योजना है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

बरेली-नैनीताल मार्ग पर हल्द्वानी पर बाईपास का एक प्रस्ताव वर्ष 1979-80 में प्राप्त हुआ था, विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया कि इसके निर्माण की तात्कालिक आवश्यकता नहीं है ।

किसान इन्टर कालेज, परशुरामपुर, बस्ती की छात्रा कु0 इन्द्रावती देवी चौधरी को छात्रवृति देने में विलम्ब तथा प्रधानाचार्य द्वारा अन्य हरिजन तथा पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के भुगतान का तिथिवार विवरण

79--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्द्रावती देवी चौधरी पुत्री श्री साहब राम चौधरी, कक्षा 11-12, किसान इन्टर कालेज, परशुरामपुर, बस्ती की पिछड़ी जाति की छात्रवृत्ति रु0 1388 वर्ष 1,978-79 तथा 1979-80 का भुगतान नहीं किया गया और छात्रा ने छात्रवृत्ति का धन प्राप्त करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती, हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, बस्ती एवं मन्त्री, हरिजन समाज कल्याण विभाग तथा अन्य अधिकारियों को दिनांक 19-12-79, 13-6-80, 4-7-80, 15-10-80, 15-5-81, 21-8-81 को पत्र प्रेषित किया है ? इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

80--श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसान इन्टर कालेज, परशुरामपुर, जिला बस्ती के प्रधानाचार्य ने कितना धन हरिजन तथा पिछड़ी जाति के छात्रों के छात्रवृत्ति के रूप में वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81 में निकाला है और किस-किस तारीख में हरिजन एवं पिछड़ी जाति के छात्रों के बचत खाते में जमा किया या छात्रों को किन-किन तारीखों में भुगतान किया ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर, ग्राम बागपार के टीला बरैठवा के निकट बन रहे पुल के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

81--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सिचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र, महाराजगंज में ग्राम बागपार के टीला बरैठवा के निकट बन रहे पुल में घटिया ईंट, कम मिट्टी व सीमेंट लगाने तथा सीमेंट को काले बाजार में बेचे जाने आदि के सन्दर्भ में प्रश्नकर्त्ता व जनता ने माह अप्रैल, 81 से अक्तूबर, 81 तक कितनी शिकायतें स्थानीय अधिकारियों व शासन को भेजी हैं ? अब तक इन शिकायतों के ऊपर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम बागपार के टोला बरैठवा के निकट बन रहे पुल के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 27 अप्रैल, 81 के साथ सर्वश्री शम्भू दयाल वर्मा, सन्तराज वर्मा तथा राधेश्याम यादव का संयुक्त एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था। अधीक्षण अभियन्ता, गन्डक नहर, गोरखपुर ने शिकायतों की जांच की। शिकायतें निराधार पायी गईं।

दारुलशफा के 'ए' ब्लाक के पहले गेट पर एक लाश पड़ी होने की सूचना

[12 बजकर 10 मिनट]

*श्री मोती लाल देहलवी--

एक बहुत गम्भीर घटना थी उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी टेलीफोन आया दफ्तर में (व्यवधान) आप सुन तो लें। एक मिनट सुन लें। मेरे निवास से मेरी श्रीमती ने दफ्तर को टेलीफोन किया है कि दारुलशफा 'ए' ब्लाक में पहले गेट पर एक लाश मिली है और उसके बारे में यह वहां चर्चा चल रही है कि यह लाश भदोही के किसी विधायक के यहां से निकली हुई है। यह बड़ी गम्भीर घटना है। माननीय गृह मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं अभी जानकारी करा लें, और, मान्यवर, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आज ही इस सम्बन्ध में इसकी जानकारी दे दें। आखिर इसका रहस्य क्या है? बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष--

आपने यह सूचना दी है। माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में हैं, उसको देख लेंगे।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, प्रश्नों के बारे में....

श्री अध्यक्ष--

301 हो जाने दीजिए।

जमुना नदी में अचानक भारी मात्रा में पानी बढ़ जाने के कारण जनपद मथुरा व आगरा के किसानों की जायद की फसल की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[12 बजकर 13 मिनट]

*श्री बदन सिंह --

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं। गत 7 मार्च, 82 को जमुना नदी में अचानक अप्रत्याशित पानी भारी मात्रा में आ जाने से जनपद आगरा व

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मथुरा में जमुना की धारों में बोई हुई जायद की खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, काशीफल, लौकी, तोरई, करेला आदि की सभी फसलें पूरी तरह जमुना के पानी में बहकर नष्ट हो गई। इन फसलों के बहने से किसानों का करोड़ों रुपये का नुकसान तो हुआ ही है पर सभी जायद की फसल की तरकारियां उपभोक्ताओं को दुर्लभ हो गई हैं। किसान इस दैवी आपदा से भारी दुःखी हैं और आम जनता को बाजारों में सब्जियां उपलब्ध नहीं हो रही हैं और न आगे भी मिल पायेंगी।

अस्तु मेरी शासन से मांग है कि जायद फसल उत्पादक किसान को सभी देय धनराशियां माफ कर दी जायं और जायद फसल की पुनः बोने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जाय ताकि ग्रीष्मकालीन सब्जियां जनसाधारण को मिल सके।

मुरादाबाद के चिकित्सालयों में कुत्ते से काटे हुये मरीजों से 10 रुपये लेकर इंजेक्शन लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन--

महोदय, इस समय मुरादाबाद के चिकित्सालयों में लगभग 150 कुत्ते से काटे हुये मरीजों को इंजेक्शन लग रहे हैं। दिनांक 4, 5 मार्च को वह मरीज जब इंजेक्शन लगवाने गये तो उनको बताया गया कि इंजेक्शन समाप्त हो गये हैं और इस समय केवल डाक्टर बहुगुणा सुपरिन्टेन्डेन्ट चिकित्सालय के घर पर लगभग 50 इंजेक्शन रखे हैं, जो केवल कुछ खर्च करने पर ही मिल सकते हैं।

ज्ञात हुआ है कि एक-एक इंजेक्शन पर 10 रुपये देना पड़ता है, इस तरह से इन तारीखों पर किसी भी कुत्ते से काटे हुये मरीज को इंजेक्शन नहीं लग सका तथा उनका जो इलाज चल रहा था उसमें बाधा पड़ी।

डाक्टर बहुगुणा सुपरिन्टेन्डेट के इस आचरण से मुरादाबाद चिकित्सालय में व्यापक रूप से विशेष तौर से कुत्ते से काटे हुये मरीजों में भय, चिन्ता, अविश्वास और असन्तोष की भावना उत्पन्न हो गयी है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर नियम 301 के अन्तर्गत माननीय सदन के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

बड़ौत (मेरठ) में श्रीमती ऊषा जैन को दहेज की लालच में ससुराल वालों द्वारा मार दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम कुमार भार्गव--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। दहेज का दानव एक और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम कुमार भार्गव--]

नव-वधू को निगल गया और दहेज के लालची जानवर एक नवयौवना की बलि चढ़ाकर खुले आम समाज में घूम रहे हैं। इस घटना की सूचना मृतक ऊषा जैन पत्नी आनन्द कुमार जैन के भाई रमेश व चचेरे भाई सुमन्त प्रसाद जैन द्वारा थाना बड़ौत जिला मेरठ में एफ0 आई0 आर0 लिखाई गई जो क्राइम नं0 71/82 सरकार बनाम आनन्द कुमार वगैरह धारा 302/201 आई0 पी0 सी0 में दर्ज हैं।

मृतका ऊषा जैन का विवाह लगभग दो वर्ष पूर्व बड़ौत निवासी आनन्द कुमार जैन पुत्र सेवा राम के साथ धूमधाम से हुआ था। मृतक ऊषा जैन भविष्य के सुनहरे सपने लेकर ससुराल गई मगर नियति को कुछ और मन्जूर थी। इसके पति एवं ससुर ने मिल कर इसे कम दहेज लाने पर प्रताड़ना देना शुरू किया और प्रति हो गई। 16 फरवरी, 1982 को जब इसकी ननद का विवाह हुआ और इसको आड़ में लेकर इसके ससुर ने दस हजार रुपया यह कहकर कि कर्ज चुकाना है, ऊषा जैन से अपने मायके से मंगवाने को कहा। 15 दिन भी इन्तजार न कर पाये और 1/2 मार्च, 1982 की रात को ऊषा जैन को पति, ससुर, देवर, सास व ननदों ने मिलकर मार डाला और लाश उस घर के नजदीक उस कुएं में फेंकी जिस पर जो ढक्कन लगा है उसे दो या तीन व्यक्ति मिलकर ही उठा सकते हैं। 7 मार्च को हरदोई ऊषा जैन के मायके में टेलीग्राम इसके पति की तरफ से मिला कि ऊषा गायब है। हरदोई से इसके भाई 12 मार्च को बड़ौत पहुंचे, 13 मार्च दोपहर गांव में में सुबबुग हुई कि कुये में लाश है। लाश निकाली गई। अभागी ऊषा की लाश को उसके ससुराल की औरतों ने पहचानने से इन्कार किया। ससुराल के मर्द फरार हो गये, मृतका ऊषा के भाइयों ने लाश पहचानी। वहीं बड़ौत में अकेले उसके पोस्ट मार्टम एवं एफ0 आई0 आर0 लिखवाने का एवं अपनी बहन का अकेले क्रिया कर्म किया और शर्मनाक यह है कि अभीतक यह नामजक मुलजिम समाज में खुले आम घूम रहे हैं और दबाव डलवाकर गलत कहानी सामने लाना चाहते हैं। दहेज की कुप्रथा अपने देश से कभी समाप्त नहीं होगी यदि ऐसे मामलों पर लापरवाही बरती गई। जनमानस में रोष व्याप्त है, मुलजिमों को अतिशीघ्र गिरफ्तार कर कठोर दन्ड दिया जाय जिससे दहेज के लालचियों को नसीहत मिले।

उत्तर प्रदेश हरियाणा के सीमा विवाद को लेकर तनावपूर्ण स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री किरन पाल सिंह--

महोदय, मैं जनपद बुलन्दशहर में व्याप्त एक अविलम्बनीय लोक महत्व की स्थिति की तरफ आपका व सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद के 22 गांव तथा खुर्जा तहसील के 17 गांवों की सीमा हरियाणा प्रदेश के जनपद फरीदाबाद से मिलती है। दोनो प्रदेशों के बीच सीमा यमुना नदी की गहरी धारा वर्ष 1934 से भारत सरकार के नोटिफिकेशन संख्या 350/83। पब्लिक दिनांक 13-12-1934 से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मानी जाती रही है। तब से आज तक यमुना नदी के कटाव के कारण दोनों प्रदेशों के बीच की सीमा रेखा अदलती बदलती रही है तथा उसी प्रकार से दोनों प्रदेशों के राजस्व विभाग के अधिकारी अपने नक्शों में तबदील हुई हदबंदी दर्ज करते रहे हैं। पिछले अनेक वर्षों से हरियाणा सरकार के राजस्व अधिकारियों ने अपने नक्शों में तरमीम करना बंद कर दिया है। इससे लगभग 25 हजार एकड़ भूमि पर दोनों प्रदेशों के सीमा पर रहने वाले नागरिकों के मध्य भूमि विवाद उत्पन्न हो गया है। उक्त भूमि पर उत्तर प्रदेश के किसान अपनी फसल बोते हैं तथा हरियाणा के किसान अपने प्रदेश की पुलिस की मदद से हथियारों से लैस होकर उस फसल को जबरिया काट ले जाते हैं। पिछले वर्ष माह सितम्बर में खरीफ की फसल जो हमारे यहां के किसानों ने बोई थी हरियाणा के किसान अपने यहां की पुलिस की मदद से काट ले गये तथा हरियाणा के लोगों के द्वारा भारी फायरिंग किये जाने से गांव फलेंदा के निवासी श्री टेक सिंह व भूले सिंह को गोलियां लगी, जिसकी रिपोर्ट थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर में दर्ज है, कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। अब रबी की फसल जो हमारे यहां के किसानों ने बोई थी उसको भी हरियाणा के किसानों ने काटने के लिए कुप्रयास शुरू कर दिये हैं।

इस वर्ष फरवरी के अंत में उन लोगों ने अपने यहां के पुलिस के साथ आकर तहसील खुर्जा के गांव कानोगढ़ी पर अग्नेय अस्त्रों से हमला किया तथा वहां के अनेकों घरों में आग लगा दी, महिलाओं व कन्याओं के साथ अनैतिक व्यवहार किया, जिसकी रिपोर्ट थाना जेवर में दर्ज करायी गयी। रबी की फसल काटने का वक्त आने पर उक्त इलाके में पूरी तरह से तनाव व्याप्त है। हमारे प्रदेश का प्रशासन व सरकार हरियाणा के मुकाबले में उक्त विषय की ओर नगन्य ध्यान दे रही है। दोनों सूबों की पुलिस शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उक्त हलके में तैनात कर दी गयी है। लेकिन हमारे यहां पुलिस प्रशासन व सरकार की निष्क्रियता की वजह से हरियाणा के किसान वहां के प्रशासन व सरकार की पूरी मदद होने के कारण हमारे यहां के लोगों पर हावी हैं। कभी भी कोई संगीन घटना घट सकती है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त समस्या के समाधान हेतु सरकार को शीघ्र कदम उठाने का निर्देश प्रेषित करें।

हरदोई जिला जेल में कुख्यात अपराधी श्री राम नारायण द्वारा एक बन्दी रक्षक को गोली मार देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोती लाल देहलवी--

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर निम्न विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं--

कल दिनांक 16 मार्च, 1982 को न्यायालय से हरदोई जिला जेल में वापस आये हुए श्री राम नारायण नामक एक कुख्यात अपराधी ने जेल के अन्दर बन्दी रक्षक श्री राम शंकर गुप्ता को उस समय गोली मारी जब कि उक्त बन्दी रक्षक गश्त कर रहे थे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोती लाल देहलवी--]

उपरोक्त बन्दी अपराधी हरदोई की जेल से भाग निकलने की नीयत से जेल की बाहरी दीवार के किनारे छुपा हुआ बैठा था ।

उपरोक्त कुख्यात बन्दी अपराधी का न्यायालय से वापस आने पर उसको बैरिक के अन्दर न बन्द किया जाना तथा उसके पास तमंचे का रहना आदि रहस्यमय तथा घोर चिन्ता का विषय है ।

घटित घटना से परिलक्षित है कि जेल व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था बड़े बदमाशों को नियंत्रित करने में कितनी अक्षम सिद्ध हो रही है ।

आज प्रश्नोत्तर काल में सिंचाई मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह द्वारा श्रीमती गौरी देवी द्वारा लिखे गये पत्रों को दिखाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

[12 बज कर 23 मिनट]

*डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, मैं विनम्र शब्दों में आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । आपने देखा होगा कि आज प्रश्न काल में जब माननीया गौरी देवी का प्रश्न माननीय सिंचाई मंत्री दे रहे थे ...

श्री अध्यक्ष--

वह समाप्त हो गया, इसे फिर क्यों आप उठा रहे हैं ? वह माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने उठाया था और समाप्त हो गया ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, उत्तर देने के बजाय उनके जितने भी पत्र थे उनको फाइलों से उठा-उठाकर सदन में दिखा रहे थे । यह कोई नयी घटना नहीं है । माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर में कई बार फाइलों से उठा-उठाकर दिखाये जाते हैं । मैं आपसे जानना चाहता हूं चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, सभी लोग अपनी सिफारिशें देते रहते हैं । मेरा विनम्र निवेदन है कि क्या इस प्रकार से पत्रों को बिना प्रसंग के लाना उचित है ? मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं क्या यह रुचिकर है, श्रेयष्कर है, यह गरिमापूर्ण विषय है ? बार-बार इस प्रकार के पत्र आते हैं इससे कोई गौरवशाली और प्रभावशाली परम्परा नहीं बनती है । तो हमको भी छूट दी जाय कि हम भी फाइलें निकालें कि किस प्रकार के माननीय सदस्य पत्र देते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस पर बहस नहीं हो सकती है । इस पर विवाद नहीं है, आप बैठ जाइये । मैंने उन्हीं को रोका था ।

(व्यवधान)

आप (डाक्टर बृजकिशोर मिश्र से) कृपया बैठें ...।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र—

मंत्री जी ने जो फाइलों से दिखाया है, वह ठीक है। जब सबको सिफारिश करने की इतनी छूट है और मंत्री जी ने उस सिफारिश को नहीं माना तो क्या यह तरीका है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन पर कीचड़ उछाला जाये ? तो मैं आपसे निवेदन करूंगा . . .

(व्यवधान)

यह कोई तरीका नहीं है कि किसी पर कीचड़ उछाला जाये।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, एक मिनट सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, अब कोई प्रश्न नहीं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मेरा दूसरा प्रश्न है, आप सुन तो लीजिए।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

आप मेरी व्यवस्था तो दे दीजिए कि क्या यह परम्परा ठीक है ?

श्री अध्यक्ष—

क्या मैं बिना खड़े हुए, बिना बोले हुए कोई निर्णय दे सकता हूं। आप लोग मुझे बोलने तो दें। जब राजेन्द्र कुमार गुप्त ने यह बात उठाई थी, उसी वक्त इस सम्बन्ध में मैंने यह कहा था कि भावावेश में कुछ बातें उधर से हुई और आपने पत्र भी दिखाया है, जो नहीं होनी चाहिये। यह मैं पहले कह चुका हूं। इसको दुबारा-तिबारा उठाना उचित नहीं है। यह नहीं होना चाहिये, यह ठीक नहीं है। इसको मैं पहले कह चुका हूं। दिखाना ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

मेरे बोलने के बाद कोई व्यवस्था नहीं।

मुख्य मंत्री तथा भूतपूर्व संसदीय कार्य मंत्री, श्री अम्मार रिजवी के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न व औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[12 बजकर 25 मिनट]

श्री अध्यक्ष—

अब मैं एक निर्णय देना चाहता हूं। श्री मोहन सिंह तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्यगण, विधान सभा ने माननीय नेता सदन एवं मुख्य मंत्री के विरुद्ध तथा श्री भोखालाल एवं श्री मित्रसेन, सदस्यगण, विधान सभा ने नेता सदन तथा तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री, श्री अम्मार रिजवी के विरुद्ध विशेषाधिकार या

[श्री अध्यक्ष --

सदन के अवमान के प्रश्न की सूचनाएं दी हैं, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 14 का उल्लेख करते हुए कहा है कि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ष में विधान सभा के 3 अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होने चाहिये जबकि गत वर्ष केवल 2 अधिवेशन और 43 उपवेशन ही हुए और इस प्रकार नियमों का उल्लंघन करके विशेषाधिकार की अवहेलना की गयी है। तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री रिजवी के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि उन्होंने गत सत्र में सदन में इस हेतु दिये गये आश्वासन की पूर्ति न करके सदन का अवमान किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने इसी विषय पर औचित्य के एक प्रश्न की सूचना देते हुए यह कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के सन्दर्भ में उक्त नियमावली के नियम 14 के अनुसार कार्यवाही न करके सदन को प्राप्त अधिकार की अवहेलना की गई है।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री तथा तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री डाक्टर अम्मार रिजवी से उनसे सम्बन्धित उक्त सूचनाओं में उठाये प्रश्नों के सम्बन्ध में स्थिति की जानकारी मांगी थी। माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री डाक्टर रिजवी द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्ट की गई स्थिति के अनुसार उक्त नियम 14 में यह अनिवार्यता नहीं है कि प्रत्येक वर्ष 90 दिन के उपवेशन होंगे वरन् यह प्राविधान है कि संविधान के अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष सभा के 3 अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे तथा ऐसा करने की अकांक्षा होते हुए भी विभिन्न कारणों और व्यवहारिक कठिनाइयों से वर्ष 1981 में यह सम्भव नहीं हो पाया। मुख्य मंत्री ने यह भी कहा है कि इस प्रकार का प्राविधान इस कारण रखा गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो सकती हैं, जिनसे वर्ष में 90 दिन का उपवेशन कराना सम्भव न हो सके और वर्ष 1977 से 1980 तक किसी वर्ष भी सदन के 90 दिन के उपवेशन नहीं हुए हैं। जहां तक इस सम्बन्ध में दिनांक 4 अप्रैल, 1981 को दिये गये आश्वासन का सम्बन्ध है तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि उस समय उन्होंने यह कहा था कि नियमों में साधारणतया लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी वे इस बात का प्रयास करेंगे कि जो भावना यहां पर सम्मानित सदस्यों ने व्यक्त की है, उसको वे पूरा कर सकें।

मैंने उक्त सूचनाओं तथा इस विषय में प्राप्त उत्तर पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

पहले आप निर्णय तो सुन लीजिए।

जहां तक नियम के उल्लंघन का प्रश्न है नियम में शब्द "साधारणतया" का प्रयोग किया गया है जिसका आशय यही है कि सामान्य परिस्थितियों में एक वर्ष में तीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होने चाहिए परन्तु किसी वर्ष विशेष परिस्थितियों अथवा व्यवहारिक कठिनाइयों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 178 के अधीन रहते हुए यह संख्या कम भी हो सकती है। भारत के संविधान के दिनांक 26 जनवरी, 1950 में लागू होने के पश्चात् प्रति वर्ष हुई विधान सभा की बैठकों को यदि देखा जाये तो वर्ष 1950 में 138 दिन, वर्ष 1952 में 90 दिन, वर्ष 1954 में 110 दिन, वर्ष 1955 में 89 दिन, वर्ष 1956 में 112 दिन, वर्ष 1958 में 96 दिन, वर्ष 1961 में

94 दिन, वर्ष 1962 में 99 दिन तक उपवेशन हुए, किन्तु उसके बाद से किसी वर्ष में भी 90 दिन के उपवेशन नहीं हो सके ।

वर्तमान नियम 14 के, 9 अक्तूबर, 1978 से लागू होने के पश्चात् भी किसी वर्ष में 90 दिन का उपवेशन नहीं हो सका यद्यपि, जब यह नियम नहीं बना था उसके पूर्व के वर्षों में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उससे अधिक के उपवेशन हुए हैं । इस प्रकार कई वर्षों तक 3 अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन नहीं हो सके । कई वर्षों तक सदन के तीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन न हो सके तो यह आशंका हो सकती है कि क्या यह स्थिति उक्त नियम 14 की मंशा के अनुरूप है । मैं समझता हूं कि यद्यपि प्राविधिक दृष्टि से इस नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, परन्तु इसमें निहित भावना के अनुसार कार्य भी नहीं हो रहा है ।

(विरोध पक्ष की ओर से मेज थपथपायी गयी)

वैसे पूर्व में इस विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिए गये निर्णयों के अनुसार साधारणतया केवल किसी नियम के भंग होने से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है और सदन में दिए गये आश्वासन की पूर्ति न होना भी विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं माना गया है । इसके अतिरिक्त कौल और शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली और व्यवहार (हिन्दी संस्करण) के पृष्ठ 264 पर यह दिया गया है कि नियमों, परिपाटियों तथा प्रथाओं के उल्लंघन को विशेषाधिकार भंग नहीं माना जाता।

अतः उपर्युक्त कारणों से मैं इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना या अवमान के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजें थपथपायी गयी)

जहां तक इस विषय में औचित्य का प्रश्न है, इस पर दिनांक 18 जनवरी, 1982 को सदन में कुछ चर्चा हुयी थी और उस समय माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री, डाक्टर रिजवी ने लगभग वही बातें कहीं थी जो उन्होंने विशेषाधिकार सम्बन्धी सूचना के अपने लिखित उत्तर में बतायी हैं ।

श्री मोहन सिंह—

इसीलिए हटा दिये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

उस दिन सदन में व्यक्त किए गये विचार तथा संविधान के अनुच्छेद 174 के स्पष्ट उपबन्धों को देखते हुए मैं समझता हूं कि किसी वर्ष सदन के तीन से कम अधिवेशन या 90 दिन से कम उपवेशन आयोजित कराने से विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 14 के अन्तर्गत सदन को प्राप्त अधिकारों की अवहेलना नहीं हुई है । साथ ही यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 208 के अन्तर्गत सदन द्वारा स्वीकार की गयी है और इसका प्रत्येक नियम सदन की आकांक्षा को प्रतिबिम्बित करता है । दूसरी ओर मंत्रि-परिषद् सदन के प्रति उत्तरदायी है और इसका एक अंग माना जाता है ।

श्री अध्यक्ष --]

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, यद्यपि किसी वर्ष उक्त नियम 14 के उपबन्धित संख्या में उपवेशन न होने के कारण प्राविधिक दृष्टि से नियमों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता फिर भी मैं समझता हूं कि सदन द्वारा बनाये गये नियम का समादर न केवल उसके शब्दों से वरन् उसमें निहित भावनाओं से भी किया जाना चाहिये और आशा करता हूं कि इसके लिए भविष्य में इस राज्य के मंत्रि-परिषद् द्वारा पूरा प्रयास किया जायेगा और सदन के अधिवेशन एवं उपवेशन उक्त नियम 14 के अपेक्षानुसार एवं उसके अनुरूप होंगे ।

(विरोध पक्ष की ओर से मेजें थपथपायी गयीं)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें, मेरे निर्णय के बाद कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से अभी माननीय सदस्यों को एक बधाई पत्र मिला है जिसमें लिखा है "प्रिय बहन जी" तो हमने कौन सा अपराध किया है जो हमें नहीं मिला ।

(हंसी)

आगरा जिले के चन्द्रावल गांव में डाकू अनार सिंह के गिरोह द्वारा पांच पुलिस कर्मियों की हत्या तथा दीवानी कचहरी देवरिया के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

(12 बजकर 37 मिनट)

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 में कार्य-स्थगन की 14 सूचनायें आज प्राप्त हुई हैं जिनमें 13 सूचनायें एक ही प्रकार की हैं । पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है दिनांक 15/16 मार्च, 1982 को आगरा जिले के चन्द्रावल गांव, डाकू अनार सिंह के गिरोह द्वारा 5 पुलिस कर्मियों की हत्या से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में । दूसरी सूचना सर्वश्री कुंवर सिंह नेगी व नरेन्द्र सिंह भंडारी की है, तीसरी सर्वश्री हुकुम सिंह, राम सागर, कुबेर भंडारी, जमुना प्रसाद और सरदार सिंह की है, चौथी सर्वश्री शंकर सिंह और दलगंजन सिंह की है, पांचवीं श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की है, छठी सर्वश्री राम आसरे वर्मा, मसरूर जाफरी और खैरुल बशर की है, सातवीं श्री मुख्तार अनीस की है, आठवीं श्री प्रदीप कुमार यादव की है, नवीं श्री गौरी शंकर भैय्या की है, दसवीं श्री राम गोविन्द चौधरी और श्री अकबर हुसेन की है, ग्यारहवीं श्री किरनपाल सिंह की है, बारहवीं सर्वश्री हरिकिशन श्रीवास्तव तथा कुंवर सिंह नेगी की है और तेरहवीं श्री विजय सिंह राना की है, जो सभी एक ही विषय की हैं ।

अब इस पर अगर ग्राह्यता पर सुनने का समय मैं दूं तो इन सभी को समय देने में कितना समय लग जायेगा और विषय एक ही है जिस पर वही बात कही जायेगी एक तरह की, दूसरी बात इसमें कहने के लिये मेरे विचार से है नहीं..

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक मिनट सुन लें । मैं इसकी ग्राह्यता पर बहुत ही संक्षेप में कहूंगा । मान्यवर, यह विषय काफी गम्भीर है, पुलिस की कुछ लोगों से ऐसी साठ-गांठ हो गई है जिससे कि पुलिस कर्मियों की हत्या कराने का षडयन्त्र चलाया जा रहा है । परसों गोंडा में हुआ कल आगरा में हुआ । यह सिपाही अपनी ड्यूटी छोड़ कर गये कैसे?

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 में भी एक आया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी पीठ से एक रूलिंग हुई है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, यह पृष्ठ 163 पर है, निर्णय संख्या 36 है जिसमें यह है-- आय-व्ययक पर विवाद के दिनों में केवल उन्हीं विशेष महत्व के कार्य-स्थगन प्रस्तावों को विवाद के लिये स्वीकार किया जा सकता है, जिनके बारे में अध्यक्ष को यह आभास हो जाय कि आय-व्ययक के विवाद में उन प्रश्नों को उठाया नहीं जा सकता अथवा उतनी चर्चा उन पर नहीं हो सकती जितनी की होनी चाहिये । आज मान्यवर, 14 ग्रान्ट हैं जिन पर चर्चा होना है, माननीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे, माननीय नेता विरोधी दल बोलेंगे, सारा समय ग्रान्टों पर ही निकल जायेगा और हम इस विषय पर कोई चर्चा नहीं कर पायेंगे । यह जो घटना घटी है यह शासन की विफलता का द्योतक है और इसी पर माननीय मुख्य मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिये था । इसमें कई विशेष बिन्दु ऐसे हैं जिन पर चर्चा करने का अवसर हमें, यदि यह स्वीकार नहीं होता है तो, नहीं मिल पायेगा । इसलिए इस पर चर्चा आप करा दें ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, इस अनार सिंह के गिरोह द्वारा पुलिस कर्मियों को मारने की यह तीसरी घटना है । इस घटना द्वारा पुलिस का मनोबल तो गिरा ही है, परन्तु सम्पूर्ण प्रदेश में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई है । हमारे जो राज्य गृह मंत्री माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी हैं, वह तो जनाजा मंत्री हो गये हैं और उन्हें लोग जनाजा मंत्री कहने लगे हैं । मान्यवर, प्रदेश के हित में और खुद इनके हित में है कि इनके कमजोर कंधों पर यह गृह विभाग का भार न रखा जाय ।

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

*श्री हुकम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस प्रदेश बहुत कम समय में 3 घटनाएं ऐसी हो गयीं, चाहे माधोपुर, गोंडा में डी0एस0पी0 का कत्ल हो चाहे इन्स्पेक्टर राज्यपाल का कत्ल हो, चाहे चन्द्रावल, आगरा में पुलिस कर्मियों का कत्ल हो, मान्यवर, पुलिस कर्मियों में आज इस प्रकार के आदमी घुस गये हैं, जिन्होंने डाकुओं को सहायता करके अपने पुलिस कर्मियों की हत्या कराया है। मान्यवर, आज इस प्रकार की दशा हो रही है कि जब तक इस पुलिस फोर्स की छटनी नहीं की जायगी, तब तक कोई विश्वास पुलिस दल पर नहीं रह जायगा।

*श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, हम लोग जानते हैं कि आज माननीय गृह मंत्री का बजट है, आज इनका बजट होने के बाद साल भर इनका मिलना नहीं है। मान्यवर, ये इस्तीफा देने वाले हैं नहीं, ये अपनी बात से मुकर गये। जब तक यह राजेन्द्र त्रिपाठी जी की और बख्शी जी की जुगल जोड़ी रहेगी, तब तक शांति व्यवस्था में सुधार होने वाला नहीं है। माधोपुर में एक व्यक्ति को मारा गया। यह अनार सिंह का बहनोई लेकर पुलिस कर्मियों को मिला कर निर्दोष पुलिस कर्मियों को मारा गया है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न बनता है। मान्यवर, अगर यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं बनता है, तो जो घटना आगरा के चन्द्रावल में हुई है, अनार सिंह के दल ने पुलिस दल का सफाया किया है, उससे पूरे प्रदेश की जनता भयभीत हो गयी है। इस घटना से पूरे प्रदेश के अन्दर पुलिस प्रशासन की शक्ति क्षीण हो गयी है। अभी थोड़े दिन पहले दस्यु छविराम को मारा गया। उसके बाद मान्यवर....

(व्यवधान)

*श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है। पुलिस के ऊपर निरन्तर डकैती का हमला होता चला जा रहा है। चन्द्रावल में घटना हुई, माननीय मुख्य मंत्री अखबार में इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि मेरी टोटल असफलता पुलिस प्रशासन पर साबित हो चुकी है। तो मान्यवर, या तो ये इस्तीफा दे दें और या फिर इस बात की कोशिश उत्तर प्रदेश के अन्दर होनी चाहिए, अब आज स्थिति क्या हो रही है? डकैत पुलिस के रिवाल्वर छीनकर ले जा रहे हैं, पुलिस की गोली से पुलिस की हत्या हो रही है।

*श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, यह जो 15/16 की रात में जो घटना हुई है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। एक तो जो बात राजेन्द्र कुमार गुप्त जी और माननीय हुकम सिंह जी ने कही है कि पुलिस के लोग मिलकर पुलिस को मरवा रहे हैं। पुलिस के लोगों का मनोबल गिरता जा रहा है, क्योंकि आप देखें यह अभूतपूर्व घटना हुई है। इसके पहले पुलिस के लोगों को डकैतों ने पेड़ में बांध कर कभी नहीं मारा था। मान्यवर, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब डाकू छविराम को मारा गया तो उसके चेलों ने यह चलेंज किया था कि हम इसका बदला लेंगे। तो मान्यवर,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस पर चर्चा होनी चाहिए। यह जो गृह मंत्री हैं, इनको हटाया जाय और इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री अध्यक्ष--

बैठ जाइए, मान्यवर।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, मैं केवल ग्राह्यता पर बोलूंगा। काफी माननीय सदस्यों ने इसके तथ्यों पर आपका ध्यान आकर्षित किया है। मैं लोकमहत्व के सम्बन्ध में एक शब्द कह दूं। जो पुलिस कर्मी ड्यूटी पर थे वे जनता की सुरक्षा के लिए वहां थे। डाकू उनको मारकर उनकी रायफल छीन कर ले गए इसलिए यह लोकमहत्व का प्रश्न है। ग्राह्यता के सम्बन्ध में मान्यवर, आप कह सकते हैं कि सामान्य बजट आज प्रस्तुत हो रहा है आप कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे उस पर कह लीजिएगा। लेकिन मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव के द्वारा हम सुझाव देंगे आलोचना करेंगे मेरा तो कहना यह है इस प्रस्ताव के द्वारा कि इस बजट को प्रस्तुत करने की अनुमति न दें और इस पर कार्य रोककर चर्चा कराएं।

*श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, छविराम के मरने के बाद पता चला था कि उसके साथी उसकी तेरहवीं के दिन के बाद बदला लेंगे। मान्यवर, इसकी जानकारी डी0 आई0 जी0 को और इटावा, मैनपुरी और आगरा के एस0 एस0 पी0 को थी और मान्यवर, जैसा उन्होंने कहा था बदला ले लिया। इससे पुलिस प्रशासन और इस शासन को पानी में डूबकर कर मर जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, यह पुलिस डकैतों से मिलकर पुलिस को मरवा रही है।

*श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, यह अत्यन्त महत्व का इसलिए बनता है कि जब छबिराम मरा था जो यह चर्चा आम लोगों में सुनाई पड़ी थी कि उसके साथी बदला लेंगे और अखबार में यह आया था कि अनार सिंह उसकी मदद के लिए आने वाला था। किन्हीं कारणों से वह नहीं आ सका। मान्यवर, 5 पुलिस कर्मियों को पेड़ में बांध कर गोली मार दी गई और उनकी रायफल छीन कर ले गए। मान्यवर, इससे पुलिस कर्मियों में आतंक पैदा हो गया है। मान्यवर, माधोपुर में जो घटना हुई उससे जनता को गुस्सा आया। मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि इस पर आप चर्चा करा दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, चन्द्रावल की घटना के बाद स्थिति यह है कि पुलिस का मनोबल बिल्कुल समाप्त हो गया है। मान्यवर, आज वह गश्त नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, उनका कहना है कि इस प्रकार से वह गश्त नहीं कर पायेंगे उनके अन्दर आतंक का वातावरण पैदा हो गया है। इसलिए इसको अवश्य स्वीकार करने की कृपा करें।

*श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, यह इसलिए महत्व का है कि चौकी में 5 पुलिस थी 4 पुलिस और एक हेड कांस्टेबिल सब को मार दिया गया और पुलिस वाले वहां नहीं थे। इस घटना से पूरे क्षेत्र में एक आतंक पैदा हो गया और पुलिस कर्मचारियों में अविश्वास पैदा हो गया है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी पेश करने वाले हैं उसको स्थगित करके इस कार्य-स्थगन पर चर्चा करायें क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, इस मंत्रिमंडल के लोग एक दूसरे के दल को मरवा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। आपको मैंने नहीं बुलाया।

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

पहले आप हमको सुनें।

मैंने आपसे कहा था कि 13 नोटिसें हैं और उनमे से एक-एक को बुलाया जिसकी एक थी उसको भी बुलाया और जिसमें एक के साथ कई नाम थे उनमें से भी एक-एक बुलाया, किसी को छोड़ा नहीं है। इसलिए आप लोग बैठ जायं।

कार्य-स्थगन जो आया है, उस विषय को नियम 51 में भी सूचना आयी थी, इसलिए नियम 51 में इस पर विचार कर लिया गया है। इसको कार्य-स्थगन के रूप में अस्वीकार करता हूं।

चौदहवीं सूचना श्री हरिवंश राय, श्री नन्द किशोर सिंह, श्री माता प्रसाद पान्डेय, श्री गोपी नाथ वर्मा, श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री राम करन, श्री राम नारायण सिंह, श्री रुद्र प्रताप सिंह और श्री रामधनी की—दीवानी कचहरी, देवरिया के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने के सम्बन्ध में है यह सूचना कई दिन से आ रही थी इसलिए इस पर मैं केवल वक्तव्य के लिए निर्देशित करता हूं।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, मैंने जो सूचना दिया है वह महत्वपूर्ण मसला है, इसलिए नियम 51 में जो स्वीकार किया है उससे पूर्ति नहीं हो सकती है, इसलिए इस पर चर्चा करायें।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोंडा में पुलिस तथा डकैतों की मुठभेड़ के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन

[12 बजकर 51 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

दिनांक 15-3-82 की गोंडा की घटना है इसमें 17 तारीख को वक्तव्य देने के लिए कहा गया था लेकिन गृह मंत्री की तरफ से एक अनुरोध 16 मार्च को आया कि इस पर पूरी सूचनायें प्राप्त नहीं हुई हैं इसलिए 17 को वक्तव्य स्थगित करके 20 तारीख वक्तव्य के लिए रख दें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

निवेदन है कि आज के अखबारों में ही गृह मंत्री का बयान उसके बारे में छपा है ।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी--

मैं भी कहना चाहता हूं और अखबारों में छपा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं । अब आप लोग जो बोलेंगे वह नहीं लिखा जायेगा ।

सामान्य प्रशासन और गृह पर बजट प्रस्तुत हो रहा है, उसी पर चर्चा प्रारम्भ हो रही है । एक सूचना आयी कि पूरी बात नहीं मालूम हुई है, इसलिए 17 मार्च का वक्तव्य 20 मार्च को रख दिया गया है और आज व कल तक जितनी चर्चा आप लोग चाहें वह कर सकते हैं, फिर अनुरोध करना और जोर देना आवश्यक नहीं है ।

1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

[12 बजकर 53 मिनट]

*मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—]

संख्या 8—कार्मिक विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,25,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23—नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25—नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—26 नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि अतिरिक्त 3,82,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वर्ष में अनुदान संख्या 36—प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62—सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,30,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63—सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 98,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25-नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68-सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं...

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मंत्री जी, आप बैठ जायं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह संसदीय परम्परा है और आपका निर्देश भी है कि जिस मंत्री से सम्बन्धित अनुदान हो वह उनको पेश करेगा । माननीया गृह मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं । उनका अनुदान आया और मुख्य मंत्री जी पेश करने जा रहे हैं । मुख्य मंत्री जी जॉइंट रिसपांसिबिलिटी के साथ-साथ विशिष्ट विभाग के मंत्री भी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीया स्वरूप कुमारी बख्शी को अपदस्थ कर दिया है ? माननीया गृह मंत्री जी बैठी हैं तो क्या मुख्य मंत्री जी अनुदान पेश कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मंत्री और नेता, विरोधी दल सबकी सहमति से यह निर्णय हुआ कार्य मन्त्रणा समिति में और उस सहमति के अनुसार यहां सदन में कार्य हो रहा है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

माननीय राजन्द्र कुमार जी इस सम्बन्ध में मुतमईन रहें, इनके विभाग ने कोई गड़बड़ी की तो तत्काल मालूम हो जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप लोग चुपचाप बैठकर तय कर लेते हैं तो हमको क्या मालूम ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,24,79,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,22,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष जी, सामान्य प्रशासन व गृह विभाग के परिव्ययों को पेश करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक सामान्य प्रशासन का प्रश्न है, वह स्वास्थ्य मन्त्री जो हैं बगल में बैठे हुए, सामान्य स्वास्थ्य जब अच्छा रहता है तो बीमारियां आक्रमण नहीं कर पाती हैं, इसी प्रकार जब सामान्य प्रशासन ठीक रहता है तो...

(विपक्ष की ओर इंगित करते हुए)

उधर से भी बीमारियां आक्रमण नहीं कर पाती हैं ।

(हंसी)

किसी भी शासन की चुस्ती और तन्दुरुस्ती की एक परीक्षा है कि वह कितनी चुनौतियों का मुकाबला कर सकता है...(व्यवधान) कुछ ऐसा है कि माननीय सदस्य का और हमारा इतना प्रेम है कि जब भी मैं उठता हूं उनका अनुराग रुकता ही नहीं है, वाणी प्रस्फुटित होती रहती है ।

मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस परीक्षा पर विचार करें कि क्या मौजूदा सरकार चुनौतियों का सामना कर सकी है और केवल सामना ही नहीं बल्कि जो चुनौतियां आ गयी हैं, उनको स्वीकार करके सफलतापूर्वक और सक्षमता-पूर्वक उनका मुकाबला कर सकी है या नहीं ? इन चुनौतियों में मौजूदा सरकार जब आयी तो सबसे बड़ी चुनौतियों में चुनौती यह थी कि क्या यह प्रदेश साम्प्रदायिकता के दावानल में दहन हो जायगा, एक प्रश्न चिन्ह बन गया था । एक प्रश्न चिन्ह यह भी था कि चीनी, गेहूं और आवश्यक वस्तुओं के लिय

सन् 1980 जून का ख्याल रखिये, जब कि जो माननीय सदस्य उधर बैठे हैं, सौंपकर गये थे, जब भी कोई भी आदान-प्रदान होता था तो पहला प्रश्न होता था कि गेहूं कब आयेगा और चीनी कब आयगी। आवश्यक वस्तुओं की चुनौती थी इनके पहुंचने की। यह भी चुनौती थी कि विद्युत् जो आंख-मिचौनी खेल रही है, उसका भी हम कोई प्रबन्ध कर पायेंगे या नहीं। शान्ति व्यवस्था की चुनौती थी और दस्यु समस्या की चुनौती थी। यह चुनौतियां बनी नहीं रहीं बल्कि इसको सरकार ने स्वीकार भी किया और राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि हम इसका मुकाबला करेंगे।

अब हम प्रथम चुनौती पर आते हैं। हम अपने प्रान्त की जनता को, यहां के लोगों को बधाई भी देना चाहते हैं और साथ ही अपना आभार भी प्रकट करना चाहते हैं कि साम्प्रदायिकता का विष प्रदेश की जनता ने नहीं पिया। आज होली का त्योहार बीता। पहले त्योहार आता था तो दिल में आशंका हो जाती थी कि यह त्योहार बीत पायेगा या नहीं। परन्तु नहीं, आज होली का त्योहार अच्छी तरह से बीता, अब ये आनन्द के दिन हो गये हैं, प्रेम के दिन हो गये हैं, मिलन के दिन हो गये हैं। आज हमारे प्रान्त में आशंका की कोई बात नहीं है।

मान्यवर, जहां तक आवश्यक वस्तुओं की चुनौती थी, चीनी और गेहूं के मामले में प्रान्त में आज कोई भी कमी किसी कोने में नहीं है।

श्री कुबेर भंडारी--

सीमेन्ट मिल रही है क्या ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मिट्टी के तेल की जरूर कुछ समय के लिए कठिनाई हुई थी लेकिन उसके सम्बन्ध में भी सक्षम कदम उठाये जा रहे हैं और बहुत कुछ समस्या का इससे हल हो सकेगा। इस सम्बन्ध में शासन जागरूक है और पहिले से तीन गुना ज्यादा सामान ब्लैकमार्केटिंग और होर्डिंग में पकड़ा गया है जो कि साढ़े तीन करोड़ रुपये के करीब है।

विद्युत् उत्पादन की चुनौती थी, उसे स्वीकार किया गया। विद्युत् उत्पादन का सुधार करके छोड़ा गया, उसके सुधार के लिए जो बीड़ा उठाया गया था वह कोई हंसी और मजाक की बात नहीं थी जिसको सबने हंसी और मजाक समझा था पूरे भारतवर्ष में प्लान्ट लोन्ड फैक्टर से ऊपर उत्पादन किया गया। इसमें यह बात नहीं है कि यह अकस्मात हो गया है, यह सतत प्रयास का नतीजा रहा है, निरन्तर इसके लिए प्रयास किया गया है और यह उसी का फल है कि 30 प्रतिशत प्लान्ट लोन्ड फैक्टर से आज 46.5 प्रतिशत इसका उत्पादन हो गया है। यदि हम छोटी यूनिट्स को निकाल दें तो यह 48 प्रतिशत के करीब पहुंचता है।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--]

एक चुनौती हम लोगों को यह थी कि जब किसानों का गन्ना सूख रहा था और यह लग रहा था कि क्या गन्ना खेतों में ही सूख जायगा और हम लोगों ने उसे चुनौती के रूप में स्वीकारा और खेतों में खड़े गन्ने के लिये सिंचाई का व्यवस्था की। गन्ने के लिये पूरी तरह से विद्युत् खेतों के लिए किसानों को दी गई और इस तरह से गन्ने की रक्षा के लिए विद्युत् का आपूर्ति की गयी।

जहां तक दस्यु समस्या की चुनौती थी, प्रदेश में बेहमई, देवली और साढ़ूपुर यह ऐसे स्थान हैं जहां पर दर्दनाक घटनायें हुई और इसमें मैं समझता हूं कि...

श्री विजय सिंह राना--

आप इसमें टोटली फेल्योर रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

हम फेल्योर रहे परन्तु गवर्नमेन्ट तो सक्सेसफुल रही। यहां बात गवर्नमेन्ट की है, विश्वनाथ प्रताप सिंह की नहीं।

मान्यवर, दस्यु समस्या के उन्मूलन के लिए हमारे तीन रेन्ज रहे। कानपुर, झांसी और आगरा और आज, हम आंकड़ों पर नहीं जाते हैं नहीं तो ये कहेंगे कि आंकड़े तो सरकारी हैं। लेकिन मैं केवल कुछ नाम लेना चाहता हूं जगराम, मुस्तकीम, राधे, सन्तोषा, बाबू राम, रघुनाथ सिंह, मुन्ना डाबर तथा छबिराम।

मान्यवर, ये आंकड़े इनके नहीं हैं। इस प्रान्त की दहशत के हैं। बड़ा भारी रूप जो दिखाते ही रहते हैं, यह उनकी दहशत है जिनको समाप्त किया गया है। मान्यवर, यही नहीं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य शान्त रहें। मैं अपेक्षा करूंगा कि माननीय नेता सदन या नेता विरोधी दल जब बोल रहे हों, पूर्णरूप से शांति के साथ आप उन के भाषण को सुनें। आप सब शान्त रहें।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जिस समय आप चुनौतियों की चर्चा कर रहे थे कि सन् 80 याद कीजिए तो मैं जानना चाहता हूं कि 16 फरवरी, 80 से पहले की चुनौती है या उसके बाद की बात आप कर रहे हैं?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

चुनौतियां जो विरासत में मिली हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं।

(सत्ता पक्ष की ओर से तालियां)

अपने पुलिस जनों की मैं, उनके मनोबल की, उनकी कर्त्तव्य-निष्ठा की, उनके त्याग के प्रति, अपनी सराहना प्रकट करना चाहता हूं और प्रशंसा भी करना चाहता हूं। मान्यवर, अब तक 110 से ऊपर 115 तक हमारे पुलिस जन अपना जीवन, जन-जीवन की सुरक्षा करने हेतु दे चुके हैं। मान्यवर, ऐसा नेतृत्व...

(विपक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

(श्री विजय सिंह राना द्वारा खड़े हो कर कुछ बोलने पर)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जो समाज की रक्षा में अपने प्राण दे वह शहीद कहलाता है। वह समाज और वह नेतृत्व जो शहीद को. . . .

(व्यवधान)

(विरोध पक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शान्त हो जायें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

पुलिस जनों का मनोबल समाप्त नहीं हुआ है। उनका तो मनोबल इतना ऊंचा है कि वह अपने जीवन की आहुति दे रहे हैं। जो जनता की सुरक्षा के लिए जिन को आहुति देने में कोई भी हिचक नहीं है लेकिन जो नेतृत्व इतना कठोर हो, राजनीतिक स्तर के ये लोग यह कहें, एक तो अपना जीवन दे उस को. .

(व्यवधान)

फौज लड़ रही हो, दोनों ओर की जानें जा सकती हैं, दस्यु भी मरेंगे हमारे पुलिस वाले भी मरेंगे, हम लोग भी उस के शिकार हो सकते हैं, जो इस को कह दें, लड़ाई हुई, हमारे चार सिपाही मर जायं और कह दें कि अब तो हार हो गई, वह नेतृत्व नहीं कर सकता है, वह प्रेरणा नहीं दे सकता है . . .

(शोर)

आज मनोबल पुलिस का नहीं गिरा है। आज विरोध पक्ष का गिरा है. .

(तालियां)

यह उस का मनोबल गिरा है जोकि हमारे पुलिस जनों के मनोबल को, जनता के मनोबल को नीचे कर रहे हैं। आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए थी जिन्होंने जनता की सुरक्षा के लिये अपने जीवन को अर्पित किया है।

(तालियां)

मान्यवर, कुछ लोगों का जीवन याद रखा जाता है लेकिन बहुत कम लोगों की मृत्यु इतिहास में लिखी जाती है और जब मृत्यु लिखी जाती है तो उसमें लालचन्द, राजपाल और कृष्णपाल की मृत्यु लिखी जायेगी और तब इन सारी

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--]

भाषाओं से भी वह वजनी रहेंगे। आज उस मनोबल को आप नीचा न करें, यह मेरा आपसे करबद्ध और नम्र निवेदन है।

मान्यवर, शान्ति-व्यवस्था के सम्बन्ध में गत वर्ष यह बात जरूर थी कि डकैती लूट, दंगा, राहजनी इत्यादि में कमी हुई थी लेकिन गत वर्ष कुछ हत्याओं में बढ़ोत्तरी हुई थी लेकिन इस वर्ष अगर दो महीने में देखा जाय तो उसमें कमी हुई है। मैं इस सम्बन्ध में एक जनवरी 1982 से 28 फरवरी, 1982 के आंकड़े देता हूं। इन दो महीनों के अन्दर डकैती में 32 प्रतिशत की कमी हुई है। लूट में 22 प्रतिशत, रोड होल्डर में 32 प्रतिशत। मैं दशमलव के आंकड़े नहीं बता रहा हूं। हत्या में 7 प्रतिशत की कमी हुई है और राहजनी में 34 प्रतिशत की कमी हुई है। इस तरह से शान्ति व्यवस्था में सुधार हुआ है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त कुछ बातें हमको विरासत में भी मिली थीं, तीन साल तक हमारे विद्यार्थी भटकते रहे।

श्री कुबेर भंडारी--

ढाई साल को आप तीन साल बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय कुबेर भंडारी, शान्त रहें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

ढाई साल के लिए आपको बड़ा गर्व है। मैं तो अपनी असफलता स्वीकार कर रहा हूं। यह सुना था कि ढाई घर घोड़ा चलता है लेकिन घोड़ा ऐसा उछला कि टांग टूट गई। मान्यवर, विद्यार्थियों की परीक्षाओं का कोई काम ही नहीं चल रहा था। तीन वर्ष तक उनको पता ही नहीं चलता था कि कब परीक्षायें होंगी। अब परीक्षायें अच्छे ढंग से चल रही हैं। मान्यवर, छोटी चीजों पर भी प्रशासन की क्षमता की परीक्षा होती है और उन छोटी चीजों से उसकी क्षमता का आभास होता है। माघ मेला अपने यहां एक चुनौती थी जहां एक दिन करोड़ों के ऊपर आदमी आते हैं और हम लोगों को देखना था कि कोई घटना न हो और यह शासन की क्षमता ही थी कि एक दिन करोड़ के ऊपर लोग आकर स्नान करके चले जायं और कोई दुर्घटना न हो। इन्हीं छोटी चीजों में यह भी निश्चय किया गया था कि 19 फरवरी को प्रशासन को पंगु कर दिया जाय लेकिन जो पंगु करने निकले, शायद वह अपने घर से भी नहीं निकले।

मान्यवर, वेतन आयोग जब भी आया, जब-जब उसकी रिपोर्ट आई तब-तब कुछ न कुछ इस प्रान्त में घटना घटी लेकिन यह भी प्रशासन की एक सतर्कता रही कि उसने आदान-प्रदान की भावना से सरकारी कर्मचारियों को परिवार का अंग मानकर उनकी समस्याओं का हल किया गया। मान्यवर, दैवी समस्यायें भी आईं। हमको याद है कि गोरखपुर में जब यह हो रहा था कि गोरखपुर प्रलय की लहरों में न आ जाय लेकिन शासन की सतर्कता और जनता के सहयोग से उसका भी मुकाबला किया गया।

ये सारी चीजें चुनौती के रूप में आयीं। बड़ी चीजों को ही नहीं छोटी चीजों को भी इंगित करना चाहता हूं। आंख के नीचे लाली हो तो लालिमा देख कर ही मालूम हो जाता है कि कितना ग्लोकुमा है। लेकिन चुनौतियों का मुकाबला करने में ही शासन की सारी क्षमता नहीं है। चट्टान भी चुनौतियों का सामना

अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

कर लेता है। चुनौतियां आयें तो उसका चट्टान की तरह से शासन की और चीजों को भी देखना होगा। शासन के लिये प्रजातन्त्र की कल्पना या परिकल्पना कर लेना ही यथेष्ट नहीं है। शासन को यह देखना होगा कि वह सजीव रहे। सजीव रह कर ही प्रदेश के विकास को आगे लाया जा सकता है। मौजूदा सरकार को इस बात पर ध्यान रखना होगा कि इस प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाना ही आवश्यक नहीं है, उसको गति देना भी आवश्यक है।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

बगल में बहुत बड़ा शैडो बैठा रखा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मुख्तार अनीस साहब को डर है कि कहीं मेरा शैडो उनके ऊपर न पड़ जाय।

(हंसी)

मान्यवर, ये शैडो का आश्रय लेंगे तो यह विचारणीय होगा।

तो मैं मान्यवर, निवेदन कर रहा था कि केवल दृढ़ता ही नहीं गतिशीलता भी आवश्यक है, और विकास को अग्रसर करने के लिये पहला चिह्न यह है कि उत्पादकता बढ़े। उत्पादकता का जो लक्षण है, उसकी विभिन्न प्रक्रिया हो सकती है। हमारी माननीया प्रधान मन्त्री ने इस वर्ष को उत्पादकता वर्ष मान लिया है। उस कसौटी पर कसा जाय तो मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष होता है कि खाद्यान्न में 80-81 में 232 लाख टन का लक्ष्य रखा गया था और 246 लाख टन उपलब्ध हुआ था। इस साल 81-82 में 242 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है और यह लक्ष्य भी इस वर्ष उपलब्ध हो जायेगा।

इसी प्रकार अतिरिक्त सिंचाई से उत्पादकता की जो मूल स्थिति है, 250 हजार हेक्टर 80-81 में लक्ष्य रखा गया था और 252 हजार हेक्टर का लक्ष्य प्राप्त किया गया और इस साल 281 हजार हेक्टर का लक्ष्य है, वह भी प्राप्त किया जायेगा।

विद्युत् उत्पादन में अतिरिक्त क्षमता के लिये 80-81 में 344 मेगावाट का लक्ष्य रखा था। 344 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया है तथा उसको प्राप्त किया गया है। इस साल 200 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य है और इसको भी पूरा किया जायेगा। नये उद्योग लगाने के लिये 5 हजार का लक्ष्य था वह 8 हजार तक पहुंच गया है। और इस साल और ज्यादा उद्योग लगाने का लक्ष्य है।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--]

यही नहीं, अभी केन्द्रीय सरकार के पेट्रोलियम व केमिकल मन्त्री से मैं बात करके आ रहा हूं और शीघ्र ही कुछ ही महीने के अन्दर, मैं समझता हूं कि एक डेढ़ महीने के अन्दर प्रदेश के अन्दर पेट्रोलियम कम्पलेक्स स्थापित किया जायेगा जिससे हमारे प्रदेश को ज्यादा केमिकल मिल सकेगा, उसके शिलान्यास के लिये उन्होंने हमें आश्वस्त कर दिया है। हमारे यहां 4 फर्टिलाइजर प्लान्ट्स लगाने के सम्बन्ध में उनसे बात भी हुई है जिनमें से एक तो मध्य उत्तर प्रदेश में लगेगा और तीन प्लान्ट्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगाये जायेंगे।

यही उत्पादकता के सन्दर्भ में, मान्यवर, इस वर्ष गन्ने में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। सात लाख टन उत्पादन हुआ है। आलू में बीस लाख टन के लगभग उत्पादन की सूचना मिली है। वनस्पति का उत्पादन अप्रैल और सितम्बर, 81 के बीच में, इस वित्तीय वर्ष के अन्दर, 37.6 प्रतिशत बढ़ा है और चीनी का उत्पादन उसी अवधि में 135 फी सदी बढ़ा है। सीमेन्ट का उत्पादन अप्रैल जून 81 में उसके पूर्व वर्ष से 9 प्रतिशत बढ़ा है। इस प्रकार मौजूदा सरकार केवल दृढ़ता और क्षमता से चुनौतियों का मुकाबला ही न कर सकी बल्कि विकास को भी एक दिशा दे सकी है, गति दे सकी है।

पब्लिक सेक्टर की बात जरूर आती है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 आदि जो हमारे 56 पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स हैं उनमें से 29 में लाभ देख रहे हैं। यू0 पी0 टेक्सटाइल, लेदर कारपोरेशन, एसेनशियल कामोडिटीज का है एस0 आई0 डी0 सी0 हैन्डलूम कारपोरेशन है, इनमें लगभग 11 करोड़ का लाभ है। यू0 पी0 एस0 ई0 बी0 और एस0 आर0 टी0 सी0 के बारे में बहुत से ऐसी जिम्मेदारी होती है जब केवल व्यवसाय के आधार निर्णय नहीं होते हैं। बहुत सी जगहें बसें चलानी होती हैं। जहां पर केवल जनसेवा के आधार पर निर्णय किया जाता है। उनको चलाना होता है। हमारा विद्युतीकरण है। उसमें कोई व्यवसाय के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टि से भी बहुत जगह लाइनें लगानी पड़ती हैं। इस तरह से उत्तरोत्तर जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुये सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है।

मौजूदा सरकार ने अन्य राज्यों से जो अपनी समस्या थी उनमें भी कुछ उपलब्धता पायी है। कनहर की समस्या बहुत दिनों से मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों के साथ गुत्थी पड़ी हुई थी। उसको भी समन्वय का सुलझाया गया और कनहर की योजना जो उलझी हुई थी सुलझा ली गई है। इसी तरह हरियाणा से हमारा विवाद था पानी का। उसको भी हम लोगों ने निपटाया और उस पर कार्य चलने की स्थिति आ गई है।

मान्यवर, सामान्य प्रशासन में चुस्ती का एक और भी द्योतक होता है। वह यह है कि आपका वित्तीय नियन्त्रण कितना है। आपका प्रशासन ढीला है, उसमें चुस्ती नहीं है, अंकुश नहीं है तो जो वित्तीय नियन्त्रण है वह भी ढीला रहेगा। उत्तर प्रदेश उन कुछ राज्यों में है जिसने कभी ओवर ड्राफ्ट नहीं किया। एक हमारा वित्तीय डिसिप्लिन था, एक द्योतक, और इस सिलसिले में और राज्यों के मुकाबले कोट होता है उत्तर प्रदेश।

यही नहीं हम लोगों ने विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना काल के अन्दर एक हजार करोड़ अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए आश्वस्त किया था। उसमें से 850 करोड़ के लगभग साधन हम लोगों ने जुटाये हैं, जिसका आधार बना है और शेष के लिए भी पूरी कटिबद्धता है। यह हमारे पास चुनौती है कि या तो इस प्रदेश को उसी स्थान पर बिना प्रगति के मौजूदा स्थिति में छोड़ दें

या एक संकल्प लें विकास के लिए और उस संकल्प के लिए, त्याग के लिए प्रेरित करके, हम विकास की दिशा की ओर बढ़ेंगे । हमने दूसरा संकल्प अपनाया है और दूसरी दिशा ली है ।

साथ ही बहुत से बकाये आपके समय से चले आ रहे थे । सेल्स टैक्स जो एक ऐसे तबके से लिया जाता है जो कि वसूल कर चुका है, उसमें भी वृद्धि नहीं हुई । 78–79 में सेल्स टैक्स में 5.3 प्रतिशत वृद्धि हुई, 79–80 में 14 प्रतिशत, 80–81 में 15 प्रतिशत और 81–82 में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है जो कि दुगुनी है । पता नहीं कौन सा नाता था आप लोगों का कि सेल्स टैक्स लेने में बड़ा संकोच होता था ? 155 करोड़ रुपये माफ कर रहे थे । आज वही पैसा सड़कों के रूप में, ट्यूबवेल के रूप में, हरिजन छात्रावासों के लिये, उनके बच्चों को स्कालरशिप देने के लिये और अन्य विकास की दिशा में परिणत हो जायेगा ।

प्रदेश के विकास और उसकी गति के अतिरिक्त, उसकी दृढ़ता के अतिरिक्त केवल इतने ही से सरकार नहीं आंकी जा सकती कि हम किधर खड़े हैं और कैसे हैं ? बहुत गतिशील और सक्षम सरकार हो लेकिन उसका अगर गरीब का पक्ष नहीं है तो वह एक बहुत बड़ा दोष है । केवल इतने से ही सरकार नहीं आंकी जा सकती कि वह कितनी गतिशील है, दृढ़ है, सक्षम है, बल्कि गरीब का उसने कितना पक्ष लिया है, इससे आंकी जाती है । इस दिशा में हम कह सकते हैं कि मौजूदा सरकार ने जब कभी भी गरीब का पक्ष आया वह चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो या हरिजन हो, हमेशा उनके पक्ष में निर्णय लिया है । गन्ने के भाव की जहां तक बात है सरकार के एक निर्णय से गत वर्ग 131 करोड़ रुपया किसानों के हाथ में पिछले वर्ष से अधिक पहुंचा । इस सरकार को बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ कि बड़े–बड़े उद्योगपतियों की बिजली काटकर उनको बिजली दी गई । हमारे मेहनतकश हरिजन परिवार के भाई हैं, उनके लिये हमारी प्रधान मन्त्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम जिसको हम लोगों ने अपनाया है और एक विस्तृत योजना बनायी है । इसके अतिरिक्त 15 लाख परिवार छठी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जो कि गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनको ऊपर उठाने का संकल्प लिया गया है । साथ ही उनके कुछ प्रमोशन भी बन्द हो गये थे, पिछली सरकार ने जिनसे बन्द कर दिया था, उनको फिर से स्थापित किया गया है । इसके अतिरिक्त सीलिंग के सम्बन्ध में भी कानून को सुदृढ़ किया गया । इस बात की चर्चा पहले आ गई थी लेकिन पुनः प्रसंगवश कहना चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों को 2 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्राविधान किया गया है । इसके अतिरिक्त जैसे हरिजन नौजवान हैं, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी में जाना चाहते हैं उनके लिये 18 फीसदी तो

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--]

है ही लेकिन यह व्यवस्था कर दी गई है कि उसमें यदि एक इन्टरव्यू में कोई हरिजन नौजवान नहीं आता है तो उस पद को खाली रखा जाय और फिर जब इंटरव्यू होगा तो किसी सुयोग्य हरिजन नौजवान को ही उस पद में रखा जायेगा। इस तरह से श्रेणी (ख) यानी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में 18 और 22 प्रतिशत की पूर्ति जरूरी है। पिछले जो बाकी रह गये हैं उनपर तो समय लगेगा लेकिन इधर उसकी पूर्ति हो सकेगी। मान्यवर, यही नहीं छात्रवृत्ति को भी बढ़ाया गया है जो कि कभी-कभी खतरे में भी पड़ जाते थे, वह भी बढ़ाई गयी। इस तरह से इसके लिये 5 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि हर साल एक छात्रावास खोला जाय। साथ ही जो हमारे हरिजन भाइयों की लड़कियां हैं और यदि वे पढ़ रही हैं तो उनके अभिभावकों को 15 रुपया प्रेरण के रूप में स्कालरशिप देने की व्यवस्था की गई है। यह मैं इसलिये नहीं कह रहा हूं कि हम हरिजनों के लिये क्या-क्या कर रहे हैं बल्कि इसलिये कह रहा हूं कि हम कहां खड़े हैं, सरकार कहां खड़ी है और कहीं खड़ी रहेगी और इसी पक्ष से लड़ेगी। केवल कह देने मात्र से सरकार बैठने वाली नहीं है।

संक्षेप में एक बात और कहना चाहता हूं कि शासन को चुस्त करने के लिये कुछ और काम भी किये गये हैं। कुछ और भी चीजें हैं जो मौजूदा सरकार ने किये हैं। यह बजट आपके सहयोग से 14/15 साल के बाद समय के अन्दर पेश हो रहा है, गत वर्ष भी हुआ था और इस वर्ष भी हो रहा है।

वित्तीय स्वीकृतियां गत वर्ष बजट पास होने के 15 दिन के अन्दर अधिकांश स्वीकृत हो कर भेज दी गयी वही इस साल भी कर दिया जायेगा, एक और चीज की जायेगी क्योंकि गत वर्ष यह एहसास हुआ कि बजट मंजूर हो जाय, वित्तीय स्वीकृति हो जाय लेकिन कई योजनाओं के लिए स्थान नहीं निर्देशित हुए उससे कठिनाई हुई लेकिन इस वर्ष अप्रैल के अन्दर ही जल्दी से जल्दी स्कूल, अस्पताल, ट्यूबवेल या अन्य चीजों के लिए स्थान का निर्धारण भी हो जाय जिससे यह व्यावहारिक हो सके। तो वह अप्रैल में ही कर लिया जायेगा ताकि स्थान निर्धारण की अनिश्चितता की वजह से विलम्ब न हो यह पिछले अनुभव के आधार पर सुधार किया जा रहा है और मेरा विचार है कि इससे गति मिलेगी। साथ ही साथ एक और विचार हो रहा है कि कुछ चीजों की सीजन में आवश्यकता होती है जैसे कुओं की आवश्यकता है या घर बनाने हैं तो वह इतने दिन के अन्दर बन जायं। तो सीजन के अनुसार कार्य करने का विचार है। बहुत संक्षेप में मैं कह रहा हूं....

श्री मुख्तार अनीस--

सामान्य प्रशासन के बारे में कुछ बता दीजिये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

यह सामान्य प्रशासन की ही बातें हैं। सामान्य प्रशासन सबको प्रभावित करता है जैसे रक्त हर धमनी में है बह कर शरीर के कोने-कोने में पहुंचता है और उससे हर व्यक्ति प्रभावित होता है।

राज्य स्तर पर हर विभाग का महीने में एक बार अनुश्रवण किया जायेगा लक्ष्य और उपलब्धि उसकी देखी जायेगी कितनी वित्तीय उपलब्धि हुई है, उनकी टाइम, कोस्ट ओवर की नीति का कार्यान्वयन किया जायेगा। एक नयी चीज हम चलाने जा रहे हैं वह कौष्ट

अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

एनैलिसिस है यानी खर्चे का परीक्षण हो, केवल यही काफी नहीं होता है कि हमारी कितनी बसें चली, या कितनी सड़कें बनी उसमें यह भी देखना है कि उसमें कास्ट एनैलिसिस क्या है, उसका कैसा काम चल रहा है उस पर भी निगाह रखी जायेगी। यह नयी चीज हम अपनाने जा रहे हैं जो राज्य स्तर पर हर विभाग में किया है। जो सबसे बड़ी परेशानी है, जिसे करने की समस्या है कि जिला-स्तर पर कैसे प्रशासन चुस्त हो, कैसे नीतियों का कार्यान्वयन हो, जो यहां पर निर्णय होते हैं उनको जिला स्तर पर कैसे पहुंचाय जाय। तो यहां पर सेकेटेरियेट के अन्दर अनुश्रवण करने से उसमे चुस्ती आयेगी। हर महीने अनुश्रवण होगा। जो जिला स्तर पर हमारे मंडलीय मंत्रियों की अध्यक्षता में समिति गठित हुई हैं उसमें हमारे सम्मानित सदस्य, हमारे विपक्ष के सदस्य तथा संसद सदस्य भी उसके सदस्य हैं वह देखेंगे सुझाव देंगे। यहां पर एक मौलिक अंतर यह है कि अभी तक हमारे विपक्ष के लोग कहते थे कि सरकार विफल है और हम कहते थे कि हम सफल हैं अब यह कुहासा हटा दिया गया है। सफलता और विफलता का विवाद बंद कर दिया गया है।

श्री मोती लाल देहलवी--

न विफल न सफल।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मध्य में आप हमेशा रहते हैं। तो मान्यवर, यह अपनी दशा बता रहे हैं। मैं तो सफलता की ओर ले जाने की बात कर रहा हूं। जितने भी विभिन्न विभागों के लक्ष्य हैं वह सभी सम्मानित सदस्यों को उपलब्ध करा दिये जायेंगे। तो आपको काफी मसाला उपलब्ध हो जायेगा जो भी उपलब्धियां हुई हैं हर विभाग की वह आपको उपलब्ध हो जायेगा तो काफी गोलाबारूद आपके इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो जायेगा क्योंकि हमारे विकास में कोई विभेद नहीं है। अनुश्रवण में यदि हम आंख खोज रहे हैं तो हम आंख की किरकिरी नहीं मांग रहे हैं, आंख मांग रहे हैं विकास के लिए। अनुश्रवण होगा, तो क्या होगा? उसमें जनप्रतिनिधि होंगे और उसमें अधिकारियों को बताना होगा कि यह इसका लक्ष्य है और यह उपलब्धि है। इसका परिणाम यह होगा कि अब तक जो नौकरशाही पर तरह-तरह के दोषारोपण होते रहे हैं, उन नौकरशाहों को, अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होना होगा विकास कार्यों के लिए। वहां अनुश्रवण के समय जनप्रतिनिधि उनसे पूछ सकेगा कि इस योजना के लिए यह धनराशि दी जा चुकी है, इसका यह लक्ष्य था, इसमें क्या प्रगति हुई है और यह भौतिक लक्ष्य क्यों पूरा नहीं हुआ है। हर जनप्रतिनिधि को यह अधिकार रहेगा कि वह उसके प्रति अधिकारी को उत्तरदायी ठहरा सके।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--]

यह इस तरह का जनप्रतिनिधियों का प्रभाव शासन पर होगा। अभी तक अधिकारियों के बारे में विकास कार्यों को लेकर तमाम प्रकार की बातें कही जाती थीं, लोग कागज लेकर समय-समय पर चले आया करते थे। इसके लिए विभिन्न रास्ते खोजे जा रहे थे कि उन पर कैसे नियन्त्रण रहे। उसी दिशा में यह कदम उठाया गया है। इसके द्वारा अब हर अधिकारी की कुंडली सामने आ जावेगी, जो अच्छा होगा उसको बुरा नहीं कहा जा सकेगा और उसको परेशान नहीं किया जा सकेगा, साथ ही जो बुरा होगा उसको बचाया नहीं जा सकेगा।

(व्यवधान)

(श्री राम नारायण एडवोकेट के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय राम नरायन, जब तक वह बैठें नहीं आप कुछ कहें नहीं। आप बैठ जाइये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

इसके अतिरिक्त जो चुनाव कार्य है वह भी सामान्य प्रशासन में आता है प्रजातन्त्र में। ग्राम्य-स्तर पर, ब्लाक-स्तर पर और जिला-स्तर पर प्रजातन्त्र की दुहाई देने वालों ने जब एक ही कलम से प्रजातन्त्र का कत्ल कर दिया था और प्रजातन्त्र का जनाजा निकल रहा था, तो उस समय उधर से मातम करने वाला भी कोई नहीं निकला था। अब उन सारी इकाइयों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। ग्राम सभाओं का अब चुनाव हो रहा है, ब्लाक का चुनाव हो रहा है, जिला परिषदों को गठित किया जा रहा है। प्रजातन्त्र का नीचे से लेकर ऊपर तक एक सम्यक ढांचा खड़ा किया जा रहा है। मृतप्राय पौधे को फिर से लगाया जा रहा है, उसे सिंचित किया जा रहा है। इसका प्रभाव प्रशासन पर शासन पर पड़ेगा, प्रशासन में जनता की इच्छा लागू होगी, वह उसके प्रशासन में भागीदार होगी।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या आप प्रमुख और जिला परिषद् अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव की बात करायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

तो इससे कभी मुकरने की बात नहीं है। अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस परिचर्चा में बहुत से आंकड़े आवेंगे, वाद-प्रतिवाद होगा, लेकिन आंकड़े तो मैं समझता हूं आते रहते हैं, घटते और बढ़ते रहते हैं। परन्तु आंकड़े से भी प्रबल परम्पराएं होती हैं। अगर आंकड़े बादल हैं, जो घटते-बढ़ते हैं, तो परम्पराएं गगन हैं, जिसमें जन विश्वास के तारे चमकते हैं। यह मौजूदा सरकार स्वच्छ प्रशासन कायम कर रही है स्वच्छ और स्वस्थ परम्पराएं कायम कर रही है और कर सकती है। आज उत्तर प्रदेश में कोई यह नहीं कह सकता है कि कोई पूंजीपति हमारी नीति को किसी भी किस्म के दबाव से खरीद सकता है। यदि यह स्थायी रहेगी तो एक दिशा मिलेगी।

अनुदान संख्या 8--कर्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17-गोपन विभाग अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्ययन विभाग, अनुदान संख्या 25-नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग अनुदान संख्या 63--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68-सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

चुनौती को स्वीकार करके एक निश्चित अवधि में समस्या को हल करने की हमने परम्परा निकाली है--चाहे वह विद्युत् अभाव की समस्या हो, दस्यु उन्मूलन की समस्या हो या अन्य किसी प्रकार की समस्या हो। यह एक नई परम्परा डालने का प्रयास किया गया है। यह भी परम्परा डालने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रजातन्त्र की हर इकाई को साथ लिया जाए, विरोध पक्ष को भी साथ लिया जाए। इस प्रकार से एक क्रांतिकारी परम्परा डालने का प्रयास किया रहा है। हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे लेकिन विकास की ओर सारा सदन उन्मुख है। यह हम चुनौती देते हैं। इसके साथ ही संसाधनों का वितरण, सिफारिश के आधार पर, कहने सुनने के आधार पर नहीं बल्कि न्याय और कुछ मानकों के अनुसार किया जायेगा। इसके लिए यह जो पुस्तक बनी है, इसमें रखा गया है, जो माननीय सदस्यों में वितरित की जायेगी कि हर जिले में ट्यूबवेल, सड़क, स्कूल और अस्पताल कितने प्रतिशत उपलब्ध है। ब्लाक स्तर और पिछड़े हुए इलाकों में मानक के अनुसार ही होगा। सारी परम्पराओं और आंकड़ों में एक आखिरी चीज है।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट के खड़े होकर कुछ कहने पर।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय जसवन्त सिंह जी, आप कृपया बैठे। आप बैठिये, मान्यवर।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय जसवन्त सिंह विष्ट की सारी बातों को सुनने के लिए समय दे दूंगा।

हम यहां पर चाहे इस ओर के माननीय सदस्य हों हम लोगों के प्रशासनिक और प्रजातांत्रिक तरीके पर निर्णय देने वाला वह आम आदमी है जो या तो खेत में हल चलाता है, मेहनत करता है, रिक्शा चलाता है या चाय की दुकान लगाये हुए है। उसने भी निर्णय जून में दे दिया कि यहां का प्रशासन उच्चस्तर का है, उसके पक्ष में है यह उनका विश्वास है और जिसको मैं समझता हूं कि इससे बढ़ कर और कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है।

इन शब्दों के साथ में अपने बजट को प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25-नियुक्ति विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63--सतर्कता विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देय विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 53--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुमान सख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, पूर्व अवसरों की भांति इस बार भी माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण बहकावा देने वाला और जनता को भ्रमित करने वाला हमें सुनने का अवसर मिला और बातों का उत्तर मैं बाद में दूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ बातें ऐसी कही हैं जिनका उत्तर मैं पहले देना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी एक बात सेल्स टैक्स के बारे में कही हम लोगों ने वसूल नहीं किया ।

(व्यवधान)

मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि इसी सत्र में सामान्य चर्चा जब बजट पर हो रही थी तो अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने स्वयं बिक्री-कर के बारे में कही थी कि 155 करोड़ रुपया माफ करने योग्य है । आपने एक कमेटी भी बनाने की बात कही थी । अभी आपने यह भी कहा कि इस सरकार को पूंजीपतियों द्वारा खरीदा नहीं जा सकता । लेकिन मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सरकार को खरीदने का तरीका तो निकाल लिया । अब विद्युत् का उत्पादन प्राइवेट कम्पनी करेगी । आप उससे उसे खरीदेंगे । अब नाक आपने सीधे नहीं पकड़ी उलट कर पकड़ ली । फर्क क्या हुआ ।

मान्यवर, आज हम सामान्य बजट पर, कानून व्यवस्था पर विचार करने के लिए एकत्र हुये हैं । अभी हाल में ही घटी 13 मार्च की एक घटना जिसमें एक नवजवान डी० आई० एस० पी० मारा गया, उसके बाद कल आगरा में चन्द्रावल गांव में पुलिस के 5 पुलिस कर्मी शहीद हो गये । उसी कानून व्यवस्था की काली घटा के बीच हम चर्चा कर रहे हैं । मान्यवर, 1980-81 में जब माननीय मुख्य मंत्री जी तशरीफ लाये सामूहिक एक हत्याकांड बेहमई वाला हुआ था । उसके बाद साढ़ूपुर और देवलीकांड हुआ । इससे भी इनकी तसल्ली नहीं हुई, इसी के बाद फर्रुखाबाद, इटावा, मैनपुरी आदि में जाने कितनी सामूहिक हत्यायें हो चुकी हैं । जाने कितने ग्रामीण शहीद हो चुके हैं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

आपके स्मरण के लिए इतना बता दूं कि वही छविराम मारा भी गया जिसने 11 हरिजनों की हत्या की थी ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं उसका भी जवाब दूंगा, आप आतुर न हों छबिराम के नाम से

[12 बजकर 55 मिनट]

श्रीमन्, यह शक्ल है भारतीय गणतंत्र के महानतम राज्य की, आजादी के बाद पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त ने सुझाव दिया था कि इसका आर्यावर्त नाम हो जाय । मैं तो श्रीमन् यह कोटेशन दे रहा हूं, इसका नाम अयोध्या के अपभ्रंश पर अंग्रेजों और नवाबों के समय का नाम अवध था, इस राज्य का नामकरण उस समय राम राज्य किया जा सकता था । श्रीमन्, जब यह राज्य राम के भरोसे है, तो फिर क्यों न इसका नाम राम भरोसे रख दिया जाय, तो क्यों न फिर इसे राम भरोसे राज्य कहा जाय । जब हम राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के राज्य में अनाथ हो जायं तो राम भरोसे ही जियेंगे । तो हम इसका नाम राम भरोसे क्यों न रखें । साढ़ूपुर के हत्याकाण्ड के हत्यारों का आज तक यह सरकार, यह अक्षम और अकुशल सरकार पता नहीं लगा पाई, उसे नहीं खोज पाई और अभी भी वह एक रहस्य बना हुआ है ।

श्रीमन्, अभी माननीय मुख्य मंत्री ने छबिराम दस्यु के मारे जाने की बात कही ।

(व्यवधान)

श्रीमन्, दुःख तो सत्ता पक्ष को हुआ, जब डकैतों का सम्बन्ध बेनकाब कर दिया, आपके ही माननीय सदस्य उनसे मिलने गये, चौथे दिन तक वह व्यक्ति स्वच्छन्द घूमता रहा और सदन के अन्दर बार-बार माननीय राज्य मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ मुझे कोई सूचना नहीं है ।

मैं श्रीमन्, एक वक्तव्य राज्य मंत्री जी का दिये देता हूं । एक वक्तव्य है (व्यवधान) श्रीमन्, सुनते रहिये कलेजा खोलकर, सुनिये, जबाब देने को मौका मिलेगा। श्रीमन् जो 'आज' के अन्दर है । राज्य मंत्री श्री त्रिपाठी ने कहा कि छबिराम गत फरवरी में अपने पैत्रिक गांव हरनामपुर गया था, लेकिन वहां मात्र एक दिन रहा था । तमाम प्रेस के लोग वहां गये । इन लोगों ने देखा चौथे दिन तक दरबार किया, आपने एक दिन स्वीकार किया, सदन में कहा, सदन को आपने गुमराह किया । आपने छबिराम के रुकने की गलत खबर बताते हुए कहा कि छबिराम को गांव में रुकने की जानकारी थी । लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी बेनकाब आपने किया । आपने जो नाटक रचा, वह खुल गया । इस प्रदेश के आई० जी० ने बयान दिया कि छबिराम को सेरंडर कराने की बात चल रही थी, बाद में उसका डिनायल भी किया ।

मैं कहता हूं, अगर हिम्मत है और आई० जी० का जो पहले बयान आया अखबार के अन्दर अगर वह सत्य नहीं है, तो मैं, चाहूंगा कि केस दायर कीजिए, उसने कहा और यहां तक कहा कि कुछ राजनैतिक लोग उसमें खुद बोले थे । इसलिए वह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई । मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता हूं ।

आई0 जी0 पुलिस का बयान सही छपा। लेकिन जो कंट्राडिक्शन है, उसके लिए यह आवश्यक हो गया, इस प्रदेश की जनता को जानने के लिए कि उस प्रेस करेस्पांडेन्ट के खिलाफ सूट दायर कर दें।

मान्यवर, मैं फिर आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यह हत्या किस तरह से हुई, श्रीमन्, हत्या हुई, फिर कभी इसके बारे में, उचित अवसर पर प्रकाश डालूंगा। मैं फिर माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि कार नं0 यू0 आर0 यू0 6305 जो दो महीने तक सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य अजमानी के साथ रही छबिराम के सेरेंडर कराने के सम्बन्ध में, उसकी लाक-बुक देख लीजिए और साथ में वह एनाउन्स करें। हम साबित करेंगे वह गाड़ी छबिराम को सरेन्डर कराने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिये श्री अजमानी के पास रही। एक और बात आती है मान्यवर, देउली के राधे और सन्तोषा को जिस नाटकीय ढंग से, उस समय जब सम्पूर्ण विपक्ष ने आपके और उन दोनों के मधुरा सम्बन्ध को उजागर कर दिया, तो सरेन्डर कराया। मान्यवर, छविराम की मृत्यु किस तरह से हुई है इस पर मैं कुछ नहीं कहता लेकिन इतना जरूर जनना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार पत्र के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से बातें आयीं, अच्छा होगा कि उस एक लाख के इनाम में से बहुत बड़ी धनराशि मथुरा सिंह को दे दी जाय क्योंकि मथुरा सिंह का बहुत बड़ा हाथ है उसको मरवाने में। एक लाख में से उनको दे दीजिये और दूसरी धनराशि से पुलिस जनों को दीजियेगा। श्रीमन्, इस सरकार की छवि के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। मान्यवर, मेरे पास यह पत्रिका है 'आनलूकर' फरवरी को इसमें लिखा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी स्टेट्स की झांकियां जाती है और प्रदर्शित की जाती है लेकिन पिछले गणतंत्र दिवस पर सेना के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश की झांकी को उपयुक्त नहीं समझा कि उसे प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाय।

'ह्वई वाज उत्तर प्रदेश दि लारजेस्ट स्टेट आफ दि कन्टरी नाट रिप्रेजेन्टेड इन दि रिपब्लिक डे परेड दोज एयर इंटरेस्टगली वेस्ट बंगाल वाज दि ओनली अदर बिग स्टेट विच डिड नट हैव इहस टेबलू दि ग्रोविन हैज इट दैट दि प्रोप्रोज्ड टेबलू फाम उत्तर प्रदेश हैड जोन चीफ मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐज ए राम एन्ड डकैट क्वीन फूलन देवी एन्ड सूर्यपणखा दि टू करेक्टर फ्राम रामायण दि अफिशियल आफ दि डिफेरेन्स मिनिस्टरी, इट इज सेड डिड नाट फाइन्ड दि इडर इन गुड टेस्ट एन्ड डिसाइडेड दि टेबलू अवे।

मान्यवर, सही किया क्योंकि कलयुगी राम सूर्यपणखा की नाक तो नहीं काट पाये इसलिये सेना के अधिकारियों ने ऐसा निर्णय लिया और वहीं मैं समझता हूं, उचित था।

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने पहले यह कहा कि उल्टी तरफ से नाक पकड़े। इधर कम से कम नाक है पकड़ने को उधर तो है ही नहीं पकड़ेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष--

हिन्दी कर दीजिये। आप हिन्दी अनुवाद करना भूल गये।

श्री राजेन्द्र सिंह --

उत्तर प्रदेश ने जो 26 जनवरी, 1982 को गणतंत्र दिवस पर झांकी भेजी थी उसमें राजा विश्वनाथ प्रताप को राव और डकैत बीरन फूलन देवी का सूपर्णखा दिखाया गया था इसलिये सेना के अधिकारियों ने उसको प्रदर्शित करना उचित नहीं समझा। श्रीमन्, इतने बड़े स्टेट को इतने महत्वपूर्ण अवसर पर झांकी प्रदर्शित करने में स्थान नहीं मिला।

श्रीमन्, मैं अब उन पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के बारे में कहना चाहता हूं जो शहीद हुये हैं। हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और नतमस्तक हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिये जिन्होंने अपने सम्मान को बढ़ाया। श्रीमन्, यह नतमस्तक नहीं हो पाये चूंकि आप राजा थे और हम गरीब हैं, इसलिये नतमस्तक हुये। लेकिन श्रीमन्, जैसा कि बारबार अनेक उदाहरण दिये गये हैं मैं फिर कुछ उदाहरण इस प्रदेश की बेलगाम पुलिस के बारे में, जिसने कि आपकी साख जनता की निगाहों में खो रखी है, देना चाहता हूं। श्रीमन्, जैसा माधोपुर, थाना कटरा, के अन्तर्गत गोंडा में एक गांव है, छोटा गांव है, वहां पर हमारा एक नवजवान पुलिस अधिकारी श्री के0 पी0 सिंह शहीद हुये हैं। यहां सदन में उसमें इलोगेशंस लगे, नियम 56 में वह स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन आया कि वहां ग्रामीणों को पुलिस ने रिवेन्ज के लिये मारा। मौके पर नहीं गया हूं लेकिन 'अमृत प्रभात' में लेख छपा है कि श्री के0 पी0 सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती विभा सिंह का एक बयान छपा है। मुख्य मंत्री जी हम जानते हैं कि आपकी नैतिकता समाप्त हो गयी है, अधिक नहीं कह सकता हूं, लेकिन यदि यह बयान सही है तो कम से कम इस जनता से आपको माफी जरूर मांग लेना चाहिए। यह अखबार की न्यूज है, विश्वास करता हूं चूंकि प्रेस रिपोर्टर वहां गया है, उसकी सूचना है। उनके इस कथन को बहुत बड़ा बल मिलता है, उनका कहना है कि अधीनस्थ अधिकारियों ने हमारे पति को मरवाया है।

मुख्य मंत्री जी यह सीरियस चार्ज है। उस नवजवान विधवा बहन को जिसका सुहाग आपके फर्जी इनकाउन्टर से हट गया है, वापस तो आप नहीं करा सकेंगे लेकिन उसको सांत्वना दिलाने के लिये क्षमा जरूर मांग लेना, यदि यह बात सत्य निकले। श्रीमन्, तथ्य कुछ ऐसे देखने से सामने आये हैं कि श्री के0 पी0 सिंह, निष्ठावान और ईमानदार व्यक्ति था, दो साल आये हुये कटरा का एक पुलिस अधिकारी जो उसी जिले में 21 वर्ष से रुका है वह भ्रष्ट पुलिस अधिकारी था। श्री के0 पी0 सिंह उस पर नियंत्रण रखे हुये थे और कई बार उससे झड़प हुई थी।

श्रीमन्, कहा जाता है कि एक सरयू प्रसाद व्यक्ति है, जिसका भाई साधू सिंह, जिसने डिप्टी एस0 पी0 को मारा, उसका संबन्ध था। वहां के अधिकारी के षड़यंत्र से यह सब कुछ हुआ है, जो दुखदायी है। लेकिन, जैसा पहले भी कई बार कहा जा चुका है, बाद में पुलिस ने रिवेन्ज के लिए उस गांव में आग लगाई और 3-4 मासूम बच्चों को जिनकी आयु 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच थी, उनको मारा।

अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25 नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68-सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24-नागरिक सुरक्षा विभाग

हमारा कहना यह है कि जब माननीय राज्य मन्त्री (गृह) वहां पर गए थे और हेलीकाप्टर की उन्हें सुविधा उपलब्ध थी तो उचित होता कि वह उस गांव में चले जाते। मुझे शंका इसलिए है कि वह वहां नहीं गए। परसों यहां माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया था। हमने मांग की थी, मुख्य मन्त्री जी यहां नहीं थे, अम्मार रिजवी जी थे, तो हमने मांग की थी और चार्ज यह लगाया था कि वहां पर ग्रामीणों को इन्डिस्क्रिमिनेटली मारा गया है तो हमारा एक मौलिक सुझाव था कि सत्ता पक्ष के 5 एम0 एल0 एज0 को भेज दें, वहां जाकर स्थिति को देख लें। अगर गृह मन्त्री जी गये होते तो उन्होंने बयान दे दिया होता कि वस्तुस्थिति यह थी। विपक्ष का एक सुझाव था कि सही तथ्य प्रदेश की जनता के सामने रखें, लेकिन आप उससे मुकर गए और आपने यह सही तरीके से नहीं निभाया।

दूसरी बात श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फोटोज छपी हैं, 'पायनियर' में छपी हैं, आपके पास यह पहुंच चुकी होंगी। जिस तरह से इसमें दिखाया गया है जो कुछ है, वह बहुत वीभत्स है, जो वहां हुआ है। मान्यवर, सदन में भी प्रश्न उठ चुका है, माननीय मुख्य मन्त्री जी के स्वच्छ प्रशासन के ढोंग के कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जैसे थाना मथुरा के अन्दर एक घटना घटी। बड़ी शर्मनाक घटना घटी। वहां के एस0 ओ0 को आपने सस्पेन्ड किया। लेकिन सस्पेन्ड कर देना कोई रेमिडी नहीं है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि ऐसा कार्य करने की हिम्मत उस अधिकारी को कैसे हो गई? ऐसा कार्य आपके अधिकारी क्यों कर रहे हैं? आपकी रिजीम में यह हिम्मत कैसे अधिकारियों की हो गई है कि वह ऐसे अनैतिक और अमानुषिक कार्य करते हैं, यह कार्य क्यों हो रहे हैं?

श्री मुईद अहमद--

आपकी रिजीम में ऐसे अधिकारी प्रमोट होते थे।

श्री राजेन्द्र सिंह--

तुम इसके सहयोगी हो। श्रीमन, इसी प्रकार से एटा में कुछ पत्रकारों ने अखबार में कोतवाली के खिलाफ कुछ लिखा। तो उनको पीटा गया, पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया। तो यह श्रीमन्, प्रेस की स्वतन्त्रता है। श्रीमन्, इसी प्रकार से कानपुर में अभी हाल ही में होली में बर्तन न देने के आधार पर एक घटना हो गई। डेरापुर थाने के इंचार्ज थे, उनके आदमी होटल में गए और कहा कि बर्तन दे दीजिए। मालिक नहीं था, तो बर्तन नहीं मिल सके। तो तमाम सामान फेंक दिया गया और बर्तन पुलिस उठा ले गई। तो यह छोटी सी घटना है, लेकिन पुलिस की नीयत इतनी बदतर क्यों होती जा रही है, इसका मैं उत्तर चाहूंगा।

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

श्रीमन्, इसी तरह से डा० ओ० डी० त्रिवेणी, मलानी, खीरी लखीमपुर में एक कालेज में प्रिन्सिपल हैं। वहां के थाने के इंचार्ज श्री डी० एन० सिंह का लड़का उस स्कूल में पढ़ता था। बच्चों में हो सकता है उनका झगड़ा आपस में हो गया हो। तो पुलिस बाहर के आदमियों को लेकर जाती है और दूसरे बच्चों के साथ मारपीट करती है। जब प्रिन्सिपल बाजार में जाते हैं तो उस लड़के के पिता उस प्रिन्सिपल को ह्यूमिलियेट करते हैं।

एक और घटना है, जो कि एटा में घटी है। 5 दिसम्बर, 1981 को गंजडुंडवारा में वहां की पुलिस ने ग्राम खिदरपुर में 3 व्यक्तियों के घर को लूटा, वह परिवार भी एक सम्भ्रान्त परिवार है। उनका एक भतीजा डिग्री कालेज में लेक्चरर है और दो लड़के पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मैं आपके पास ये भेजे दे रहा हूं....

(कुछ फोटू हाथ में लेकर ऊपर करते हुए)

ये फोटो हैं, उस घर के, पुलिस के लूटने के बाद जिस स्थिति में वह घर को छोड़कर गए। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी, जो इस प्रशासन की और शासन की तारीफ कर रहे हैं, थोड़ा आंखें गीली कर लें।

एक घटना और है, अलीगढ़ में एक इनकाउन्टर हुआ था नरेन्द्र कुमार चौहान का, आपको याद होगा, वह जो एस० ओ० था चतुर्वेदी एन्ड शर्मा विद्यार्थियों के प्रेसर से पुलिस को उसे एरेस्ट करना पड़ा। उनकी जमानत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी लेकिन वहां के प्रशासन के आदमियों ने, पुलिस अधिकारियों ने मलखान सिंह हास्पिटल के डाक्टर एस० आर० पी० मिश्रा को एक बक्शी थे डा० एस० पी० उन्होंने दबाव डाला और कहा कि डाक्टरी मुआयना करके यह लिख दो ताकि पेरौल पर छूट जायं। उन्होंने तो नहीं लिखा, लेकिन प्रशासन यह कार्य कराने में सक्षम रहा। किस तरह से पुलिस वाले अपने साथी को, जब वह फंस जाता है, चंगुल में आ जाता है, तो निकालने का प्रयास करते हैं, यह उसका एक दृष्टांत है।

इसी तरह से एक हरसांव की मड़िया कविनगर, गाजियाबाद में 30-1-82 को उस गांव में कुछ लोगों ने डकैती डाली। कुछ व्यक्तियों ने और गांव वालों ने बड़ी बहादुरी के साथ 3 व्यक्तियों को पकड़ लिया और एक कमरे में बन्द कर दिया, थाना पास में था, वहां गए, थानेदार को बुलाकर लाये। जब कविनगर के पुलिस अधिकारी आये और खोलकर देखा तो आपके 3 में से एक वहां का एस० आई० था। उसी थाने का एस० आई० था उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पुलिस पागल हो गई, गांव वालों को मारा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, पकड़कर थाने ले गए और पिटाई की। पानी मांगा तो पेशाब पिलाया गया। यह है राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, आपकी कारगुजारी।

एक और घटना---दुर्गा नारायण एक डिग्री कालेज है फतेहगढ़ में। एक छात्र था साबिर सिंह, उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने एफ० आई० आर० लिखाई। एक दूसरा व्यक्ति जो उसी के साथ रहता था, उस पर शक हुआ। एक एस० आई० था, उससे उसका सम्बन्ध हो गया और उसने उस हत्या को आत्महत्या में बदल दिया। अब तो आप जवाब नहीं दे पायेंगे, अगले सत्र तक अगर रह गए तो जवाब दे देना वरना अपने किसी इनकम्बेंट को बता जाना।

अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

सबसे बड़ी घटना हुई जिसे जानकर के सदन को शर्म आयेगी, मुख्य मन्त्री जी को आये या न आये, यह मैं नहीं जानता। श्रीमन्, मुजफ्फरनगर में एक गांव है थाना जानसठ में कैराना तहसील में। वहां का मामला है कि धारा 302 में एक मुलजिम का मर्डर हुआ, उसमें एफ0 आई0 आर0 लाज हुई, फिर एक्यूज पकड़ा गया या नहीं परन्तु जो एफ0 आई0 आर0 लाज हुई थी तो जैसे की फारमेलिटी होती है, चार्जशीट बन कर आयी। लेकिन जो जेल में बन्द था उनकी सांठगांठ पुलिस से हुई, वहां से एस0 पी0 से हुई और एस0 पी0 ने इनक्वायरी के लिए केस दूसरे थानेदार को दे दिया। इसमें सी0 जे0 एम0 का जो जजमेन्ट है वह ऐसा है, उसे मैं पढ़े दे रहा हूं ताकि मुख्य मन्त्री जी देखें कि आपका पुलिस प्रशासन के लिए यह एक कलंक है। मैं इसके कुछ अंश को पढ़ूंगा, यह 27-1-82 का जजमेन्ट है। "वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0 एन0 राणा ने प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय यह बताया कि पुलिस जानबूझ कर 90 दिन के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहती है ताकि अभियुक्तगण जमानत पर छूट सकें।" तो मान्यवर, यदि 90 दिन तक चार्जशीट नहीं आयेगी तो वे बाउन्ड होते हैं अभियुक्त को छोड़ने के लिए। तो सीधे जब पुलिस उनको छुड़ा नहीं पायी थी तो उन्हें छुड़ाने का उन्होंने यह तरीका निकाला कि चार्जशीट ही नहीं भेजी।

रिमाण्ड के बाद सी0 जे0 एम0 ने एक आदेश दिया 27-1-82 को कि "आज तक की पूरी डायरी प्रस्तुत की जाय। आज मेरे सामने न कोई केस डायरी प्रस्तुत की गयी है न इन्सपेक्टर खतौली श्री सुभाष चन्द गर्ग ही उपस्थित हुए हैं।" तो मान्यवर, तीन में से कोई काम नहीं किया गया। विवेचना अधिकारी के आचरण से वादी के कथन में वजन प्रतीत होता है। "प्रस्तुत केस ने न्यायालय सी0 जे0 एम0 से सभी अभियुक्तगण की जमानत खारिज हो चुकी है तथा न्यायालय सेशन से भी अभियुक्त जियालाल का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जा चुका है। "मैं दिनांक 28-1-82 तक का रिमान्ड स्वीकृत करता हूं। इस आदेश की प्रतिलिपि श्री सुभाष चन्द गर्ग, इन्सपेक्टर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर, एस0 पी0, मुजफ्फरनगर को भेजी जाय" लेकिन श्रीमन्, 28 तारीख को फिर क्या होता है? चार्जशीट नहीं आयी, इन्सपेक्टर नहीं आये। मुलिजमान ने बेल के लिए कहा। जमानत के लिए दूसरा प्रार्थना-पत्र देते हैं। "यह जमानत का दूसरा प्रार्थना-पत्र है। इससे पहिले में अभियुक्तगण का प्रार्थना-पत्र गुण-दोष के आधार पर खारिज कर चुका हूं। न्यायालय जिला जज के यहां से भी एक अभियुक्त का प्रार्थना-पत्र गुण-दोष के आधार पर खारिज किया जा चुका है। यह प्रार्थना पत्र धारा 167 (2) दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। धारा 167 (2) दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत यदि किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने के बाद 90 दिन के अन्दर आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह जमानत पर छोड़े जाने का अधिकारी हो जाता है।"

[श्री राजेन्द्र सिंह—]

श्रीमन्, फिर नीचे कहते हैं कि "प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र निरस्त करते समय से यह स्पष्ट करना उचित समझता हूं कि अभियुक्तगण को जमानत पर छुड़ाने का श्रेय विवेचना अधिकारी इंसपेक्टर खतौली श्री सुभाष चन्द गर्ग को है। यह निर्विवाद तथ्य है कि प्रस्तुत केस में पूर्व विवेचना अधिकारी एस० ओ०, जानसठ ने दिनांक 12-12-81 को अभियुक्तगण के विरुद्ध चार्जशीट लगाई थी। परन्तु चार्ज शीट रोक ली गई और विवेचना अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र गर्ग को दी गई। वादी द्वारा इस आशय का एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया कि पुलिस अभियुक्तगण से राज खाये हुए है और जानबूझ कर न्यायालय में आरोप-पत्र 90 दिन के बाद प्रस्तुत करना चाहती है ताकि अभियुक्तगण जमानत पर छूट सकें।" अन्त में यही हुआ कि चार्जशीट नहीं आयी और न्यायालय को उन को छोड़ना पड़ा। वह फिर कहते हैं कि आदेश की प्रति बहुत लम्बी है, मैं शार्ट किये देता हूं, इस आदेश की प्रतिलिपि श्री सुभाष चन्द्र गर्ग, इंसपेक्टर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला अधिकारी, मुजफ्फर-नगर, एस० पी०, मुजफ्फरनगर को भेजी जाये और यह 1-2-82 को आ गई। मैं जानना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी, गृह सचिव बैठे हैं, कल जवाब देने तक यह आ जाये कि इन दोषियों के खिलाफ कोई काम किया? आई० जी० पुलिस यहीं बैठे हैं कोई ऐक्शन लिया? तो श्रीमन्, कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से पुलिस स्वच्छन्दतपूर्वक बेलगाम हो कर जनता को त्रसित कर रही है, आज तक सुना नहीं गया, यहां की बात क्या वर्ल्ड की कन्ट्रीज में भी यह स्वप्न होगा।

कई बार पहले भी कह चुका हूं, आज भी कहता हूं, काफी दिन पहले, फर्जी एनकाउटर्स के बारे में, मैं फिर कहना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने नये-नये तरीके हथकन्डे निकाल लिए हैं, उनमें से फर्जी एनकाउटर्स भी उनका एक है। कुछ थोड़े से सबूत दूंगा। काफी बड़ी लिस्ट है, वह तैयार नहीं होते इन्क्वायरी के लिए इसलिए ज्यादा समय लेना मैं उचित नहीं समझता। थाना राम सनेही घाट, बाराबंकी में 27 फरवरी को थाना सफदरगंज की पुलिस द्वारा दो भाइयों पृथ्वीपाल तथा श्री गया प्रसाद, निवासी ग्राम जिया का पुरवा, मजरा अम्बौर का एनकाउण्टर किया इनको पुलिस ने। ये दोनों हरिजन थे। बहुत बड़ी हरिजनों के प्रति दया दिखायी और कारण क्या था।

(एक सदस्य डाकुओं की कोई जाति नहीं होती)

लेकिन आपने अपनी जात बना रखी है। कुछ दिन पहले वहीं की पुलिस, सफदरगंज की इस ग्राम में महिलाओं के साथ कुछ बदतमीजी कर दी थी। उस का मामला भी उन्होंने कम्प्लेन्ट किया था इन लोगों ने, उसी नाराजगी से जो उनका चल रहा था केस महिलाओं वाला उस से उन को जिन्दगी से हाथ धोना पड़ा। कैसे सुरक्षित रहेंगे, क्या सुरक्षा प्रदेश की होगी और क्या मिलेगा इस प्रदेश की जनता को? दिनांक 27/28 दिसम्बर की रात में मोहन सिंह पुत्र माता प्रसाद, ग्राम मवैया हरदो पट्टी, पोस्ट ज्ञानपुर, जिला वाराणसी का फर्जी एनकाउन्टर कर दिया।

थाना जाफरगंज, जिला फतेहपुर की पुलिस ने 16/17 जनवरी को शिवनाथ पुत्र देवी दयाल, उम्र 20 वर्ष, शेर अली पुत्र बकरीदी, उम्र 19 वर्ष, शरीफ खां पुत्र मुख्तार खां उम्र 32 वर्ष का फर्जी इनकाउण्टर किया। अनूपशहर की पुलिस ने भी 24-1-82 को महिपाल की हत्या कर दी। इसी तरह से श्रीमन्, जीता पुत्र धारी मुसहर सा० विश्वम्भरपुर, थाना करिमुद्दीनपुर, जिला गाजीपुर को दिनांक 9-2-82 को पुलिस थाना सुखपुरा, जिला बलिया को पकड़ कर ले गयी और उसके

परिवार वालों ने 11-2-82 को दरखास्त दिया कि पुलिस वाले उसको पकड़ कर ले गये। मैजिस्ट्रेट ने उसको एस0 ओ0 के पास भेज दिया रिपोर्ट के लिए कि रिपोर्ट दें। एस0 ओ0 ने लिखकर भेज दिया कि इस आदमी के खिलाफ हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है लेकिन श्रीमन्, उसका पता नहीं चला। पुलिस ने एनकाउण्टर भी किया और लाश भी कहीं फेंक दी, उसका भी पता नहीं चला। आप बांदा चले जरूर गए हैं, आप पूरे प्रदेश का ध्यान रखने में सक्षम नहीं है तो कम से कम गृह जनपद, इलाहाबाद का ही ध्यान रख लिया करिए। इसी तरह से आगरा में फर्जी एनकाउण्टर हुए। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि जब तक इस प्रदेश की जनता में सुरक्षा की भावना, न्याय की भावना और पुलिस प्रशासन के प्रति यह भावना नहीं जागृत होगी कि वह हमारे रक्षक हैं तब तक आप कितना ही प्रयास करें आप सक्षम नहीं होंगे। मैंने एक मिसाल दिया था सन् 54 का जब इटावा में दुर्दान्त दस्यु मानसिंह से मुठभेड़ हुई थी हरिजन एस0 पी0 था और तहसीलदार सिंह जो उस समय का बहुत खूंखार डकैत था घायल हो गया और पुलिस के हाथ में आ गया। यदि उस समय की पुलिस आज की तरह होती या उस समय के मुख्य मन्त्री राजा विश्वनाथ प्रताप की तरह होते या प्रशासन इन जैसा होता तो उस एस0 पी0 ने एक गोली और मार दिया होता और वह मर जाता और यह सोचते कि हमेशा के लिए एक झंझट खत्म हो जाय लेकिन नहीं उसने ऐसा नहीं किया। उसने यह कहा कि--

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जब एरेस्ट कर लेते हैं तो मिली-जुली एरेस्ट हो गई नहीं तो गोली मार दी।

श्री राजेन्द्र सिंह--

ऐसा है कि नाटक में एक ही व्यक्ति को कई पार्ट अदा करने पड़ते हैं, जो आप करते रहते हैं। श्रीमन्, उस एस0 पी0 ने कहा कि कोई कितना ही बदमाश हो लेकिन चूंकि वह हमारी शरण में है इसलिए हम उसकी रक्षा करेंगे, इसको मारेंगे नहीं। मैं यह नहीं कहता कि वैसी परम्परा आप डालें यह तो मैं आपसे आशा भी नहीं कर सकता लेकिन आप देखेंगे कि वही तहसीलदार सिंह आज एक समाज सेवी है, उसके खिलाफ आज कोई शिकायत नहीं है तो श्रीमन्, यह मारल था उस पुलिस का। आपने अपने चरण कमलों से पूरे प्रशासन को पंगु बना दिया है और डिमोरलाइज कर रहे हैं।

(इस समय 2 बजकर 3 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

यह मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि और यह नहीं कहना चाहूंगा कि इसका कारण क्या है ? श्रीमन्, इसी तरह के हमारे माननीय राज्य गृह मंत्री जी का एक बयान है उन्होंने कहा है कि जनता का विश्वास पाने के लिए पुलिस फर्जी मुठभेड़ में न उलझे । वह मानते हैं इसको । आपने इन्क्वायरी करवाई है । कई इन्क्वायरीज आपने करवाई है । ऊदल की सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी आपने करवाई लेकिन उसको आप अपने सहयोगियों के प्रेशर से दाबे हुए हैं । शिवपाल सिंह, मैनपुरी के पुत्रों को जिस तरह से मैनपुरी की पुलिस ने मारा है, उसकी रिपोर्ट भी आप दबाये हुए हैं । श्रीमन्, इसी तरह से वहीं का एक लड़का था, उसका नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है, बाद में बता दूंगा 16-17 साल का लड़का था जिसकी बहिन से वहां का डी0 एस0 पी0 नाजायज ताल्लुक रखना चाहता था, उसकी रिपोर्ट भी आपके पास आ चुकी है । क्या आप कर रहे हैं ? यही नहीं श्रीमन्, आपका प्रशासन तो इतना आगे जा रहा है, हमने पिछली बार भी सदन में कहा था कैराना पुलिस और मीरगंज के फर्जी इनकाउन्टर के विषय में । उसमें मैजिस्ट्रियल इनक्वायरी के लिए आदेश हुआ । पहले तो वहां के जिला प्रशासन ने उस हरिजन एस0 डी0 एम0 पर दबाव डाला कि रिपोर्ट पुलिस के पक्ष में दे दें लेकिन आपके प्रशासन द्वारा डिमोरेलाइज करने के बावजूद भी वह प्रशासन के दबाव में नहीं आया और पुलिस के खिलाफ इनक्वायरी रिपोर्ट दे दी है । आज भी प्रदेश में बहुत से ईमानदार अधिकारी मौजूद हैं, उनमें से एक व्यक्ति वह भी है, जो हरिजन है ।

(व्यवधान)

अगर आप लोग ज्यादा शोर करेंगे तो हम भी कमजोर नहीं पड़ेंगे ।

मैंने कहा कि एस0 डी0 एम0 ने मीरगंज पुलिस इनकाउन्टर के सम्बन्ध में अपनी इनक्वारी रिपोर्ट भेज दी है और उन्होंने पुलिस को दोषी पाया है । देखें अब उस मैजिस्ट्रेट के साथ क्या होता है ? प्रशासन उस हरिजन एस0 डी0 एम0 से नाराज है और नाराजगी की वजह से उसे जिले के बाहर भेज देगी । लेकिन आज जो आपके अधिकारी हैं, वहां के डी0 एम0 और एस0 पी0 ने सत्ता के जोग में उस मैजिस्ट्रेट को वहां से हटाकर एक्स मैजिस्ट्रेट कर दिया है । अब क्या आशा करूं, विश्वास की किरण कहां से देखने को मिलेगी । उस नवयुवक का नाम रमाकान्त था जिसका नाम मैं बतलाना भूल गया था ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य आपस में बातचीत न करें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छी बात कही और मैं भी चाहता हूं कि प्रदेश की जितनी समस्यायें हैं उन पर 425 सदस्य आपस में बैठकर डिस्कस कर लें तो शायद हो सकता है कि प्रदेश का सही रूप में सुधार हो सके । लेकिन इसके पहले आप एक दूसरे के कुकर्मों को उजागर करें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं उधर के अपने माननीय साथियों से कहना चाहता हूं कि कभी-कभी तो सदन में बोलने का अवसर लेता हूं। मैं भी कलेजा थामकर आपकी बातें सुनता हूं, आप भी कलेजा थामकर सुनते जाइये। अब मैं आता हूं हरिजन अत्याचारों के ऊपर।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी भावनाओं को कलेजा थाम कर वे लोग सुनेंगे, आप कलेजा खोलकर भाषण करें।

(हंसी)

श्री राजेन्द्र सिंह--

धन्यवाद। श्रीमन्, हरिजनों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जाता है। श्रीमन्, दिल्ली, हिन्दुस्तान के गृह मंत्रालय से प्राप्त आंकड़े के अनुसार गत वर्ष हरिजनों पर अत्याचार की 12 हजार घटनायें हुई हैं। 'दैनिक जागरण' का 13 फरवरी, 82 का अंक आप पढ़ने की कृपा करें। हरिजनों पर अत्याचार की सबसे ज्यादा घटना उत्तर प्रदेश में हुई है और सारे देश के अन्दर इसमें भी आपने एक कीर्तिमान पैदा किया है। अब मैं एक-एक करके सूक्ष्म रूप में कुछ कहना चाहता हूं। राम सनेही घाट में दो हरिजन भाइयों की फर्जी इनकाउन्टर दिखाकर जो हत्या की गई है, उस पर क्या ऐक्शन हुआ, अभी तक मुझे पता नहीं चला है। इसी प्रकार....

एक सदस्य--

आंकड़े गलत हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

ऐसा है, छबि राम के बारे मे माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय यादव जी, माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जी, गृह सचिव, अ0 ई0 जी0, आजमानी साहब बहुत कुछ जानते हैं। उसके बारे में हम उतना नहीं जानते। आप अपनी मोटिव बुलाकर पूछ लेंगे। तभी तो मुख्य मंत्री जी ने मेरा चैलेन्ज स्वीकार नहीं किया। आज तक उत्तर नहीं दिया कि पिछले विधान सभा 80 के चुनावों में समर्थन किसका किया था, इनक्वायरी हो जाय। स्वीकार कर लें।

तीन हरिजन महिलाओं को एब्डक्ट किया गया, नौजवान महिलायें, गाजियाबाद के अंदर। श्रीमन्, अभी 7 मार्च को महतापुर थाना फफूंद (कानपुर) 9 हरिजन महिलाओं, बच्चों को डाकुओं ने घायल किया। चपौली थाना दिबियापुर में एक नवविवाहिता महिला को डाकुओं ने घायल कर उसे जला दिया और लाखों की लूट की।

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

मेरे पास एक टेलीग्राम है। कोई एलिनेशन नहीं लगा रहा हूं। टेलीग्राम पढ़े दे रहा हूं। टेलीग्राम है मृतक का भाई बंगू पुत्र हरिया का। झांसी से आया है। उसके भाई का नाम दया राम पुत्र हरिया हरिजन था। इसकी हत्या वहां जो रेलवे बार्ड है उसके अंदर की गई। कुछ लोगों ने नामजद एफ0 आई0 आर0 लिखाई। मेरे पास सूचना है। टेलिग्राम में लिखा है कि सरगना राज्य मंत्री रणजीत सिंह जी का ईश्वर है। राज्य मंत्री उपरोक्त तिथि में झांसी में मौजूद थे। पुलिस गवाहान को धमका रही है और माननीय मंत्री महोदय के दबाव में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मेरे पास टेलीग्राम है वह टेलीग्राम मुख्य मंत्री के पास भी आया है और प्रधान मंत्री के पास भी गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर गौर करेंगे और पता करने की कृपा करेंगे।

इसी तरह से एक व्यक्ति है, श्रीमन्,। लखनऊ में, श्रीमन्, एक विष्णुपुरी कालोनी है। राजस्व परिषद् का हरिजन चपरासी था। आपका जो विभाग है राज्य सम्पत्ति विभाग उसने उसको इस कालोनी में हाउस एलाट किया, हरिजन को जो राजस्व विभाग के चपरासी को—एक श्री शुक्ला जी या कोई तिवारी जी हैं सवर्ण, उन्होंने जबरदस्ती कुछ आदमियों को ले जाकर उसके सामान को बाहर फेंक दिया और उस क्वार्टर पर अपना कब्जा कर लिया। तो माननीय मुख्य मंत्री जी आपके कर्मचारी के साथ यह दुर्गति हुई है आपके उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा।

अब मैं इसके बाद प्रशासन की बात करूंगा। स्वच्छ प्रशासन के बारे में बहुत सी बातें आई। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा स्वच्छ प्रशासन के बारे में। यह बात ठीक है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने, श्रीमन्, अपनी छवि सुधारने के लिए और प्रदेश की जनता के सामने एक अच्छी छवि रखने के लिए, सूचना विभाग के माध्यम से अपार धनराशि खर्च की है, अपार धनराशि। ऐसा कभी नहीं हुआ और उसका कोई परिणाम नहीं निकला। स्वच्छ प्रशासन की बात बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी स्वच्छ प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि भ्रष्टाचार रहित शासन होना चाहिए, मामूली व्यक्ति के मन में यह भाव होना चाहिए कि मैं सही काम करूं तो किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, मैं सही हूं तो प्रमोशन बगैर किसी होबनोबिंग के मिलेगा। नौकरियों में मैं अगर सही हूं, उसमें खरा उतरता हूं तो मेरा चयन होगा जब तक जनमानस में यह भावना नहीं होगी तब तक कोई कामयाबी नहीं हो सकती है। लम्बे चौड़े भाषण दे देने से कोई काम चलने वाला नहीं है। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी अधिकारी को हटा देने से स्वच्छ प्रशासन नहीं हो सकता है....

श्री अशोक कुमार बाजपेयी--

क्या किसी थाने को जी0 डी0 पढ़ रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

यह आप अभी नहीं समझ पायेंगे। काफी आपको सीखना पड़ेगा। श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि जून से लेकर सितम्बर, 1981 तक 30 हजार ट्रांसफर किये हैं। मास ट्रांसफर हुये हैं। यह मैं नहीं कहता कि ट्रांसफर क्यों किये हैं ? प्रशासन को चुस्त बनाने के लिये मास स्केल पर और

वह भी मई, जून में ट्रांसफर किये गये हैं ? यह नहीं होना चाहिये। श्रीमन्, वह भी छोटे कर्मचारियों का नहीं, कमिश्नर्स का, डी0 आई0 जी0, आई0 जी0, डी0 एम0 और एस0 पी0 का ट्रांसफर मई में, सितम्बर, अक्तूबर और जुलाई में किया गया. . .

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

12 लाख कर्मचारियों के बीच में इतना किया है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

तब तो मुझे आपको और भी बधाई देनी चाहिये। आप और ज्यादा करें। हम आपके दिमाग और भ्रम को सुधार नहीं सकते। चिकने घड़े पर पानी बिखर जाता है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं तो देहाती क्षेत्र से आया हूं। प्राइमरी स्कूल में शिक्षा पायी है। वहां पर कागज पेंसिल नहीं हुआ करती थी। तख्ती हुआ करती थी लकड़ी की, जिस पर एक कांच का घोटा होता था, उससे घोटा लगाया जाता था और इस तरह से लकड़ी की तख्ती निखर आती थी। उसी तरह से मैं प्रशासन पर घोटा लगा रहा हूं किनना निखर पायेगा यह नहीं जानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

घोटा ज्यादा मेहनत से लगाया जाता है इसलिये पाटी काफी अच्छी रहती है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

जब मास ट्रांसफर होते हैं तो हमारे मन में, जनसाधारण के मन में यह भावना पैदा होती है कि ऐसा क्यों होता है ? यह मन में शंका पैदा होती है कि कहीं पोलीटिशियन्स और उनके एजेन्ट्स के माध्यम से कुछ अर्न तो नहीं कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा नियुक्ति के बारे में कहना चाहता हूं कि इतने ट्रांसफर करने के बावजूद भी आपकी स्थिति क्या है ? माननीय मुख्य मन्त्री जी से कई बार मिलने का मौका मिला लेकिन एक बार विशेष रूप से मिला। वहां पर उस समय गृह राज्य मन्त्री भी मौजूद थे। प्रशासन के सम्बन्ध में बात हो रही थी। वहां पर मैंने कुछ सुझाव दिये थे और मैंने कहा था कि मुख्य मन्त्री जी यदि कोई छोटे से छोटा अधिकारी किसी स्थान पर बहुत ज्यादा समय तक रह जाता है तो कहीं न कहीं कुछ उसके इन्टरेस्ट क्रियेट हो जाने की सम्भावना रहती है। आप भी मेरी इस बात से एग्री करते थे और यही मानकर आपने ट्रांसफर किया भी है लेकिन फिर आपने उसी तरह से ट्रांसफर करने शुरू कर दिये हैं। आपने कहा था कि हम इसको देखेंगे। श्रीमन्, मैं नाम गिनवाऊंगा।

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

मैं नहीं कहता कि वह व्यक्ति खराब है। मैं जानता हूं कि वह ठीक है जहां-तक इन्टेग्रिटी का सवाल है, वह सही है। एक व्यक्ति जो कि एक लम्बी अवधि तक एक ही स्थान पर एक ही रीजन में रहेंगे और फिर वहीं भेज दिये जायेंगे तो शंका मन में पैदा होनी स्वाभाविक है। एक सेक्टर आफीसर सी0 आई0 डी0 के आगरा के हैं। 32 साल की सर्विस में 25 साल उनको आगरा में हो गये

(व्यवधान)

नाम लेना उचित नहीं होगा

(व्यवधान)

हमने अपनी सरकार म हटाया था

(व्यवधान)

लेकिन आपने पुनः उनको वहीं पर भेज दिया। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि वह सेक्टर आफिसर सी0 आई0 डी0 में उपयुक्त हो तो उसको मेरठ भेज दीजिये, उनको मुरादाबाद भेज दीजिये या कहीं और भेज दीजिये

(व्यवधान)

यह व्यक्ति 25 साल से वहीं पर सर्विस कर चुका है, वहीं सब-इंस्पेक्टर रहा, वहीं इंस्पेक्टर बना और वहीं से डी0 एस0 पी0 प्रमोट हुआ। इसी तरह से एक और डी0 एस0 पी0 (सी0 आई0 डी0) हैं जो 14 साल से बरेली में और लखनऊ में रहे हैं

(व्यवधान)

हमें सी0 आई0 डी0 से कोई चिंता नहीं है, मैंने यह नहीं कहा कि वह उसमें न रहे।

श्री उपाध्यक्ष--

उस 14 साल में बरेली भी शामिल है।

श्री राजेन्द्र सिंह--

क्योंकि बरेली आ गया इसलिए मैं छोड़ देता हूं। एक और श्री मोती राम गुप्त, डी0 एस0 पी0 18 साल से लखनऊ में हैं, एक श्री रमेशपाल हैं उनको 14 साल लखनऊ में हो गये। एक इंस्पेक्टर साहिबाबाद में है जो मेरठ का रहने वाला है, वहीं पर वह पढ़ा और वहीं पर पोस्टेड है। एक मोहर सिंह हैं डी0 एस0 पी0 विजिलेंस जो 18 साल से मेरठ और देहरादून में टिके हैं।

डा0 बृज किशोर मिश्र--

इसके ऊपर उठिये।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं तो ऊपर उठूंगा लेकिन आपको नीचाई से क्या करूं कि आप नीचे देख ही नहीं पा रहे हैं।

अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

इसी तरह से एक सेक्टर आफिसर मेरठ में हैं वह भी उसी तरह से चले आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन में ट्रांसफर होते हैं, मैंने लिस्ट गिनाई तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा 12 लाख कर्मचारियों में इतने हुए। मैं तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता हूं यह आपका अधिकार है स्थानान्तरण करने का, मेरी उसमें कोई मंशा नहीं है कि हस्तक्षेप करूं। मैं तो विपक्ष के नेता के नाते सदन में बैठता हूं यदि मेरे सुझावों को उपयुक्त समझें तो लागू करें। लेकिन मैं कहता हूं कि एक अधिकारी का एक महीने में तीन बार ट्रांसफर करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो वर्षों से वहीं पर पड़े हैं

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य आपस में बातें न करें।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं अभी गिनाऊंगा। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने नये-नये एक्सपेरीमेंट करने के प्रयास किये हैं। हालांकि उनके वह एक्सपेरीमेंट फेल हुए हैं, फिर भी वह चल रहा है। जैसे मास ट्रांसफर, रिटायर्ड अधिकारियों का रिएपोइंटमेंट या एक्सटेंशन, एडवाइजर्स की प्रक्रिया, सूबेदारों (रीजनल मिनिस्टर्स) की नियुक्तियां, रेड कार्ड इसमें मैं अंग्रेजी में कहूंगा--रेड टेप हेज बीन रिपलेस्ड बाई रेड कार्ड। मास इंकाऊंटर। तो मान्यवर, यह नयी-नयी प्रक्रियायें चलाई हैं। यह आप भी स्वीकार करते हैं और हम भी स्वीकार करते हैं कि प्रदेश के अन्दर हमारे अधिकारियों में टेलेंट की कमी नहीं है

[2 बजकर 55 मिनट]

निष्ठा की कमी नहीं है, आनेस्टी की कमी नहीं है। इस समय। फिर आप उनको फ्रस्ट्रेट क्यों करते हैं रिटायर्ड आदमियों को पुनः प्रमोट करके। यह परम्परा सही नहीं है। मैं अपने प्रदेश के मुख्य सचिव के बारे में अच्छी राय रखता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वह ईमानदारी से रिटायर हो गये होते, आपके झटके में न आए होते तो उनकी इमेज और अच्छी बनती, उनकी साख अच्छी हुई होती। उन्होंने एक्सटेंशन द्वारा नये व्यक्तियों और प्रतिभाओं के चांसेज को नुकसान पहुंचाया है। यह नहीं होना चाहिये था, उनको आप क्यों रोके हुए हैं? या तो आप कहिये कि वह इन्डिस्पेंसेबेल हैं। तो वह जानें, शासन जाने, लेकिन यह प्रक्रिया अच्छी नहीं है।

इसी प्रकार एस0 पी0 गुप्त, एन0 पी0 त्रिपाठी, श्याम सिंह रीछे जी, बी0 जे0 खोदायजी, बी0 बी0 लाल, टी0 सी0 अग्रवाल, के0 डी0 शर्मा और श्री आर0 पी0 गुप्त आदि यह बहुत से नाम हैं। हमारे यहां अनुभवी और

[श्री राजेन्द्र सिंह—]

टेलेन्टेड आदमियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपने उनको मौका नहीं दिया। उनको आपने मौका दिया होता तो उनसे खराब शायद न होता। एक आर० पी० गुप्ता हैं, केवल बी० एस-सी० थर्ड क्लास वह हैं, उप सचिव हैं। ग्राम्य विकास के बजट के समय उनके बारे में बहुत लम्बा चौड़ा बखान किया गया है। हाउसिंग के वह ग्रामीण योजना के सलाहकार हैं। आप सोच लीजिये कि क्या योजना बनेगी, जो नान टेक्निकल आदमी है। जो जानता नहीं तो क्या योजना बनेगी? लेकिन कहीं ऊपर उनके कोई लिंक्स होगी, तो उनको सलाहकार बना दिया गया है, रिएप्वाइंट कर दिया है। यह प्रक्रिया मुख्य मन्त्री जी अच्छी नहीं है और प्रदेश में इसकी वजह से बड़ा फ्रस्ट्रेशन है।

श्रीमन्, एक नया दौर चला है एडवाइजर्स का। जैसे सनकी व्यक्ति होता है, वैसा दौर चला है, जैसे ऊर्जा है, शिक्षा, कृषि स्वास्थ्य विभाग है, चलचित्र निगम है, सब जगह एडवाइजर्स बैठा दिये गये हैं। आप सोचने का प्रयास करें यदि आप एडवाइजर्स अपने पास बैठायेंगे तो आपके सचिव क्या काम करेंगे, विभागीय अध्यक्ष क्या काम करेंगे

(व्यवधान)

आप हमारी बात स्वीकार करने की कृपा करें। यदि आप स्वच्छ, ईमानदार, निष्ठावान और प्रगतिशील व्यक्ति चाहते हैं तो खराब और गन्दे व्यक्तियों को सजा अवश्य दीजिए। लेकिन आप एडवाइजर्स की परम्परा न चलाइये। इससे फ्रस्ट्रेशन होगा डिपार्टमेन्टल हैड्स में। इससे फ्रस्ट्रेशन होगा आपके सेक्रेटरीज में। यह ह्यूमन मेन्टेलिटी है, एडवाइजर मन्त्री के पास बैठता है तो उसे यह शंका हो जाती है कि यह थर्ड मैन मेरे और मन्त्री के बीच में कहां से आ गया, क्यों आ गया। तो एक दूसरे की बुराई करने में यह बातें चल जाती हैं। तो एडवाइजर की प्रथा कभी उपयोगी नहीं होगी, कहीं एक आध जगह हो तो मैं नहीं कहता हूं। इस पर आप चाहें तो सदन में एक दिन की बहस करा लें। श्रीमन्, हमारा प्रशासन दिन प्रति दिन खर्चीला होता जा रहा है, जिसे टाप हेवी कहते हैं। इस सम्बन्ध में मैं केवल दो आंकड़े दूंगा। अप्रैल, 80 में उत्तर प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों की जो संख्या थी, वह सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है।

उन पदों की संख्या 6, 99, 876 है। इसमें वे लोग शामिल नहीं हैं। जो भारतीय सेना के अधिकारी हैं, डेली वेजेज के लोग हैं या ग्राम चौकीदार हैं। अप्रैल 1981 में यह संख्या बढ़कर 7, 42, 188 हो गयी, अर्थात 43,000 पद अधिक हो गये। लेकिन मैं जानता हूं आप कटाक्ष करेंगे कि एक ओर तो हम एम्पलायमेन्ट की बात करते हैं और जब एम्पलायमेन्ट दे देते हैं तो भी आप कटाक्ष करते हैं। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि अगर आप एम्पलायमेन्ट देते हैं तो वह प्रोडक्टिव होना चाहिए, उत्पादक होना चाहिए। आप जो पोस्ट्स ग्रोथ, नये डिपार्टमेन्ट, नई-नई पोस्ट्स, नये नये सचिवों के पद आप क्रिएट करते जा रहे हैं, इससे जो क्षमता है, वह कम होती है और ये नौन प्रोडक्टिव नौकरियां और अधिकारी कभी भी देश और प्रदेश का भला नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह संभव है कि जितने बच्चे हमारे स्कूलों

अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

से पढ़कर निकलते हैं, कोई भी सरकार सभी बच्चों को नौकरी दिला सकती है, नहीं दिला सकती क्योंकि वे पद नौन प्रोडक्टिव होंगे, उनके लिए हमारी सरकार को दूसरे स्थान, दूसरे रास्ते, दूसरे तरीके सोचने चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बनी रहे और हम नौन प्रोडक्टिव स्टाफ को कम करते चले जायं।

अब मैं एक चीज राजनीतिक भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मेरे पास एक पत्र की प्रतिलिपि है जो माननीय मुख्य मन्त्री जी को सम्बोधित है (एड्रेस्ड है)। यह पत्र मलिहाबाद के श्री राधे श्याम व अवध बिहारी लाल का है। इसमें लिखा है कि पिछले दिनों जो 20-2-82 को एक मंडलीय किसान सम्मेलन हुआ था जिसका उदघाटन हमारे राज्य मन्त्री और ब्रह्म दत्त जी ने किया था। उसके संयोजक श्री विपिन बिहारी शुक्ल इसके पहले कुछ व्यक्तियों ने यह आशंका व्यक्त की थी कि श्री विपिन बिहारी शुक्ल अच्छे व्यक्ति नहीं हैं लेकिन मुख्य मन्त्री जी यदि ऐसे व्यक्ति के साथ आयेंगे और यहां के उच्च अधिकारी आपको उनके बराबर बैठा देखेंगे तो अन्याय हो जायेगा। जिसने यह सम्मेलन आयोजित किया था उसके खिलाफ में एक मिसाल यह देना चाहता हूं उसमें यह लिखा हुआ है कि:

"यह कि श्रीमान जी का ध्यान हम प्रार्थीगण मलिहाबाद के उस भयानक तथ्य की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं जो 6 दिसम्बर, 1980 को हुआ था जिसमें इसी ग्राम महमूद नगर में ठीक इसी जगह यहां पर श्रीमान् जी किसान सम्मेलन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। उपरोक्त संयोजक श्री बिपिन बिहारी शुक्ला तथा उनके साथियों ने एक बस को रोक कर सशस्त्र पुलिस की निगरानी में रस्सियों एवं हथकड़ियों से बंधे हुए शाहिदअली बेग को जबरदस्ती बस से उतार कर दिन दहाड़े अनेकों आदमियों के सामने गोली मार कर जान से मार डाला था"

इसमें और बहुत सी चीजें हैं। तो इस पत्र में ऐसी आशंकायें व्यक्त की गई हैं। इस पत्र में, जो माननीय मुख्य मन्त्री जी को मिल चुका होगा, यह भी आशंका व्यक्त की गई कि हमारे गृह मंत्री जी के वहां पर कुछ बागात हैं जिनके बारे में उनके परिवार में झगड़ा है। यह व्यक्ति उन बागात की रखवाली के लिए इसलिए रखा गया है कि एक असामाजिक तत्व के रहने पर जो इनके राइवल्स हैं, उन पर कब्जा न कर सके। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी जब अपना उत्तर दें तो स्पष्ट करें कि वास्तव में सच्चाई क्या है। इसी प्रकार से एक श्री रमेश चन्द्र गुप्ता हैं जिनका पुराना स्वीट हाउस निशात गंज में है। उनका एक एफिडेविट है जो ओथ कमिश्नर से अटेस्ट कराकर मुझको भेजा है।

माननीय ज्ञानी जैल सिंह जी, माननीया स्वरूप कुमारी बख्शी, श्री टक्कर साहब, श्री रियासत हुसैन, श्री राजेन्द्रकुमार गुप्त आदि को भी उसकी कापी भेजी

श्री राजेन्द्र सिंह--

जा चुकी है और मेरे पास भी आयी है। इसमें उन्होंने एक यह शंका व्यक्त की है कि उनके भाई को कत्ल के मामले में झूठा फंसाया गया है। चूंकि यह कापी सभी को भेजी जा चुकी है, इसे आपको देने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि इसे आप देख लें क्योंकि इसके पीछे एक ऐसे आदमी का हाथ है जिस पर आपका वरदहस्त है। इसीलिए थानेदार ने खुद यह कहा कि तुम यह जमीन दे दो तो मामला खत्म हो जायेगा वरना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए, और आपको इन चीजों को देखना चाहिए।

गाजियाबाद में एक लघु उद्योग इकाई है मेसर्स जिन्दल की। उनको सभी प्रकार के पी0 बी0 सी0 पाइप का आर्डर दिया गया। जो भी इस तरह की इकाई होती हैं उनके कुछ नार्मस बने हुए हैं और उनसे हटकर उसको कुछ आर्डर दिए गए हैं। उनके बारे में कुछ शिकायतें है कि 101 एम0 एम0 तक का वह माल तैयार करते हैं, कुछ इसी तरह की कम्पलेन्ट है और उसमें कोई श्रीमती मधु सिंघल हैं उन्होंने इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट ले लिया है, मैं चाहूंगा कि इसे भी आप देखें। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए।

एक चीज और सदन में आ चुकी है माननीय सहकारिता मंत्री जी के बारे में। जो स्कूल के मामले को लेकर प्रश्न उठा था, उसकी आप जांच कर रहे हैं, जांच कराइये, आपने यह भी कहा कि हम पेपर्स माननीय अध्यक्ष जी के पास भेज देंगे, मगर अच्छा होता अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस व्यक्ति को अपने पास न बुलाया होता। (व्यवधान) अगर उन्होंने वही कार्य सामान्य तरीके से किया होता, जो उसकी सामान्य प्रक्रिया थी, उसे अपनाया गया होता, तो यह आपत्ति न होती। मैं चाहूंगा इस बारे में भी आप कृपया ध्यान दें।

एक और प्रकरण है मान्यवर, जो 'आज' अखबार में 3 फरवरी, 1982 को निकल चुका है। आप यह चाहते हैं कि प्रशासन स्वच्छ हो, अगर वास्तव में आपकी नियत ऐसी है, तो इस तरह की जो चीजें निकला करें उसके ऊपर आपकी तरफ से जवाब आना चाहिए। इसमें मामला यह निकला है कि माननीय वन मंत्री के पुत्र द्वारा अरबों रुपये की वन सम्पत्ति की लूट। तो इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य अवश्य आना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो निश्चय ही एक वातावरण बनता। स्थिति साथ होती। सही तथ्य सामने आते।

एक और चीज की ओर इस आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी चले गए, मिर्जापुर में एक फार्म है। मैं वकालत करता था, लेकिन राजनीति में फंसने के बाद वह सब भूल गया, लेकिन उसमें जो कुछ हुआ वह शायद ही कभी हुआ हो। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि अगर किसी संस्था पर 15 लाख रुपया बकाया हो और जब उसकी नीलामी की जाये तो उसी संस्था के पार्टनर को उसे दे दिया जाये। राजस्व मन्त्री जी बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ऐसा क्यों हुआ, वह फार्म जिस पर आपकी मालगुजारी सरकारी देयों की वसूली थी, और जिससे एक माननीय मन्त्री जी का सम्बन्ध है, उसका मामला इतना इजिली आपने क्यों हजम कर दिया? वह फार्म उन्हीं लोगों के नाम नीलाम क्यों कर दिया? जिनके ऊपर रेवन्यू बकाया था। हमारे प्रतापगढ़ के माननीय सदस्य बैठे

हुए हैं, वह शायद ऐडवोकेट भी हैं । मैं चाहता हूं कि उसके बारे में वह जानने का प्रयास करें, ऐसा क्यों हुआ ? मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस मामले में पद का दुरुपयोग हो रहा है । श्रीमन्, एक और आता है, ऐसा ह श्रीमन्, माननीय खाद्य मन्त्री पर सहकारिता विभाग भी था । यह माननीय मुख्य मन्त्री का प्रीरोगेटिव हैं. . . .

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं । मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में दिया हुआ है कि कटौती के प्रस्ताव में जब 1 रुपया कर दी जायगी, उसमें आगे लिखा हुआ है पृष्ठ 53 पर ऐसी सूचना एक ही विशिष्ट विषय तक सीमित रखी जायगी, जिसका वर्णन सुतथ्य शब्दों में किया जायगा । माननीय नेता विरोधी दल ने जो कटौती के प्रस्ताव को नोटिस दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है ।

श्री मोहन सिंह--

सामान्य प्रशासन के लिए सामान्य बुद्धि मान्यवर, चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय पंचानन राय, आपने सुना होगा जिस समय नेता सदन बोल रहे थे, उस समय उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन उस रक्त की तरह है, जो हर विभाग की धमनियों में बहता है । सामान्य प्रशासन में हर विभाग की बात उठाई जा सकती है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

उसमें मान्यवर, आलोचना करना और सुझाव देना है । मान्यवर, यह भी मार्गदर्शन दे दें कि बिना सूझ के सुझाव दिया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नेता सदन, और माननीय नेता विरोधी दल यह दोनों अपनी सूझ को बढ़ाने के लिए यंत्र लगाये हुए हैं, इसलिए मुझे भी यंत्र लगाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैंने कहा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी का यह प्रिरोगेटिव है कि वह किसी भी मन्त्री को कोई भी विभाग आवंटित करें। लेकिन उसके बाद एक वक्तव्य 19 फरवरी का है, दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ जो सहकारिता मंत्री का है। उन्होंने कहा कि हम सहकारिता को पूंजीपतियों से मुक्ति दिलाना चाहते थे, इसलिए यह विभाग हमसे छीन लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

यह खाद्य मन्त्री ने कहा था कि सहकारिता मन्त्री ने ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

यह खाद्य मन्त्री ने कहा था।

श्री मोहन सिंह--

सहकारिता विभाग भी उस समय उन्हीं के पास था।

श्री उपाध्यक्ष--

तो खाद्य मन्त्री से क्या मतलब ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

बयान देने के पहले यह विभाग उन्ही के पास था और पत्रकार तो कभी भी पूछ सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। वह तो यह भी पूछ लेते हैं कि आपके दादा कब मरे थे। उनसे यह पूछा कि आपसे यह विभाग क्यों छिन गया तो उसका उत्तर उन्होंने दिया कि इस विभाग को मैं पूंजीपतियों से मुक्ति दिलाना चाहता था इसलिये इसके चक्कर में यह विभाग छिन गया।

श्री उपाध्यक्ष--

यह बयान कहां दिया उन्होंने ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

अलीगढ़ में।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके जिले में तो ठीक है, चलिए।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, कांग्रेस आई के सेवा दल को सम्बोधित करने गए थे। मान्यवर, एक प्रश्न काशीनाथ मिश्रा जी के साहबजादे के बारे में आया कानपुर में दाखिला के लिए। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह अधिकार आपका है आप का जूरिसडिक्शन है एक दो व्यक्ति की भरती का लेकिन अच्छा होता कि आपका यह जो अधिकार था इसका सर्वसाधारण के लिए इस्तेमाल हुआ होता तो शायद आपकी जो खराब छवि है उसको सुधारने में कुछ सहायता मिलती। कानपुर एच० बी० टी० सी० में दाखिले का है।

अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23—नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25—नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36—प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62 सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67—सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68—सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77—सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24—नागरिक सुरक्षा विभाग

श्रीमन्, आपके गृह जनपद इलाहाबाद में एक झगड़ा बहुत पहले हुआ था और उसमें हमारे भूतपूर्व विधायक हर प्रताप सिंह का एक दूसरी पार्टी से झगड़ा हुआ था दोनों तरफ से क्रास केस हुआ था ठीक है न्यायालय जो निर्णय करे उसमें हमको कुछ कहने का अधिकार नहीं है लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी यह परम्परा अच्छी नहीं है, जिस छवि को सुधारने की और स्वच्छ प्रशासन की बात आप करते हैं, वहां एक केस वापस हो जाये और दूसरा केस चलता रहे। यह छवि सुधारने के लिए उचित नहीं है। मान्यवर, मथुरा का एक जजमेंट है इसकी कापी मैं आपको भेज दूंगा। इसमें कहा गया है कि न्यायालय के मामलों में राजनीतिक आधार पर केसों की वापसी या चलने का निर्णय नहीं करना चाहिये। मैं चाहता हूं न्याय हो अगर चले तो दोनों केस चले। एक ही मैटर के दोनों केस हैं इसमें एक को वापस लेना और दूसरा चलता रहे यह ठीक नहीं है। यह परम्परा उचित नहीं है।

इसी तरह से पिछली बार मैं सामान्य बजट की चर्चा में बोला था उधर की तरफ के एक माननीय सदस्य फर्रुखाबाद के मेरे नामराशी हैं। मैंने कहा था एक आयोग है उनके खिलाफ सूचना आ चुकी है आप उनके खिलाफ ऐक्शन नहीं ले रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की आप चाहे ऐक्शन ले न लें लेकिन आई0 जी0 पुलिस ने फर्रुखाबाद के एस0 पी0 को निर्देशित किया है कि कांग्रेस आई के महामन्त्री की सिफारिशों का न माना जाय। यह निर्देश जागरण में 18 फरवरी, 1982 के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को देखने का मौका मिला कि आप अपने दल के साथ भी ऐसा करते हैं। श्रीमन्, इसमें मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं क्योंकि अच्छी बात है।

श्री हरदेव—

मान्यवर, नेता विरोधी दल को कटौती के प्रस्ताव पर कटौती जैसा बोलना चाहिये और नाक के बदले मुंह से बोलना चाहिये, यह मेरा निवेदन है।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

माननीय सदस्य बलिया के हैं वह नाक के बदले दूसरी बात अच्छी तरह से समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दोनों बलिया के हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, एक और तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि दिनांक 7 दिसम्बर, 1981 को बाराबंकी के थाने रामसनेही घाट के एस0 आई0 ने मोटर बिसीकिल नं0 यू0 आर0 यू0 2483 को बन्द किया था। लखनऊ के कांग्रेस आई0 के

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

विधायक ने उनपर नाजायज दबाव डालकर गाड़ी को छुड़ाया। मुख्य मन्त्री जी यह उस थाने को जी0डी0 में लिखा हुआ है। हो सकता है कि यह बात सही न हो लेकिन जी0 डी0 में लिखा है तो आपका कर्तव्य हो जाता है कि दो बातों में से एक सही जरूर है कि या तो थानेदार विधायक को बदनाम करना चाहता है, यदि यह सही है तो एक्शन लेना चाहिये और यदि यह बात सत्य है कि विधायक ने कोई प्रेशर डालकर गाड़ी को रिलीज करवाया, जो नियम में नहीं था, तो आप उनको अपने कक्ष में बुलाकर विधायक को आचरण सुधारने की नसीहत देने की कृपा करें।

मान्यवर, इसी तरह आप प्रयास कर रहे हैं कि गांव सभा की जो जमीनें हैं जिनपर अनधिकृत कब्जा कर रखा है, उसको खाली कराना चाहिये, उससे हम भी सहमत हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक जब मुजफ्फरनगर में तहसील कैराना में बावरी गांव में गांव समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर क्रेशर लगाये और उसके खिलाफ तहसीलदार और मैजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट दे दिया कि अनधिकृत कब्जा है किन्तु फिर भी उस पर कोई कार्यवाही न हो तो यह चिन्ता का विषय है इससे शासन की छवि गिरती है।

श्रीमन्, अब मैं कहना चाहता हूं कि लखनऊ में पी0 डब्लू0 डी0 की जो सड़कें हैं उनको देखें तो मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दिन मैं रेलवे स्टेशन गया था, सड़क खराब नहीं थी, चलने लायक थी, लेकिन थोड़ा काम उसको बनाने का किया गया और फिर बन्द हो गया, मुझे सूचना है कि इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है, इसलिये इसको मुख्य मंत्री जी आप जांच करायें।

मान्यवर, मैं जी0 टी0 रोड की बात कहता हूं। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि गरीब का पैसा है, हमारे पर्स के पैसे का अगर अपव्यय होगा तो कोई प्रोडक्टिव नतीजा नहीं निकलेगा। टैक्स लगाकर, बड़ी मेहनत से यह पैसा आता है। उसका अपव्यय रुक सके तो बहुत बड़ा फायदा होगा। आप जी0 टी0 रोड की अटरेंडम चेकिंग करवायें। छिबरामऊ के आसपास चले जायं वहां किस तरह की सड़क बन रही है उसको देख लीजिये। जी0 टी0 रोड चौड़ी की गयी थी, पिछले साल जो सड़क बनी उसका रिपेयर इस साल कैसे आ गया। आप किसी जगह को जाकर चेक करें तो पता चलेगा कि किस तरह की सड़क बन रही है। मेरे जिले अलीगढ़ में हाथरस ब्रांच पर 5, 6 कि0 मीटर सड़क पक्की की है। करीब 4 लाख रुपये का घपला है। क्या मुख्य मंत्री जी अपने किसी सहायक को भेज कर उसकी जांच करायेंगे? जब भ्रष्टाचार को आपके अधिकारी पकड़ेंगे तो आपकी छवि उजागर होगी। मेरा कहना है कि आप चेक करायें और कोई चीज सही आपके सामने आती है थोड़ा सा भी आप सही पाते हैं तो सख्त से सख्त एक्शन लें। मैंने थोड़ी सी कुछ चीजों को बताया है, लखनऊ, जी0 टी0 रोड और अलीगढ़ जिले के बारे में बताया है उसको आप देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल, अब अगर घड़ी ने ठीक मुझे इत्तला दिया तो 103 मिनट आप बोल चुके हैं। अन्य माननीय सदस्यों की भावना का ख्याल रखें।

अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62-सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63-- सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, कभी-कभी बोलने का मौका मिलता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरा कहना यह है कि यह सामान्य प्रशासन का बजट है, बहुत सारे लोग अपनी लोकल समस्याओं को रखना चाहेंगे ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, मैं कट किये देता हूं । एक भ्रष्टाचार का मामला है । भ्रष्टाचार को उजागर इस समय नहीं करूंगा तो श्रीमन, मुझको अवसर कहां मिलेगा, या तो मैं हर बजट पर बोलूं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, आपका कहना ठीक है । सामान्य प्रशासन पर सामान्य भाषण होना चाहिये । यह असामान्य भाषण है ।

श्री चेतराम गंगवार--

अगर गंजे के नाखून होते तो वह कैसे खुजाता ? कुछ सुझाव दे दें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

खुद अपना सर खुजाकर देख लें । मान्यवर, बहुत से मामले ऐसे हैं अगर मैं उजागर न करूं तो मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं तो चाहता हूं कि आप सबको उजागर करें और अन्य सदस्यों को भी आपका सहयोग मिल जाय ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं पूरा प्रयास करूंगा । मान्यवर, मैं राजस्व के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । ओला या अतिवृष्टि जब हो जाती है तो आप गृह अनुदान वगैरह भेजते हैं लेकिन उसका सही वितरण नहीं होता है । जब भ्रष्टाचार की शिकायत होती है तो उसके निराकरण कराने में सक्षम आप नहीं होते हैं । मान्यवर, इटावा का एक मामला आया था । माननीय सदस्य गोरे लाल शाक्य जी ने उठाया था । उन्होंने शिकायत की थी कि गृह अनुदान के वितरण में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ । मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में गृह अनुदान के

[श्री राजेन्द्र सिंह—]

वितरण में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायत की थी, हमारे कार्यकर्ताओं ने रिकार्ड, सील करा दिया । डी0 एम0 ने उस सम्बन्ध में इन्क्वायरिंग अफसर को एप्वाइंट कर दिया लेकिन 6 महीने हो गये हैं वह इन्क्वयारी नहीं करना चाहते हैं । मैंने डी0 एम0 से खुद कहा लेकिन इन्क्वायरी नहीं हुयी । मैंने मुख्य मंत्री जी को भी पत्र लिखा लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है । तो ग्रामों में रहने वाले व्यक्ति जिनको 100, 200 रुपये का गृह अनुदान दिया जाता है, जब उसके वितरण में भ्रष्टाचार होगा तो कैसे काम हो सकेगा । ये बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं इतना कहकर छोड़ देता हूं ।

जमीन का जिस तरह कब्जा करते हैं । अतिरिक्त मैजिस्ट्रेट बस्ती के हैं उन्होंने न्यायालय से एक आदेश कर दिया कि अमुक-अमुक व्यक्तियों ने अन-अथराइज्ड कब्जा कर रखा है, यह आदेश 16-11-78 का है, लेकिन वह कब्जा अभी तक हटाया नहीं गया है ।

कन्सालीडेशन का विषय ऐसा है कि मुझे दुख है कि राजस्व मन्त्री जी बैठे हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रगति नहीं हुई । चकबन्दी एक ऐसा विषय है जिस पर तुरन्त एक्शन होना चाहिये । इसके अन्दर लूप होल पड़े हुए हैं, जो भ्रष्टाचार की जड़ हैं । ऐसा होता है कि जिस क्षेत्र में चकबन्दी के लिये नोटिफिकेशन होता है, तो यह विभाग यह मान लेता है कि जिस दिन गजट में चकबन्दी का नोटीफिकेशन हो गया, कानून के अन्दर "यूनिट" शब्द है, तो यह गजट नोटीफिकेशन और यूनिट दोनों प्राविधान हैं, लेकिन अधिकारी लोग भ्रष्टाचार को बनाये रखने के लिये रास्ता बनाये हुए हैं । होता यह है कि चकबन्दी का नोटिफिकेशन हो जाता है जनवरी में और स्टाफ जाता है अप्रैल में 4 महीने के बाद ।

जब स्टाफ आ जाता है तब वह समझते हैं कि चकबन्दी होने जा रही है । हालांकि कानून के अन्दर लैक्यूना नहीं है लेकिन विभागीय अधिकारी कहते हैं कि लैक्यूना है, जो फैसला गजट में हो गया उसी को मानेंगे । नोटिफिकेशन के बाद उसमें वर्ड यूनिट है, किन्तु बैनामा और ट्रांसफर एन्ट्री बगैर उन अधिकारियों की इजाजत के नहीं हो सकती । इन 4 महीनों के गैप यूनिट में होना चाहिये । जिस दिन स्टाफ पहुंच जायं, उसको अगर "डेट आफ नोटीफिकेशन" मानें तो ग्रामीण जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी । मेरे क्षेत्र में इतनी चकबन्दी हो रही है, मेरे संज्ञान में यह चीज आयी । 6 महीने हो गये, राजस्व मन्त्री जी को कहे हुए, लेकिन कान पर जूं नहीं रेंगी । मैंने मुख्य मंत्री जी को लिखकर दिया, पूरा प्रदेश परेशान है, लेकिन मुख्य मंत्री जी को फुर्सत नहीं मिलती दिल्ली के दौरों से । यह इतना बड़ा लैक्यूना है । ट्रांसफर एन्ट्रीज तो प्रदेश के और हिस्सों में भी हुई होंगी । कुछ जगहों पर तो यह कहते हैं कि आधा साझा कर लो ।

एक सदस्य—

आपके चक में क्या कमी रह गयी है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

बुद्धिहीनों की अकल में यह नहीं आयेगा, मैं अपने चक के बारे में नहीं कह रहा हूं ।

अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62-सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

श्रीमन्, मैंने एक कानूनी मुद्दा रखा । प्रदेश की जनता परेशान है, मैंने कहा कि इसका कोई तरीका निकाल दीजिये जब तक गजट और ट्रांसफर एण्ट्री को आप मान नहीं रहे । या तो वह दुबारा बैनामा करायें...

*राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नेता विरोधी दल से यह जानना चाहता हूं कि उनका कोई 'कांक्रीट' कोई इस तरह का सुझाव है कि गजट के नोटिफिकेशन के अलावा और किस माध्यम से हर घोषणा को हम जानकारी दे दें । क्या मा0 नेता, विरोधी दल कोई सुझाव देंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैंने कहा 6 महीने पहले 6 पेज का एक नोट बनाकर मा0 मन्त्री जी को भेज चुका हूं ।

लेकिन अब जैसी कि इनकी उम्र है, यह उम्र का ही तकाजा है कि पढ़ नहीं पाते हैं, मजबूर हैं ।

श्री बैजनाथ कुरील--

हमें लिख कर भेजने से क्या, आप सदन में कह दें कि क्या तरीका हम अपनायें ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, ऐक्ट में एक वर्ड "यूनिट" लिखा हुआ है नोटीफिकेशन में । जिस दिन आपका स्टाफ वहां जाय और डुग्गी पिटवाये--

एक सदस्य--

मान्यवर, दूसरे का चक इनको दे दें तो इनको सन्तोष हो जायेगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, इस संबंध में मैं दो कांक्रीट सुझाव रख रहा हूं । कानून में लिखा हुआ है कि नोटीफिकेशन इन द गजट । नोटीफिकेशन ड्रज नाट मीन फार आल, नोटिफीकेशन फार फियू । तो इसके निदान के लिये क्या इलाज है ? आप इसके लिये एक जी0 ओ0 निकाल सकते हैं और उसे अधिकारियों के पास भेज सकते हैं । यूनिट का मतलब गांव से है । श्रीमन्, ऐक्ट में यूनिट डिफाइन्ड है । श्रीमन् वहां डुग्गी पीट कर काम होता है । जिस दिन के लिये आपका स्टाफ वहां काम करने जाय, उसी दिन के लिये करवा दीजिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका कहना यह है कि नोटीफिकेशन के साथ ही साथ मुनादी भी होनी चाहिये ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हां श्रीमान, उसमें लिखा हुआ है । आपकी चकबन्दी हो रही है और अपने कानूनी दांव-पेच में उलझे रहेंगे तो कैसे होगा ? मैंने तरीका बता दिया है । आप सीधे आर्डर कर दें क्योंकि इससे पूरा प्रदेश प्रभावित है ।

श्रीमन्, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि एक मामला है हरियाणा और पंजाब के अन्दर । हमारे यहां 13-14 तहसीलों की दुबारा चकबन्दी हो रही है । मैंने पहिले भी सदन में निवेदन किया था और आज भी कह रहा हूं कि माननीय राजस्व मंत्री एक टीम बना दें । माननीय लाल प्रताप सिंह के साथ एक टीम भेज दीजिये पंजाब और हरियाणा कि वह वहां जा कर देखें कि वहां कैसे आयताकर चक बने हुए हैं यहां की तरह सीधे-सीधे नहीं होंगे वहां पर । उसकी 6 सीमायें होंगी इस तरह के चक को जब तक आप स्ट्रांगली रिमूव नहीं करेंगे..

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, इस तरह से तो ये रात भर बोलेंगे ।

(सत्ता पक्ष की ओर से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

चकबन्दी का जहां तक ताल्लुक है इसमें क्या और कर दिया जाय, इसको माननीय नेता विरोधी दल नटशेल में कह दें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

जो चकबन्दी की भावना है, चकबन्दी और प्रदेशों में भी हुई है, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है और न इसका बुरा मानना चाहिये और प्रदेशों में कोई चीज अच्छी है, भावना यह होनी चाहिये कि चकों के शेप जो हैं वे अच्छे होने चाहियें । जब छोटी-छोटी मेड़ों के खेत एक-एक मील तक सीधे चले जाएंगे तो उनकी मेड़ें तो तोड़ी नहीं जा सकतीं । अगर एक भी व्यक्ति मेंड़ तोड़ेगा तो उस को देखा जा सकता है ।

(व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि पहले जो चकबन्दी हुई थी उसमें जो कब्जा दिया गया था वह खेत नाम पर नहीं दिया गया था । इस बार आप इन्डीविजुअल प्लाट्स को नपवा रहे हैं । पहले लेखपालों ने जो खींच दिया उसी से दिये गये इससे हुआ यह कि एक बिस्वा की जगह सवा बिस्वा मिल गया । नक्शे में बड़े चक मिलने चाहिए तो मिले छोटे और जिन को छोटे मिलने चाहिए उन को बड़े । एक गांव के अन्दर जो क्षेत्रफल है वह तो आज भी ज्यों का त्यों है । अगर आप पता लगायें तकि प्रभावशाली लोगों ने दूसरे के खेत पर, चाहे किसी तरह से कब्जा कर रखे हैं । तो आप प्रयास करें कि चकबन्दी में मान लीजिये एक काश्तकार को 10 बीघे मिलना चाहिए ।

अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23—नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25—नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36—प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62—सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67—सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68—सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77—सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24—नागरिक सुरक्षा विभाग

श्री उपाध्यक्ष—

यह बात तो साफ हो गई कि अब की बार नाप कर वे रहे हैं तो प्वाइंट क्लियर हो गया ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मौके पर 8 बीघा है और दूसरे व्यक्ति के पास मौके पर 8 है और रिकार्ड में 10, रिकार्ड मौजूद है, गांव की जमीन कहीं चली नहीं गयी, उसको पूरा क्षेत्रफल मिलना चाहिए । बड़े आदमियों को आप छोड़ दें । मैं सिर्फ छोटों की बात कहता हूं । इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा । यह मेरा सुझाव है ।

रिहाइश के लिए मकानों की जरूरत पड़ती है । मेरा सुझाव है कि फी काश्तकार को छोटा सा प्लाट्स गांवों में अगर वह चाहते हैं, भूमिहीनों को तो आप देते हैं लेकिन किसानों को मिलता नहीं, तो जो नार्म्स आप बनायें, छोटा सा चक, जमीन उनको दें ताकि यह सवाल भी साफ हो जाये । इसमें सहूलियत मिलेगी ।

सिंचाई के बारे में, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने कम्प्लेन्ट राज्यमंत्री गृह बैठे हुए हैं, हाथरस की की थी, मुख्य मंत्री जी को दी थी। बहुत से प्रूफ उसमें दिये थे । राज्य मंत्री जी ने, शायद मिल कर प्रदर्शित भी किया था कि प्राइमाफेसी केस उसमें बनता है । मैं नहीं कहता कि उसमें क्या हुआ लेकिन इतने दिन हो गये इन्क्वायरी नहीं हो रही है, वह व्यक्ति अपने पैसे के बल पर, मैं तो कहूंगा कि उस असिस्टेन्ट इंजीनियर का मकान बन रहा है मथुरा में, सीमेन्ट इशू हो गई, काम हुआ नहीं, वह सीमेन्ट कहां चली गयी ? अगर आप को भ्रष्ट लोगों को प्रश्रय देना है तो हम छोड़ देंगे लेकिन चूंकि आप घोषणा करते हैं इस लिए हम लोग शिकायत करते हैं ।

ग्रामीण सेवा के अन्तर्गत शिकायत आयी थी । विरोधी दलों के नेताओं की मीटिंग हुई थी । मुख्य मंत्री जी, बहुत भ्रष्टाचार है, किसी एक स्थान को पकड़ लें, ग्रामीण योजना के अन्तर्गत, सिंचाई विभाग को, पी० डब्ल्यू डी० को पैसा दिया था, मस्टर रोल भरे जा रहे हैं एक और बात श्रीमन्, इसी तरह की है। सिंचाई विभाग में 60 लाख का गबन पकड़ा गया । उसका वहां से ट्रान्सफर किया गया लेकिन वह फिर वहीं पहुंच गया । इसी तरह से श्रीमन्, एक बहुत बड़ा विषय यहां आया था तावान का, उसमें मैं यह सुझाव दूंगा कि मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूं । अक्सर ऐसा होता है कि कुलाबा लगाते वक्त नहर टूट गई लेकिन तावान लग गया । मेरा सुझाव यह है कि जिस फसल में नहर कटे अगर किसानों को उसी फसल के अन्दर बता दिया तो किसान का कम नुकसान होगा ।

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

कम्पनसेशन आप दे नहीं सकते । अभी 6-6 साल के केसेज पड़े हुए हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी नीयत भ्रष्टाचार को मिटाने की है तो इस समय 17 मार्च हो गया और इन्जीनियरिंग विभाग के अन्दर मार्च 31 को अपार पेमेन्ट्स होते हैं । वर्क आर्डर की एक किताब होती है उसमें कांट्रेक्टर के दस्तखत करा लेते हैं और उसी के हिसाब से कमीशन लेते हैं । अगर आप प्रदेश के अन्दर एक दिन में जितने भी इन्जीनियरिंग विभाग हैं उनमें अगर आप एक दिन में छापा डलवाकार उन किताबों को जब्त करवा लें तो वह फरवर उनको नहीं भर सकेंगे और इस तरह से आप सिर्फ थोड़े से प्रयास से 20 करोड़ रुपये बचा लेंगे । श्रीमन्, अब मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा, एक बात यह करना चाहता हूं कि गन्ने के बारे में जो आपका बयान था कि आपने गन्ना किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और किसान बहुत खुश हैं लेकिन मजबूरी में किसान 10 रु0 क्विंटल का गन्ना दे रहे हैं और अगर माननीय मुख्य मंत्री जी आप सचेत नहीं हुए तो इस साल गन्ना किसानों को गन्ना फिर खेतों में जलाना पड़ेगा और जो लांछन आप हम पर लगाते थे उसी लांछन से आप बचने का प्रयास करिए । मैं तो आपको सुझाव दे रहा हूं और सचेत कर रहा हूं क्योंकि इसी कारण से ट्रक की हड़ताल हो रही है, मिल बन्द हो गई है । इसलिए मैं सुझाव दे रहा हूं कि जो एलीगेशन आप हम पर लगाते थे वहीं अब हमको आप पर लगाना पड़ेगा इसलिए मैं टाइम पर सचेत कर रहा हूं । श्रीमन्, इसके साथ अब मैं विद्युत् और आबकारी को छोड़ देता हूं क्योंकि काफी लम्बा हो जायेगा और मैं आपका ज्यादा समय लेना नहीं चाहता ।

श्री उपाध्यक्ष--

दो घंटे के बाद आपको महसूस तो हुआ कि लम्बा हो गया ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, मैं तो चार घन्टे की तैयारी करके आया था कि चार घन्टे बोलूंगा । यह विषय ही ऐसा है । श्रीमन्, मथुरा जनपद के अन्दर म्युनिसिपैलिटी के माननीय मुख्य मंत्री जी के नाम से एक रिक्शा चालक का लाइसेंस बन गया । यह बड़ी गम्भीर चीज है । राजीव गांधी के नाम पर रिक्शा चालक का लाइसेन्स बन गया । माननीय मुख्य मंत्री के नाम पर एक रिक्शा चालक का लाइसेन्स बन गया । जिलाधीश को जब राजीव गांधी के नाम का पता चला और प्रेस में वह आ गया, राजीव गांधी के नाम लाइसेन्स का फोटो भी अखबार में आ गया तो मथुरा का डी0 एम0 घबरा गया और उसने मथुरा म्युनिसिपैलिटी के अन्दर जा कर उस फाइल को जलवा दिया । मान्यवर, यह सत्य बात है, अखबारों में निकला है । यह इस बात का प्रमाण है कि वहां के भ्रष्ट अधिकारी इस बात को देखते तक नहीं कि जिस व्यक्ति के नाम से लाइसेन्स बन रहा है वह कौन है ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी, आइन्दा खयाल रखें कि कभी भी सिड्यूल आदमी के नाम पर किसी का नाम न रखा जाय ।

अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23—नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25—नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36—प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62—सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67—सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68—सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77—सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24—नागरिक सुरक्षा विभाग

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, दो बातें मैं और कहना चाहता हूं। एक बात यह है कि जिस तरह से प्रशासनिक सेवाओं के अन्दर प्रमोशन के एवेन्यूज हैं, उस तरह के जो विकास के विभाग हैं, या वैज्ञानिक व टेक्निकल विभाग हैं, वहां नहीं हैं। मान्यवर, कहीं ऐसा न हो कि इस चीज को लेकर कोई अधिकारी कोर्ट में चला जाय, इसलिए आप इसको भी देखने का प्रयास करें। मान्यवर, अब यह हो रहा है कि इंजीनियर की चरित्र पंजिका में डी0 एम0 रिमार्क देगा। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी बुरा न मानें तो अनुभव के आधार पर मैं बतलाता हूं कि जो डी0 एम0 के पुराने निवास स्थान हैं उन सभी के अन्दर 4–5 एकड़ जमीन है। आप चले जाइये या किसी अधिकारी को भेज कर दिखला लें कि सबके यहां आलू या गेहूं बोया गया होगा या और भी कोई दूसरी फसल होगी। उसका बीज आया होगा कृषि विभाग से या उद्यान विभाग से और उसके लिए फर्टिलाइजर भी वहीं से आया होगा और पानी जो देता है, वहां जिला हेडक्वार्टर पर तहसीलदार है, लाभ हो या नुकसान हो वह उसके चार्ज में है, यह मैं अपने अनुभव से बतलाता हूं, इसलिए आप इसको रोकने का प्रयास करें।

अब मैं पुलिस के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे सूबे के अन्दर पुलिस सब इंसपेक्टर को एस0 ओ0 बनाने का अधिकार एस0 पी0 को मिला हुआ है। हरियाणा और पंजाब में यह नियम है कि प्रमोशन के लिए एस0 पी0, डी0 एम0, इन दो–तीन आदमियों की एक कमेटी होती है और उसके जरिये उनका प्रमोशन हो जाता है। एक बार जब एस0 आई0 प्रमोट होकर एस0 ओ0 हो जाता है तो फिर जब तक उनके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं लगती, उनको रिवर्ट नहीं किया जा सकता है। जब कि यहां एस0 पी0 के डिस्क्रिशन पर होता है कि अगर वह उससे नाराज हो गया तो उसे रिवर्ट करके सब इंसपेक्टर बना देता है। तो मेरा कहना है कि यह अधिकार एस0 पी0 के हाथ में नहीं होना चाहिए कि वह अपनी मर्जी से जब जिसको चाहे रिवर्ट कर दे या प्रमोट कर दे। उनके डिस्क्रिशन पर उनके इस अधिकार को न छोड़ कर सरकार यहां भी यह प्रयास करे कि प्रमोशन के लिए एक कमेटी बना दी जाय और एस0 पी0 या डी0 एम0 की मर्जी पर उनके रिवर्शन या प्रमोशन की बात को न छोड़ा जाय। अगर इस काम को आप कर दें तो उनके हक में यह एक बहुत बड़ा लाभ का काम होगा।

मान्यवर, कभी–कभी क्राइम्स वीक मनाया जाता है। मैं नहीं जानता कि क्राइम्स वीक का मतलब क्या है? पुलिस से रोज आशा की जाती है कि वह सचेत रहेगी। क्या उसी वीक के अन्दर पुलिस को सचेत रहने की जरूरत पड़ती है? और उस वीक के अन्दर एस0 पी0 उनका एक कोटा बांध देता है।

[श्री राजेन्द्र सिंह —]

[3 बज कर 55 मिनट]

कि तुम्हें 50 आदमी जेल भेजने हैं और 109, 25 आर्म्स ऐक्ट के अन्दर बंद कर दिये। उनके खिलाफ रिकार्ड है कि तुम 25 और 109 के अन्दर जेल गये थे। यह प्रक्रिया है। इस क्राइम वीक मनाने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाय। पुलिस आफिसर थ्रू आउट ईयर, हर समय, सोते समय, भी सचेत होगा और न्याय दिलाने का प्रयास करेगा, बदमाशों को पकड़ेगा। क्राइम वीक में बदमाश कहां से आ जाते हैं। या तो पैसा देते हैं। यह भी देखना चाहिए।

श्रीमन्, बहुत ही चीजें थीं। समय हो गया है। सूक्ष्म कर के आपकी आज्ञा से फिर भी बहुत कुछ है। श्रीमन्, कल फिर मौका मिलेगा मैं तब बोल लूंगा।

दो-तीन सुझाव और हैं, श्रीमन्। सुझाव यह हैं कि हमको गांधी जी के जो नैतिक मूल्य थे उनको लागू करना चाहिए। आप लोगों ने नैतिक मूल्यों को तिलान्जलि दे दी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्यों होता है? हम जानते हैं कि शराब बहुत खराब चीज है और वह बहुत सी खराब चीजों को पैदा करती है। आप यह मान कर चलते हैं कि इससे हमारे स्टेट को रेवेन्यू मिलता है। श्रीमन्, प्रथम प्रेसिडेन्ट कांग्रेस के हयूम थे। उन्होंने श्रीमन्, यह कहा था, गांधी जी के अनुयायी थे, कि शराब से रेवेन्यू की कमाई, टैक्स की कमाई, पाप की कमाई है। कभी नहीं लेना चाहिए। आप शराब बंदी कराने का प्रयास करें। शराब से रेवेन्यू ले कर आप इस प्रदेश का उत्थान नहीं कर सकते।

इसी तरह से फिर मैं आता हूं। उपलब्धियों की बात कही जा रही थी। उपलब्धि इस शासन की, श्रीमन्, मैं गिनाये देता हूं, सुनते चलेंगे। लिख लीजिए। श्रीमन्, खाद की कीमत में वृद्धि, बसों के किराये में वृद्धि, विद्युत् की दरों में वृद्धि, सिंचाई की दरों में वृद्धि, शीतगृहों के रेटों में वृद्धि, डिजिल, मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि, चीनी, कोयला, वनस्पति, घी, तेल, दाल, मशीन, सीमेंट, ईंट, लोहा, कागज, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि, इनकाउंटर के नाम पर नरसंहार, हरिजन अत्याचार। और, श्रीमन्, अगर कोई चीज इन के जमाने में सस्ती हुई है तो इन्सान की जान। किसी को मरा सुनते हैं तो उसकी जान के दाम दस हजार बंधे हैं। कोई व्यक्ति मर जाय मुख्य मंत्री फौरन एनाउन्स करेंगे कि इसकी जान की कीमत दस हजार। यह इन्होंने कर रखा है।

माननीय, मुख्य मंत्री जी ने एक डिस्टिंक्शन किया था मुख्य मंत्री और अपनी प्राइवेट लाइफ में, पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में। यही हमारे और आपके नैतिक मूल्य में अंतर है। माननीय मुख्य मंत्री जी आप राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं हैं आप मुख्य मंत्री जी हैं आल दि टाइम। आप घर के अन्दर बैठेंगे, अपने परिवार में बैठेंगे तब भी आप के ऊपर मुख्य मंत्री की छत्र-छाया बनी रहेगी। पद रहेगा। पद हटता नहीं। इससे आप बच नहीं सकते। इसलिए मेरा कहना यह है कि यह कह कर बचा नहीं जा सकता कि प्राइवेट लाइफ में इन्टरफियर मत कीजिए। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह आप की प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ में कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

आप एक हैं आल दि टाइम। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक इन्टरव्यू दिया जिस में उन्होंने कहा कि "माई फेल्योर इज टोटल"। अपने लिए कहा, अपने शासन के लिए कहा कि फेल्योर इज टोटल।

इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

(तालियां)

*श्री धर्म सिंह--

मान्यवर, मैंने विरोधी दल के नेता के भाषण को दो, ढाई घंटे बड़े सब्र के साथ सुना। एक किसान का बेटा होने के नाते मैं आपसे उम्मीद करता था कि आप कुछ किसानों की बात कहते, कुछ गरीबों की बात कहते, किस तरह से यहां पर प्रदेश में प्रोडक्शन बढ़े, बिजली की पैदावार बढ़े और इसी तरह से अन्य काम किस तरह से हो, वह बात कहते तो मान्यवर, हम यह समझते कि आपने सदन का पूरा समय लिया है। हरिजनों की बड़ी दुहाई दी गई। मैं जानता हूं। मैं सन् 1952 से इस सदन में रहा हूं और मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखा है....।

(व्यवधान)

मैं 20 साल पहले यहां पर मंत्री रह चुका हूं, तब आप पैदा भी नहीं हुये थे। सन् 1952 में आप कहां थे। मैंने सन 1952 का जमाना देखा है, सन् 1957 का जमाना देखा है, सन् 1962 का जमाना देखा है, सन् 1967 का जमाना देखा है, सन् 1969 का जमाना देखा है, सन् 1974 का जमाना देखा है और आज सन् 1980 से आप लोगों को देख रहा हूं। हरिजनों की बड़ी दुहाई दी जाती है।

मैं आपको ले जाता हूं सन् 1969 के चुनाव की तरफ जब कि हरिजनों को वोट नहीं डालने दिया गया था। जब 1980 में यहां पर चुनाव हुये तो क्या यह उत्तर प्रदेश के लिये चुनौती नहीं थी ? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हम सब यह अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन लोगों ने दस-दस साल से वोट का मुंह नहीं देखा था, उनको वोट का अधिकार मिला था आज आप हरिजनों की दुहाई दे रहे हैं। कहते हैं बहुत अत्याचार इन दो साल के अन्दर हरिजनों के प्रति हुये हैं। मैं मानता हूं कि हरिजनों के प्रति अत्याचार होना बहुत दुखदायी है। गांधी जी का सपना था और चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, समाज में इस तरह का वातावरण पैदा होना बहुत ही दुखदायी है और इस तरह से जनतंत्र खतरे में पड़ जायेगा और समाजवाद समाप्त हो जायेगा। उस तरह से यह देश प्रगति की तरफ नहीं जा सकेगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धर्म सिंह—]

आपने अभी बताया कि प्रदेश के अन्दर दो साल के भीतर क्या-क्या हुआ है ? देउली और साढ़पुर तथा अन्य स्थानों के बारे में आपने कहा । पिछले सात महीनों में हरिजनों के विरुद्ध 421 अपराध हुये हैं । आप 15-9-78 के आंकड़े देख लें । वह किसी भी तरह से आज की तुलना में कम नहीं हैं । मेरे पास 31-8-78 का पायोनियर है उसमें यू0 पी0 में हरिजनों के ऊपर हुये अत्याचारों के बारे में एक रिपोर्ट है । मैं सिर्फ उसकी एक हेडिंग पढ़ देना चाहता हूं ।

मैक्सिमम नम्बर आफ क्राइम्स बिलांगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट्स इन यू0पी0 ।" इसके अलावा मेरे पास और भी रिपोर्ट्स हैं । मेरे पास "प्रभात" 11-6-79 का है जिसमें लिखा है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हुये हैं । इसके अलावा डाकुओं द्वारा 14 हरिजनों की हत्या यह "हिन्दुस्तान" 12 दिसम्बर, 1979 का है । यह इटावा जिले के मुख्यालय की सूचना है । इसके अतिरिक्त मेरे पास और भी मसाला है । कई बातें कही गई हैं । ढाई घन्टे तक बड़े सब्र के साथ में उनको सुनता रहा और कहा गया कि हमारा शासन आने के बाद यहां पर कोई काम नहीं हुआ है । उस दिन को याद कीजिये कि जब साढ़पुर में कांड हुआ था, प्राइम मिनिस्टर की यहां पर मीटिंग हो रही थी और एक-दो घन्टे के अन्दर केवल हरिजनों को ही क्यों मारा गया क्या यह कोई राजनैतिक षड्यंत्र बदमाशों द्वारा कराना था या नहीं, यह राजनैतिक षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है ? यह केवल इंदिरा गांधी की सरकार को और माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया । क्योंकि सन् 1952 से मैं देख रहा हूं कि हरिजनों ने इस प्रदेश में आपका साथ नहीं दिया है । केवल जेलेसी को लेकर के यह सिखाना चाहते हैं कि उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया । इस देश की रक्षा हरिजनों ने की है बाकी दूसरे लोगों ने तो गुलछर्रे उड़ाये । आज गांधी जी के नाम पर हमको सताया जा रहा है ।

मान्यवर, समय इसी तरह से निकल जायेगा और उसको बरदाश्त नहीं किया जायेगा । आप इतिहास को उठा कर देख लें कि कभी इतने डकैत मारे गये अगर डकैत मारे जाते हैं तो दुहाई दी जाती है और नाराजगी पैदा होती है । आज तक कभी भी आपने देखा कि 115 पुलिस कर्मी शहीद हुए हों, आप मुझे बता दीजिये । माननीय नेता विरोधी दल का जो भाषण हुआ उसमें उनको श्रद्धांजलि अर्पित वह करते, उनकी सराहना करते तो उनका मनोबल ऊंचा होता । अगर उनका मनोबल ऊंचा नहीं करेंगे तो यहां क्या हालत होगी, हम कहां रहेंगे, सोसायटी कहां रहेगी, समाज कहां रहेगा, हमारा जनतंत्र कहां रहेगा, यहां हा हाकार मच जायेगा । केवल राजनीतिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए सरकार को बदनाम करने के लिए यह सब हुआ है । कोई सराहना की बात आपने नहीं की । ठीक है आपने ढाई घंटे तक भाषण दिया मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को भी सुना, मैं जानता हूं यहीं पर पं0 गोविन्द वल्लभ पंत बैठे थे, यहीं पर डा0 सम्पूर्णानन्द बैठे थे, मैं जानता हूं कि यहां पर चौधरी चरण सिंह भी बैठे थे, विरोधी दल के नेता के रूप में माननीय नारायण दत्त तिवारी भी बैठे हैं, माननीय त्रिलोकी सिंह भी बैठे हैं तो कभी आपने इस तरह से हरिजनों की बातें राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर रखते हुए देखा है । कोई ऐसी चीज कभी नहीं थी ।

क्या आपने कभी इस बात की कोशिश की या माननीय मुख्य मन्त्री जी को पत्र लिखकर भेजा है कि यहां पर हरिजनों पर क्यों अत्याचार हो रहे हैं इस पर हम सब आपके साथ हैं ? आप तो केवल दफा 56 या 51 में नोटिस देते रहते हैं यही आपका काम रह गया है एक्सप्लोइट करने के लिए । कभी दिल से सोचा है कि उन मासूम लोगों के मरने के पीछे क्या कारण है ? सरकार में बुराई हो सकती है, आप भी यहां पर तीन साल तक रहे तो क्या कभी इतने डकैत मारे गये ? सन् 1977 में पार्लियामेंट के भंग होने के बाद यहां पर चुनाव कराने की एक गलत परम्परा आपने डाली जिसे हमें भुगतना पड़ा फिर उसके बाद सन् 1980 में चुनाव हमने लड़े और अब पता नहीं कब क्या होगा ?

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल के भाषण के बाद उसके जो उत्तर होते हैं उसको सुनने के लिए नेता विरोधी दल को यहां होना चाहिये, तो न तो नेता विरोधी दल हैं और न उप-नेता विरोधी दल यहां पर हैं तो कौन माननीय धर्मसिंह जी के संसदीय प्रहारों को सहन करेगा ? क्या माननीय हुकम सिंह जी सहन कर सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय चेतराम गंगवार जी, सम्भव है कि कोई प्राकृतिक आदेश का पालन करने गये हों ।

श्री धर्म सिंह—

तो मैं निवेदन कर रहा था कि सन् 1977 के बाद इतने डकैत कहां से आ गये और हरिजनों पर सन् 1977 से 1979 तक कितने अत्याचार हुए थे और जो इतने डकैत तीन सालों में पैदा हो गये तो वह कौन सा वातावरण पैदा हो गया ? कौन जिम्मेदार है उसका ? तीन साल पहले बच्चा पैदा होता है, 2 साल में 5 साल का जब होता है । आपके जो कर्म थे, कुकर्म थे, जिससे एनार्की फैल गई, यहां की सरकार और यहां के मंत्रियों ने उसको भुगता है । भूल गये आप मुरादाबाद के मामलात, तो आपके कर्मों के फल से कत्ले आम हुआ था । किन-किन परेशानियों को इस सरकार ने सम्भाला है । जो हिन्दू-मुस्लिम दंगे होते थे, वह आज कहां हुए, होली पर झगड़े होते थे, वह अब कहां हुए। इसी तरह इलाहाबाद में कुम्भ का मेला हुआ, पुराने सदस्य जानते हैं पुराने जमाने में वहां पर कौन-कौन गड़बड़ियां हो जाया करती थीं, लेकिन इस बार वहां पर शान्तपूर्ण वातावरण में कुम्भ का मेला सम्पन्न हुआ । तो

[श्री धर्म सिंह—]

यह सब क्या यहां के एडमिनिस्ट्रेशन का, यहां की पुलिस का सराहनीय कार्य नहीं कहा जा सकता है। क्या यह बधाई के पात्र नहीं हैं ?

मैं मानता हूं कि गल्तियां होती थीं और होती हैं और जब आप शासन में बैठे थे तब भी होती थीं। वह प्राकृतिक है, उनको नजरन्दाज नहीं किया जा सकता है। यदि दूध में पानी मिला दिया जाए तो पानी को कोई असर नहीं होता है, दूध दूध ही रहता है। इसी प्रकार श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में जो सरकार चलती है और जो यहां पर सरकार चलती है। मैं जानता हूं कि कोई कितना चाहे उसका कुछ बुरा नहीं हो सकता है, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हम लोगों ने अपने त्याग और बलिदान के बल पर देश की आजादी को प्राप्त किया है। हम जानते हैं कि संघर्ष क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, बांझ प्रसव की पीड़ा को क्या जाने . . .

(व्यवधान)

आप तो इसी प्रकार से सीधे चले आते हैं। आप कोई कांस्ट्रक्टिव सुझाव दीजिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में कोई सुझाव दीजिए।

प्रोडक्शन बढ़ाने की कोई बात होती है, ऊर्जा संकट दूर करने की कोई बात होती है, तो इसके लिए आपके पास कोई सुझाव नहीं है। जो बिजली की गड़बड़ी थी, उसकी कमी को दूर किया गया है, उसके लिए आपके पास सराहना के कोई शब्द नहीं हैं। आप तो केवल उल्टी-सीधी आलोचना करना ही जानते हैं, कोई रचनात्मक सुझाव आप के पास नहीं हैं। मैंने बहुत से मुख्य मन्त्री देखे हैं, लेकिन यह पहले मुख्य मंत्री हैं जिन पर चार्ज नहीं लगाया जा सकता है कि यह पूंजीपतियों के हाथ बिक गये हैं।

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह—

अभी आपने कहा कि यह पहले मुख्य मंत्री हैं जो पूंजीपतियों के हाथ नहीं बिके हैं, तो क्या इनके कहने का आशय यह है कि जो पहले के मुख्य मन्त्री थे वह बिक गये थे ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय धर्मसिंह जी, माननीय हुकम सिंह जी आप बहुत पुराने सदस्य हैं, आप पुरानी कहानियों को जाने दीजिए।

श्री धर्म सिंह—

कहानी तो बहुत सी हैं, लेकिन समय नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूं कि यहां पर समस्याएं किस तरह दूर हों, वह बताएं। हो सकता है तीन साल के बाद आपको यहां बैठना पड़े, लेकिन अगर आपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन्स को बर्बाद कर दिया, उन परम्पराओं को भंग कर दिया जो डेमोक्रेटिक सेट-अप में चली आती हैं तो आपको आने वाली यहां की जनरेशन कभी माफ नहीं करेगी। फर्जी बातों से काम नहीं चलेगा। मैं मानता हूं समस्याएं हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए

और उसके लिए मैं पल्ला फैलाकर आपसे भीख मांगता हूं कि आप आइये और हमारी समस्याओं को दूर कीजिए कि किस प्रकार यहां पर अत्याचार दूर हों, किस प्रकार यहां पर ला एन्ड आर्डर ठीक हो ? क्या यह इन्हीं का कसूर है ? और आपने लगाई दियासलाई और भाग गये और इधर-उधर की बातें करने लगे ।

इन बातों से काम नहीं चलेगा । ये कमीशन पहले भी आये हैं, बड़े-बड़े डिमांस्ट्रेशन हुए हैं, बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन इस पे-कमीशन ने जितना अच्छा काम किया है और सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसके लिए सरकार की सराहना की जानी चाहिए । पे-कमीशन में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, वह हमेशा रहती है, लेकिन जिस मुस्तैदी से और परम्परा के साथ उस समस्या को सुलझाया है, वह अवश्य सराहनीय है । चुनौती बहुत सी आई हैं और उन चुनौतियों का सरकार ने बहादुरी से मुकाबला किया है और करेंगे ।

मुझे एक कहानी याद आती है, मान्यवर, एक मिनट लूंगा । एक मां का एक बच्चा था, वहां पर एक दूसरी मां भी थी वह कहने लगी, कि यह बच्चा मेरा है । आपस में विवाद हुआ तो मामला जज के सामने पेश हुआ । जब जज ने पूछा असली मां कौन है तो पहले वाली मां ने कहा कि यह बच्चा मेरा है फिर दूसरी मां से पूछा तो उसने भी यही कहा कि यह बच्चा तो मेरा है । जज ने आदेश दिया कि इस बच्चे के दो टुकड़ कर दो । इस पर असली मां ने कहा कि मैं असली मां नहीं हूं । उसने सोचा कि अगर यह जिन्दा रहेगा तो मैं कम से कम देख तो लूंगी । इसके टुकड़े तो न होंगे । तो इसी प्रकार से विरोध पक्ष वालों का हाल है । तो मेरी प्रार्थना है कि इस तरह की जो हमारी परम्परायें हैं, जो इस तरह के काम हमने किए हैं, या करेंगे, उनको कायम होने दें । यह सरकार है, हमें प्यारी है, यह देश और प्रदेश है मेरी प्रार्थना है कि इसकी समस्याओं को सुलझाने में हमारी मदद करें । इधर-उधर की बातों से काम नहीं होने वाला है, आप हमारा साथ दीजिए ।

इन शब्दों के साथ मैं विरोधी दल के नेता द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे कृपया इसे वापस ले लें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, अभी मैंने इस सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य, श्री धर्म सिंह, जी का भाषण सुना लेकिन मैं यह सोच रहा था कि समाज के निर्बल वर्ग के बारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---]

में जो उनके मन में पीड़ा है, उसको ध्यान में रखते हुए जब वे अपने भाषण का समापन करेंगे इस बात का उल्लेख अवश्य करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जो अपराधों की पुस्तिका प्रकाशित हुयी है, उसमें स्वीकार किया गया है कि आज हिन्दुस्तान में जितने हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं, उनमें उत्तर प्रदेश का स्थान सर्वोपरि है। पिछले 3 वर्षों में जितने अत्याचार हरिजनों पर हुए हैं उतने पहले कभी नहीं हुए थे। तो वे राज्य सरकार की भर्त्सना करते और उसको शास्ति करते उन्होंने यह भी निर्देश जारी कर दिए थे कि हरिजनों की सुरक्षा के मामले में केन्द्रीय सरकार जिलों में सीधे हस्तक्षेप करेगी, जिसका उस समय हमने विरोध किया था कि यह केन्द्रीय सरकार के अधिकार की बात नहीं है लेकिन उन्होंने अपने पक्ष का एक निर्णय दिया। जब माननीय मुख्य मंत्री जी अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि आगे आने वाले इतिहास में उन तमाम शहीदों की बात स्वर्णाक्षरों में लिखी जायेगी जिन्होंने डकैतों के साथ मुठभेड़ों में शहीद होकर अपनी वीरता का परिचय दिया।

मैं भी उनके प्रति आदर के भाव प्रकट करता हूं लेकिन उसके इतिहासकार यह भी लिखेंगे कि यह राज्य सरकार जनता में भय दूर करने में अक्षम रही है। इनके प्रशासन में और इनके दल में जो वरिष्ठ राजनीतिक लोग हैं, उनका संरक्षण पाकर जो समाज का अपराधी वर्ग है, उसका हौसला इतना बढ़ गया है कि जो हमारे छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, उनको शहीद होना पड़ा है। नेता विरोधी दल ने बड़े विस्तार के साथ और प्रभावशाली ढंग से पुलिस की अक्षमता की चर्चा की। इनकी पुलिस कैसी है, उनका प्रशासन कैसा है, अगर हम इसकी आलोचना करेंगे तो ये कहेंगे कि आप तो प्रतिपक्ष के लोग हैं, आपका तो काम ही है विरोध करना।

मान्यवर, एक माननीय न्यायाधीश का निर्णय हो चुका है जिसमें हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति, श्री मुल्ला के अनुसार भारत की पुलिस के बारे में कहा था कि वह आर्गनाइज्ड गैंग आफ गैंगस्टर्स है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई बदमाशों का संगठन है तो वह भारत की पुलिस है। उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस को एक्सपन्ज करा दिया था क्योंकि वह भारत सरकार की पुलिस के बारे में कहा गया था। अभी मार्च के प्रथम सप्ताह में बांदा के सेशन जज, श्री भगवती प्रसाद ने कहा, उन्होंने कहा है--

"दि सेसन जज मिस्टर भगवती प्रसाद हैज पास्ड स्ट्रक्चर आन दि पुलिस फार ह्वाट ही काल्ड 'ग्रोस मिसयूज आफ ला'। ही वाज डिलीवरिंग ए जजमेन्ट इन दि क्रिमिनल केस। इक्सपोजिंग दि आब्रोट्रेटरी वेज आफ वर्किंग आफ दि यू0 पी0 पुलिस, दि जज वार्न्ड दैट दि वेज आफ दि पुलिस वर्किंग एन्ड देयर अटर लैक आफ फेयरनेस एन्ड मोरेलटी हैड क्रीयेटेड सच कन्डीसन दैट वी शुड स्टाप एन्ड पान्डर ओवर दि ग्रेव प्राबलम। इन फेक्ट, सिविल लिबर्टी एन्ड ह्यूमन डिग्निटी वेयर थ्रीटेन्ड बाई दि ग्रोज मिसयूज आफ ला बाई दि पुलिस।"

श्री उपाध्यक्ष---

आपने वह प्वाइन्ट नहीं कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो कहा, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सपन्ज कर दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह तो बांदा का मैं बता रहा हूं। हिन्दी इस प्रकार है बांदा के माननीय सत्र न्यायाधीश श्री भगवन्त प्रसाद ने अपराध के मुकदमें में अपना निर्णय देते हुये पुलिस के विरुद्ध स्ट्रक्चर पास किया है कानून का बड़ा दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश की गैर कानूनी एवं अनियमित कारगुजारी को उजागर करते हुये विद्वान न्यायाधीश ने चेतावनी दी है कि पुलिस के कार्य करने के तरीके और उनमें निष्पक्षता तथा नैतिकता के अभाव ने प्रदेश में ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि हमें उनसे उत्पन्न गम्भीर समस्याओं पर विचार करना तथा उन्हें रोकना होगा।

वास्तविकता यह है कि पुलिस द्वारा कानून का गम्भीर दुरुपयोग किये जाने से नागरिक स्वतन्त्रता तथा मानव के सम्मान तथा उसकी गरिमा के लिये एक बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गयी है।

मैं मान्यवर, अंग्रेजी का आगे वाला अंश न पढ़ कर हिन्दी में ही उसका अनुवाद पढ़े दे रहा हूं।

अपराधी को डकैती की तैयारी करने के अपराध से मुक्त करते हुये विद्वान न्यायाधीश ने पाया है कि पुलिस ने एक गांव में बनी पिस्तौल तथा 4 कारतूस बरामद दिखा दी। पिस्तौल को मोड़ते समय वह न्यायालय में टूट गयी। विद्वान न्यायधीश ने यहां तक कहा कि समाज के लिए घातक यह मात्र एक बनावटी कहानी नहीं है, वास्तव में इस प्रकार की मनगढ़न्त प्रासीक्यूशन स्टोरीज बनाना पुलिस का आम चलन हो गया है।

मान्यवर, फर्जी एनकाउन्टर्स की बातों की बहुत चर्चा माननीय नेता विरोधी दल कर चुके हैं, हम उनका विरोध क्यों करते हैं? फर्जी एनकाउन्टर्स का विरोध हम इसलिये करते हैं कि इसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। यह बात भी अपनी जगह पर सही हो सकती है कि कोई ऐसा भी व्यक्ति मारा जाये, जिसका इतिहास अपराधी प्रकृति का रहा हो, पर प्रश्न यह है, मैं चाहूंगा कि शासन इसका उत्तर दे, कि क्या किसी अपराधी व्यक्ति को दंड देने का भी अधिकार पुलिस को है? अपराधी को पकड़ने और दंड देने का, दोनों काम क्या पुलिस को दे रखे हैं? अगर ऐसा होगा तो निश्चय ही शक्ति का दुरुपयोग होगा, नैतिकता का पतन होगा और मनुष्य की गरिमा समाप्त हो जायेगी।

मान्यवर, अभी गोंडा में जो डी0 वाई0 एस0 पी0, नवयुवक मारा गया है, उसके मरने के बाद घटना स्थल पर 4 घंटे बाद पुलिस पहुंची है। डाकू वहां से भाग गये थे। जब पत्रकार लोग वहां पर गये तो उनको मालूम हुआ कि 15 तारीख को दोपहर तक कटरा थाने में एफ0 आई0 आर0 तक नहीं लिखी गयी थी।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

जिस समय वहां पर पूछा गया कि आपने अभी तक एफ0 आई0 आर0 क्यों नहीं लिखी है, तब उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी लोग जांच करने के लिए गए हैं, जांच करके आयेंगे, तब एफ0 आई0 आर0 लिख दी जायेगी। जो अपराधी मारा जाय, उसे बचाने का सवाल नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को मार दिया जाय, और उस पर अपराधी का समर्थन किया जाय आपकी पुलिस के अन्दर और राजनीति के अन्दर, तो यह बात कहां तक न्यायोचित है। इस बात का आपकी राजनीति के अन्दर गठबन्धन हो चुका है। मान्यवर, पुलिस की पूरी की पूरी जमात भ्रष्ट नहीं है। उसमें भी अच्छे लोग हैं। मान्यवर, इसमें जो भ्रष्ट हो गये हैं, उसका कारण यह है कि वर्तमान सरकार के कार्य करने का तरीका जो है, वह दोषपूर्ण है। अभी चार तारीख को, बरेली के माननीय चेतराम जी बैठे हुए हैं, जोर-जोर से चहकते हैं, चार तारीख की बरेली में शोशगढ़ नामक स्थान पर एक आर0 एफ0 सी0 ने दो चावल मिलों को पकड़ा, एक गुलशन नामक चावल मिल है, वहां पर चावल का स्टाक भी था और प्रोसेसिंग हो रही थी।

मान्यवर, दूसरी मिल के स्टाक को भी पकड़ा, वहां पर धान और चावल का स्टाक था, वहां पर प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में कोई एफ0 आई0 आर0 लिखाई गई है? क्या उसमें कोई गिरफ्तारी भी हुई है। वह गुलशन राइस मिल जो है, उसका उद्घाटन श्रीमती आबिदा बेगम साहिबा, जो संसद सदस्या हैं, उन्होंने किया। जो वहां के जिले के एम0 एल0 ए0 लोग हैं, जो वहां की सत्ता पक्ष की वरिष्ठ सदस्या हैं, क्या उनको यह पता था कि उस राइस मिल को लाइसेन्स मिला है या नहीं मिला है? वह मिल बिना लाइसेन्स के थी, न उनके पास होल-सेल का लाइसेन्स था, न राइस मिल का लाइसेन्स था। वहां सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ सदस्य लोग जब जायेंगे, शासन के लोग जब वहां पर जायेंगे तो क्या वहां का छोटा अधिकारी और कर्मचारी जो है, उसका मुंह उनके सामने खोलने का साहस कर सकता है। वहां का उद्घाटन संसद सदस्या ने किया था। इसका कारण मान्यवर, एक है कि ऊपर से नीचे तक देखने का दृष्टिकोण बदल गया है। अगर यहां से राजनैतिक संरक्षण अपराधियों को न मिले, तो प्रशासन ठीक हो सकता है। क्षेत्रीय मंत्री आपने बना दिया।

झांसी में एक बैठक हुई। क्षेत्रीय मंत्री गए, अधिकारी वहां पर गए। पूरी कमिश्नरी के अध्यक्ष जितने थे, वहां पर गए। मान्यवर, 4 बजे सायंकाल क्षेत्रीय मंत्री पहुंचते हैं, मीटिंग फिर शुरू हो जाती है, उनके सामने ट्रांसफर और पुलिस की कार्यवाही के मामले आने लगे, वह फाइल भी नहीं खोल पाये, जिस सम्बन्ध में बैठक होनी थी। श्रीमती नीरा रंजन ने एक पत्र लिखा था कि फलां मंडलीय मंत्री की बैठक में संस्तुति के अनुसार फलां कर्मचारी को स्थान्तरित किया जाता है।

मान्यवर, जो चिट्ठी लिखी गई थी, उस चिट्ठी की फोटो स्टेट कापी मैं सदन में प्रस्तुत कर चुका हूं। तो मान्यवर, यह कारगुजारी है मंडलीय मंत्रियों की।

कृषि राज्य मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि जो आरोप गुप्त जी ने लगाया है मंडलीय मंत्रियों के बारे में आधे घंटे मीटिंग होती है। मैं जानकारी दे दूं उनकी 7-7, 8-8 घंटे बैठकें होती हैं और स्थानान्तरण की एक बात नहीं होती है यह आरोप गलत है।

अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं जिस मंडल का सदस्य हूं आज तक कोई मीटिंग ही उस मन्डल में नहीं हुई। मेरी सम्माननीया बहन प्रेम तिवारी जी होती तो मैं स्मरण दिलाता। जो जानकारी मैंने दी है अपनी जिम्मेदारी पर सदन में दिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

आरोप जिस मंडल का था उस मण्डल से सम्बन्धित है न ?

श्री मोहन सिंह--

नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, सार्वजनिक उपक्रमों का बजट इसमें है। इसलिए मैं कुछ सार्वजनिक ब्यूरो के बारे में कहना चाहूंगा। मान्यवर, सार्वजनिक ब्यूरो की स्थापना 1973 में की गई थी। इसकी स्थापना करने का उद्देश्य यह था कि सार्वजनिक उपक्रमों को ठीक ढंग से चलाया जाय, सही रास्ते पर विकास के कार्यों में लगाया जा सके। लेकिन मान्यवर, आप देखें 1977-78 में एक लाख का बजट इसका था आज इसका बजट 10 लाख कर दिया गया और 10 गुना खर्च कर दिया लेकिन उपलब्धता क्या है। 77-78 में घाटा 210 करोड़ का था और आज 566 करोड़ का घाटा हो गया है जहां 25 सौ करोड़ रुपया लगा तो 20 प्रतिशत घाटा हो इसका कारण क्या है ? कारण एक है अगर गम्भीरता से ध्यान दिया जाय। वित्त मंत्री जी बैठे हैं मैं उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

मान्यवर, सन् 1977 में ब्यूरों के महानिदेशक का पद सृजित हुआ, सन् 1977 से बजट दिया जा रहा है लेकिन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण आज तक महानिदेशक की नियुक्ति नहीं हो सकी ? मान्यवर, 1977 से बजट स्वीकृत हो गया। आपको ताज्जुब होगा जिसका बजट स्वीकृत है उसके अगेंस्ट पद सृजित है लेकिन नियुक्ति नहीं हुई और वही 16 सौ के वेतनमान में एक अतिरिक्त महानिदेशक की नियुक्ति कर दी गई। मान्यवर, एक कमेटी बनी थी उसमें रिपोर्ट दिया था कि 4 महानिदेशक होने चाहिये। 4 महानिदेशक जो अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ हों। लेकिन आज किया क्या जा रहा है आप आई0 ए0 एस0 को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि वह प्रशिक्षित होकर इन उपक्रमों को चला सके। कमेटी की रिपोर्ट है कि ऐसे व्यक्तियों को रखा जाना चाहिये जो अपने विषय के विशेषज्ञ हों।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

मान्यवर, पिछले साल 148 करोड़ का घाटा था इस साल दुगुनी संख्या में हो गया है। मेरा इस सम्बन्ध में एक सुझाव है ब्यूरों सामान्य प्रशासन और कार्मिक विभाग के अधीन है। मंत्री जी और कुछ हैं जहां वित्त विभाग के अधीन सार्वजनिक ब्यूरों हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि इसको वित्त विभाग के अधीन किया जाय। कुछ बात सामान्य प्रशासन के बारे में कहना चाहता हूं। समय कम है इसको देखते हुये। जो सामान्य प्रशासन की पुस्तिका आपने दिया है उसमें निर्देश दिया है और सदन में भी कई बार यह बात उठी कि जिले स्तर पर जो समितियां बैठती हैं, विकास की योजनाओं आदि के सम्बन्ध में। उसमें आपने निर्देश दिया है अपने पत्र संख्या 67—तान (ग)—81—9—324, दिनांक 21—8—81 द्वारा कि जो भी बैठक होगी उसमें जो अधिकारी बुलाए जायं वह स्वयं उपस्थित होंगे।

(इस समय 4 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

लेकिन देखने में यह आता है कि जिस अधिकारी को बुलाया जाता है वह नहीं आता है और अपने सहायक को भेज देता है जैसे अधिशासी अभियन्ता को बुलाया गया तो वह जूनियर इंजीनियर को और बी0 डी0 ओ0 को बुलाया जाता है तो वह क्लर्क को भेज देता है। इसलिए क्षेत्रीय मंत्रीगण यहां बैठे हैं उनको और मुख्य मंत्री जी इसको सुनिश्चित करें कि जिन अधिकारियों को बुलाया जाय उनको स्वयं आना चाहिये।

मान्यवर, मितव्ययिता के नाम पर आपने सरकुलर जारी कर दिया, सरकुलर में लिख दिया कि जहां उद्घाटन होंगे वहां फीता, कैंची और बसूली आदि चीजें नहीं खरीदी जायेंगी। तो मान्यवर, इसमें देखें कि चाहे फीता न खरीदा जाय लेकिन दावतें और भोज हो रहे हैं जबकि सरकार के आदेश हैं कि दावतें और भोज नहीं होंगे। इसलिए इसको आप देखने की कोशिश करें।

मान्यवर, फरवरी, 1981 में सरकार का आदेश हुआ कि जिलाधिकारी कार्यालय में बैठेंगे। हम लोगों का अनुभव है कि जब हम जिलाधिकारी से मिलना चाहते हैं तो 2-4 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है और टाइम लेना पड़ता है क्योंकि कार्यालय में जाकर जब मालूम करते हैं तो कहा जाता है कि मीटिंग लगी हुई है। इसलिये शायद ही जिलाधिकारी कार्यालय में बैठते हों जबकि कार्यालय में बैठने के शासन के आदेश हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। मान्यवर, आपके आदेश हैं कि एस0 डी0 एम0 हेडक्वार्टर पर रहेंगे। लेकिन क्या मंत्री जी कभी यह जानने की कोशिश किया है कि कोई अधिकारी सक्षम है अपने मुख्यालय में रहने में। वह मुख्यालय में कभी नहीं रहते हैं। इसलिए इन चीजों को जब मुख्य मंत्री जी देखेंगे तो वास्तविकता का पता चलेगा कि प्रशासन स्वच्छ चल रहा है कि नहीं।

मान्यवर, स्वच्छ प्रशासन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नियमावली को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसलिए यदि अनियमित है तो उसको रद्द करके दूसरी क्यों नहीं बनाया? इसी तरह सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो द्वारा नियमावली सभी उपक्रमों को भेज दी गई लेकिन क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश किया कि उस नियमावली को कहीं लागू किया गया है? मैं तो कहता हूं कि कहीं नहीं लागू किया।

अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

मान्यवर, नागरिक सुरक्षा के बारे में हमको पुस्तिका दी गयी है। होमगार्ड के जो भाई हैं उनको कुछ सुविधायें दी गयी हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उनकी समस्याओं के बारे में क्या सरकार ने जानने की कोशिश किया है? होमगार्ड ऐक्ट में लिखा है कि होमगार्ड के कर्मचारी जो ड्यूटी में होंगे उनको वही काम होंगे जो पुलिस के हैं। लेकिन ड्यूटी के समय आहत होने, दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर क्या वही सुविधायें प्राप्त होंगी जो पुलिस के सिपाही को मिलती हैं, ऐसा नहीं है। आपने उनकी उपलब्धियां बढ़ाई हैं लेकिन उनको सिपाही का कैडर नहीं दिया है। इसलिये मेरी मांग है कि होमगार्ड जब ड्यूटी पर होंगे और उस समय आहत या दुर्घटनाग्रस्त होंगे तो वह सब अधिकार और सुविधायें उनको मिलनी चाहिये जो एक सिपाही को मिलती हैं।

मान्यवर, होमगार्ड को एक वर्दी देते हैं। तो क्या हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह चुस्त रहेंगे। चुस्त रहने के लिये साफ-सुथरा रहना जरूरी है। इसलिये होमगार्ड के कर्मचारियों को आप दो वर्दी दें।

इसी तरह मान्यवर, होमगार्ड में महिला, पुरुष सब हैं लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि नागरिक सुरक्षा गठन में एक भी महिला कर्मचारी होमगार्ड में वैतनिक और स्थायी नहीं है। इसलिये मंत्री जी इस पर विचार करें जबकि गृह मन्त्री महिला हैं लेकिन फिर भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिये होमगार्ड महिलाओं को वैतनिक और स्थायी करना चाहिये।

मान्यवर, आपने एक आदेश जारी किया कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अपने मण्डल में रहेंगे। तो क्या मैं जान सकता हूं कि मन्त्री जी ने इस बात को कोशिश किया कि वह दूसरे मण्डल में हैं कि नहीं। आप इसका निरीक्षण कराइये और तीसरे तथा चतुर्थ श्रेणी के जो लोग अपने मंडल से बाहर हैं उनको आप अपने यहां लाने की कोशिश करें। मान्यवर, होमगार्ड में 1971-77 के कुछ लोग जो पुलिस विभाग के हैं वह डेपूटेशन पर हैं। उनको पुलिस में वापस नहीं किया गया है और पुलिस के लोग होम गार्ड में काम कर रहे हैं। इससे होमगार्ड के लोगों में असंतोष है और कार्य करने की क्षमता तथा शैली प्रभावित हो रही है। तो नागरिक सुरक्षा को अच्छी बनाने के लिये आप इनको वापस कर दें।

मान्यवर, नागरिक उड्डयन भी आपके अन्दर आता है। मैंने एक सवाल विधान सभा के अन्दर किया एक तिथि दी थी कि इसके अन्दर कितने मंत्रियों ने हेलीकाटर का उपयोग किस-किस काम के लिये किया? एक लम्बी सूची आयी थी। उस सूची में मैंने देखा कि आगे लिखा था कि राजकीय कार्य, निर्वाचन कार्य का जिस समय बाई इलेक्शन हो रहे थे उस समय के लिये हेलीकाप्टर का प्रयोग किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि यह कौन सी व्यवस्था है जिसमें निर्वाचन कार्य के लिये हेलीकाप्टर का उपयोग किया जाय और उसे सार्वजनिक

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

कार्य समझा जाय । मैं जानना चाहता हूं वित्त मंत्री जी से या मुख्य मंत्री अभी आयेंगें, उनके स्थान पर जो नोट कर रहे हैं वह ध्यान दें कि जिन मंत्रियों ने निर्वाचन कार्यों के लिये हेलीकाप्टर का प्रयोग निजी तौर पर किया है क्या उनसे कोई पैसा वसूल किया गया है ?

अगर निर्वाचन कार्यों के लिये हेलीकाप्टर का प्रयोग किया गया है और उसको शासकीय कार्य माना गया है तो यह सत्ता का शासन द्वारा दुरुपयोग है । अपने दलीय कामों के लिये जिन्होंने प्रयोग किया है क्या उनमें से किसी व्यक्ति से पैसा वसूल किया गया है अगर वसूल किया गया है तो वह क्या है ? एक बात मान्यवर, मैं और बता देना चाहता हूं । अभी एक जी० ओ० गया है, खाद्य विभाग के जरिये जिलाधिकारियों को गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में । अधिकारियों को कैसे ह्यूमिलियशन किया जाता है इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं । उसमें लिखा है कि अगर कोई सुपरवाइजर या कोई साधन सहकारी समिति दोषी पायी जाय तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही न करें और ए० आर० रिकमेंड कर दिया जाय । अब जिलाधिकारी के सामने एक परिस्थिति पैदा हो गयी है । ए० आर० जिलाधिकारी से नीचे स्तर का अधिकारी है और डी० एम० जब ए० आर० से निर्देश लेगा तो कैसे व्यवस्था में सुधार हो सकता है ? डी० एम० ऐक्शन न लेकर ए० आर० को शिकायत करे तो आप कल्पना करेंगें कि कैसे आपका प्रभावी नियंत्रण होगा ? आप इसको देखें और जिलाधिकारी को उचित अधिकार देना चाहिये ताकि जिलाधिकारी, जो सहकारिता विभाग द्वारा वितरण प्रणाली चल रही है उसमें गड़बड़ियों को दूर करने में प्रभावी कार्यवाही कर सके ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गुप्त, आपके 25 मिनट हो चुके हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं 2 मिनट में खत्म कर देता हूं । मान्यवर, जो यह जो परिस्थितियां आज प्रदेश में उत्पन्न हो गयी हैं इनकी वजह से एक विस्फोटक स्थिति प्रदेश में पैदा हो गयी । कल बुन्देलखंड के कुछ लोग मुझसे मिले थे उन्होंने मुझे जानकारी दी । हमीरपुर के राठ कस्बे में पिछले 15 दिन में 4 अंधाधुन्ध मरडर हुये हैं । बदमाश इतने क्रियाशील हैं कि वह घरों में जाकर जेवर और सम्पत्ति लूटते हैं । पिछले कई दिनों से राठ का मारकेट बन्द है । हमीरपुर के लोगों ने बताया कि एक वकील के नौकर ने दरोगा के खिलाफ इस्तगासा दायर कर दिया । तो दरोगा ने मैजिस्ट्रेट के कार्यालय के सामने वकील साहब को बहुत मारा पीटा । वह मुख्य मंत्री जी से गृह मंत्री जी से मिलने आये थे । मिले कि नहीं इसकी जानकारी मुझको नहीं है । लेकिन अगर यह स्थिति है कि वकील को मैजिस्ट्रेट के कार्यालय के सामने पीटा जायगा तो शान्ति और व्यवस्था में कैसे सुधार आयेगा । डी० वाई० एस० पी० ने दरोगा से कहा कि ऐसा न करो इसका जवाब देना पड़ेगा लेकिन वकील साहब को पीटा गया । मुझे जानकारी मिली है कि उस दरोगा को सत्तारूढ़ दल का समर्थन प्राप्त है ।

डी० वाई० एस० पी० की बात नहीं मानी, मैजिस्ट्रेट की बात नहीं मानी और वकील साहब को बुरी तरह से मारते रहे । शायद वहां के लोग आपसे मिले होंगे, राम नरायन नाम के वकील हैं । मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जितने भी विभाग काम कर रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है कि सामान्य प्रशासन

तेज होना चाहिए, चुस्त होना चाहिए और जनप्रिय होना चाहिए और जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाला प्रशासन होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि प्रशासन आगे बढ़े, तो जो ईमानदार और योग्य कर्मचारी हैं, उनको प्रोत्साहन दीजिए और गलत काम करने वालों को दन्डित कीजिए, भ्रष्ट लोगों को राजनीतिक संरक्षण देना बन्द कीजिए। नेता विरोधी दल ने संकेत किया था लोकायुक्त की रिपोर्ट का, वह रिपोर्ट आपके दल के विधायक के खिलाफ थी। हम तो यह समझते थे कि शासन न्याय करेगा और उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि वर्तमान मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में रंगा हुआ है। इन शब्दों के साथ ही मैं नेता, विरोधी दल के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान का नाम पुकारे जाने पर।)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण दे दूं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि निर्वाचन कार्य में हेलीकाप्टर का उपयोग हुआ है, तो जहां तक मेरी जानकारी है उसके लिए पैसा वसूल किया गया है और किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप भी सहमत होंगे कि इस आदरणीय सदन में कोई सन्देह या शक होने पर बात कही जायगी। मैं चुनौती देकर कहता हूं कि आप कृपा कर सदन के बाहर ही मुझे बता दें कि किस-किस मंत्री से कितना-कितना पैसा वसूल किया गया है।

श्री ब्रह्म दत्त--

2 लाख रुपया वसूल किया जा चुका है और बाकी वसूल किया जा रहा है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव माननीय नेता, विरोधी दल ने रखा है, उसका विरोध करता हूं।

मान्यवर, यह आज बड़े सोचने और विचार करने का विषय है कि क्या कारण है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई? हम भी लोग इस बात को जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में कितनी ही राजनीतिक और सामाजिक विसंगतियां इसके कारण हैं। केवल उत्तर प्रदेश और भारत ही नहीं बल्कि विश्व में क्राइम की बढ़ती हुई हालत है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा भारतवर्ष का प्रदेश है।

[श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--]

पूरा प्रदेश देश का 1/6 हिस्सा है, और दुनिया का नवां मुल्क है। इसको सम्भालना और प्रशासन करना कोई आसान काम नहीं है। आप स्वयं भी 2 1/2 वर्ष 3 वर्ष में देख चुके हैं कि कितना सम्भाला कितना बिगाड़ा ? आज जो हालत खराब है, वह आपने ही विरासत में दी थी। मैं जो बात कहने जा रहा हूं, बड़े दावे के साथ और सच्चाई के साथ कहने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कृषि के लिए, किसानों के लिए, समाज के निम्न वर्गों के लिए, हरिजनों के लिए जो कुछ किया, वह आप कभी सोच भी नहीं सकते और जब अवसर मिला, कर भी नहीं सके थे। नेता विरोधी दल की स्पीच में, जो स्वयं को किसान कहते हैं और उनके नेता भी किसान कहते हैं, मैंने किसानों की उन्नति और उत्थान के लिए कोई बात नहीं सुनी, हरिजनों के लिए कोई बात नहीं सुनी।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए गन्ने का उचित मूल्य दिया, गेहूं का उचित मूल्य दिया और सिंचाई के साधनों का मौके पर जाकर अचानक दौरा किया और देखा। मैं ईमानदारी और सच्चाई के साथ कह रहा हूं कि कृषि की तरफ, किसान की तरफ, गांव की तरफ मौजूदा सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। अधिकतम नलकूप चलें और नहरों में टेलों तक पानी पहुंचे। गांव को बिजली मिली। रबी की फसल में 10-10 घंटे बिजली दी गयी और कहीं-कहीं पर तो 12 घंटे भी बिजली दी गयी। उद्योगों से बिजली काट करके खेतों में पहुंचाई गयी क्योंकि हमारी सरकार जानती है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है, इसलिए कृषि को बिजली उद्योगों के हिस्से से काटकर दी गयी।

अब मैं पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे पुलिस प्रशासन ने पिछले 5 और 6 महीनों से वह सराहनीय कार्य किया है जोकि आपके जमाने में नहीं हुआ। पुलिस ने बड़े-बड़े डाकुओं के गैंग का सफाया कर दिया है, अब केवल तीन-चार गैंग बचे हैं उनकी भी हालत क्षत-विक्षत हो गयी है, उनका सफाया करने के लिए भी हमारा पुलिस प्रशासन सक्रिय है। हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी 1981 के सेन्सेज के अनुसार 11 करोड़ और 8 लाख है। हमारा पुलिस फोर्स प्रति 10,000 व्यक्ति के हिसाब से 12 कांस्टेबल पड़ता है। मैं शासन से अपेक्षा करूंगा कि आपने आई0 जी0, डी0 आई0 जी0 बहुत अधिक बढ़ा दिए हैं और उन्हें बढ़ा भी रहे हैं। मेरा सुझाव है कि आप नीचे के स्तर पर इनको बढ़ाइए। कांस्टेबिल से लेकर इन्सपेक्टर और सब इन्सपेक्टर तक इनकी संख्या को बढ़ाइये। इसके अतिरिक्त जैसे कि आर्मी के लोगों को अलग से सुविधायें दी जाती हैं, वैसे ही इनको भी आप अलग से सुविधा प्रदान कीजिए। जैसे कि आर्मी के लिए कैन्टीन होती है, वैसे ही पुलिस की कैन्टीन भी खुलवाइए जिससे कि उनको अपना अनुकूल वातावरण मिल सके और वह भलीभांति जनता की सेवा कर सकें।

एक बात और कहना चाहता हूं कि आमतौर से यह प्रक्रिया रही है कि एस0 ओ0 की पोस्टिंग में एस0 पी0 और डी0 एम0 मिलकर किया करते हैं। अब हो क्या रहा है कि पुलिस अधीक्षक डी0 एम0 से राय नहीं लेता है। इससे होता क्या है कि यदि वह किसी से खुश है तो अच्छी जगह दे देता है और यदि खुश नहीं है तो उससे अपनी नाराजगी का बदला निकालता है। तो इनकी पोस्टिंग में मेंडेटरी होना चाहिए कि जिला स्तर पर डी0 एम0 की सलाह से ही एस0 ओ0 के ट्रान्सफर किए जायें या हटाया जाय या पोस्ट किया जाय।

अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

एक बात और कहना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं कि कारपोरेशन्स बन रहे हैं और ये कारपोरेशन्स सारे के सारे घाटे में जा रहे हैं। इसके लिए हमको यह देखना होगा कि इसके घाटे में चलने के क्या कारण हैं, इसके रीजन्स क्या हैं? चेयरमैन और मैनेजिंग डाइरेक्टर इसके बने हुए हैं, वह अंधाधुन्ध खर्च करते हैं। मान्यवर, सी0 डी0 एफ0 अलीगढ़ 1975 के बाद कारपोरेशन बना। इसके बनने के बाद पहिले 5-6 महीने में 45 हजार का घाटा हुआ उसके बाद दूसरी बार फिर 48 लाख का घाटा हुआ और इस तरीके से 5-6 वर्ष में एक करोड़ 16-17 लाख का घाटा यह कारपोरेशन दे चुका है।

अब मैं आई0 ए0 एस0 की बात पर आता हूं। यह आई0 ए0 एस0 भी हमारे समाज से ही निकलते हैं। जितने भी नए संस्थान बने हैं, वहां पर सीधे आई0 ए0 एस0 की पोस्टिंग हमारी सरकार कर देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहां और लोगों में भी टेलेन्ट है और लोग भी यहां पर टेलेन्टेड हैं, उन्हें भी मौका देना चाहिए। पी0 सी0 एस0 का भी एक दर्जा होता है, वह भी प्रशासन चलाने के लिए नियुक्त हैं, उनको भी मौका देना चाहिए। इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि डी0 एम0 और एस0 डी0 एम0 का प्रशासनिक सम्बन्ध है। इन दोनों के सम्बन्ध में बैलेन्स होना चाहिए। मान्यवर, सिंचाई विभाग में आप देखें कि

[4 बजकर 55 मिनट]

असिस्टेन्ट इंजीनियर की सीधी पोस्टिंग सब डिवीजन में होती है लेकिन एस0 डी0 एम0 की पोस्टिंग को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। मेरा किसी से वैमनस्य नहीं है लेकिन प्रशासनिक परेशानी जो देखने में आती है, जो हमने नजदीक से देखा है कि पी0 सी0 एस0 आफिसर्स यह महसूस करते हैं कि चार साल के लड़के तक उन पर हुकुम चलाते हैं। उसमें सामन्जस्य हो, कोआर्डीनेशन हो। आई0 ए0 एस0, पी0 सी0 एस0 सभी हमारे हैं।

आपने ही पुलिस का डिमारेलाइजेशन किया, आपके ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता बिल्कुल स्वच्छंद हो जायें, बिल्कुल डर निकल जाये और एक प्रधानमंत्री ने तो यह किया, और दूसरे ने पुलिस अधिकारियों को, डी0 आई0 जी0 भिन्डर जैसे लोगों को हथकड़ी लगवायी। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा गृह मंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की आज की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले कहते थे कि कैसे एनकाउन्टर हुआ, एक भी पुलिस वाला नहीं मारा गया और जब 115 मरे तो हर तरफ से शेम-शेम कहने लगे। उन्होंने बहादुरी की, मुकाबला किया, और मुकाबले में मर गए, रियल इनकाउन्टर्स हुआ तो उनको आप शेम-शेम कहते हैं। जब वास्तविक एनकाउन्टर्स होंगे तो मरेंगे ही और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो श्री पान्डेय सिपाही मारे गए 75 हजार रुपया दिया। सब-इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर, डी0 वाई0 एस0

[श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--]

पी0, बलिवेदी पर चढ़ रहे हैं और हमारी सरकार उनका पूर्ण रूप से ख्याल कर रही है और इसके साथ-साथ में पुनः धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष महोदय को । मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

यह विवाद कल जारी रहेगा ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 मे 13 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिसमें से श्री मोती लाल देहलवी, श्री राम नारायण, श्री राधेश्याम पटेल, श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री मुख्तार अनीस, श्री विद्यासागर नौटियाल, श्री गौरी शंकर भैया, श्री थम्मन सिंह गहलौत, श्री बलवीर सिंह द्वारा डाकू अनार सिंह द्वारा आगरा में 5 पुलिस कर्मियों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में थी । इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया और शेष अस्वीकृत हुईं ।

श्री हुकम सिंह--

हमने नियम 56 में दिया है उसको भी इसमें स्वीकार कर लिया जाय ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा शासन पक्ष की ओर इशारा करते हुए)

श्री अध्यक्ष--

कब वक्तव्य देंगे बता सकेंगे आप ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)--

मेरा निवेदन है कि 19 तारीख को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है । उसमें अगर इसको तय कर लिया जाये तो अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष--

19 तारीख को कार्य मंत्रणा समिति में इसे तय कर लेंगे । जब के लिए तय होगा, वक्तव्य दिया जायेगा ।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंधी, उपलवृष्टि एवं वर्षा से क्षति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

दिनांक 28 फरवरी तथा 1 मार्च, 1982 की मध्य रात्रि को आंधी, उपलवृष्टि एवं तेज वर्षा से प्रदेश के विभिन्न जनपदों को क्षति हुई जिनमें से जनपद कानपुर नगर, कानपुर देहात, मिर्जापुर, बांदा, ललितपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, खीरी, जालौन, फैजाबाद, बुलन्दशहर, मथुरा, अलीगढ़, देहरादून, फर्रुखाबाद, नैनीताल, सहारनपुर, हरदोई, झांसी, बिजनौर, रायबरेली, उन्नाव, एटा तथा शाहजहांपुर आदि में खड़ी फसलों को क्षति एवं

व्यक्तियों एवं पशुओं के मरने की घटनाओं की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। क्षति का विस्तृत आकलन स्थानीय अधिकारियों द्वारा सर्वे पूरा हो जाने पर उपलब्ध हो पायेगा। विभिन्न जनपदों में क्षति की स्थिति निम्नानुसार है :

कानपुर नगर—

अब तक प्राप्त सूचनानुसार कानपुर नगर में लगभग 250 ग्राम प्रभावित हुये हैं जिनमें से 90 ग्रामों में खड़ी फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति का अनुमान है। ग्राम वाजिदपुर उर्फ जाजमऊ में एक झोपड़ी की दीवार गिर जाने से 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

मृतकों के परिवार वालों को 1,000 रु0 की दर से सहायता वितरित कर दी गयी है। कानपुर शहर के मोहल्ला किदवाई नगर में बिजली के करेंट लगने से भी एक व्यक्ति की मरने की सूचना प्राप्त हुई है। कहीं-कहीं टेलीफोन व तार के खम्भे प्रभावित होने की भी सूचना है।

कानपुर देहात—

कानपुर देहात में करीब 575 ग्राम प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई है जिनमें से 333 ग्रामों में फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होना अनुमानित है। ग्राम बिसोंहा, तहसील डेरापुर में एक मकान की दीवार छप्पर सहित गिर जाने से एक ही परिवार के 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। एक बकरी भी मर गयी। मृतक के आश्रितों को 1,000 रु0 की सहायता जिला प्रशासन द्वारा दे दी गई। तहसील अकबरपुर में दस बिजली के खम्बे गिर गये जिन्हें ठीक कर दिया गया है।

बांदा—

5 तहसीलों क्रमशः बांदा, बबेरू, नरैनी, कर्वी तथा मऊ के लगभग 500 ग्रामों के प्रभावित होने की सूचना है। जिसमें खड़ी फसलों को 25 से 100 प्रतिशत तक क्षति होने का अनुमान है।

ललितपुर—

24 ग्रामों के प्रभावित होने की सूचना है जिसमें खड़ी फसलों को 10 से 30 प्रतिशत तक क्षति होने की सूचना है।

वाराणसी—

तहसील वाराणसी, चकिया, ज्ञानपुर तथा चन्दौली के लगभग 1,550 ग्रामों के प्रभावित होने की सूचना है। तहसील चकिया के 11 ग्रामों में फसलों को 100 प्रतिशत की हानि की सूचना है। अन्य ग्रामों में 10 से 75 प्रतिशत तक फसलों की क्षति अनुमानित है।

मिर्जापुर—

तहसील सदर, चुनार व राबर्ट्सगंज के कुल 3,146 गांवों के लगभ तीन चौथाई ग्राम प्रभावित है। जिनमें से 1,389 ग्रामों में फसलों को 70 प्रतिशत से भी अधिक क्षति अनुमानित है।

[श्री बैजनाथ कुरील—]

बुलन्दशहर—

962 ग्राम प्रभावित होने की सूचना है। 1,45,380 हे0 भूमि प्रभावित हुई है। 20 से 100 प्रतिशत क्षति का अनुमान है।

मथुरा—

करीब 1,500 ग्राम प्रभावित होने की सूचना है। 4 व्यक्तियों तथा एक पशु की मृत्यु होने तथा करीब 16 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है। घायलों की देखभाल जिला अस्पताल में की जा रही है।

मेरठ—

जनपद के कुल 1,039 ग्रामों में से 775 ग्राम प्रभावित हैं जिनमें खड़ी फसलों को 10 से 60 प्रतिशत तक क्षति अनुमानित है।

मैनपुरी—

450 ग्रामों के प्रभावित होने की सूचना है जिनमें से 370 ग्रामों में 15 से 45 प्रतिशत तक फसलों को क्षति हुई।

मुजफ्फरनगर—

388 ग्रामों के प्रभावित होने की सूचना है। जिनमें 24,116 हे0 खड़ी फसलों को 10 से 25 प्रतिशत तक क्षति अनुमानित है। गन्ने की फसल को कोई क्षति नहीं हुई है।

खीरी—

केवल तहसील मोहम्मदी के 104 ग्रामों में खड़ी फसलों को 50 प्रतिशत तक क्षति का अनुमान है। 79 ग्रामों में 25 से 40 प्रतिशत तक क्षति का अनुमान है। सरसों, चना तथा जौ की फसलों को लगभग 75 प्रतिशत क्षति की सूचना है। कुल 48,980 एकड़ कृषिगत भूमि को लगभग 3,26,248 रु0 की क्षति का अनुमान है।

इलाहाबाद—

जनपद के कुल 4,080 ग्रामों में से 1,248 ग्रामों के प्रभावित होने की सूचना है। इनमें से 431 ग्रामों में 75 प्रतिशत से अधिक की क्षति अनुमानित है। 276 ग्रामों में 50 से 74 प्रतिशत तक तथा 541 ग्रामों में 50 प्रतिशत से कम क्षति हुई। 3,05,067 एकड़ कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ।

जालौन—

तहसील जालौन के 251 ग्रामों के प्रभावित होने की सूचना है। जिनमें फसलों को 25 से 75 प्रतिशत तक हानि अनुमानित है।

अलीगढ़—

1,141 ग्राम के 1,54,107 हे0 क्षेत्रफल प्रभावित होने की सूचना है। लाही की फसल में 80 से 90 प्रतिशत क्षति तथा गेहूं, मटर, जौ की फसलों को 20 से 40 प्रतिशत की हानि का अनुमान है।

फैजाबाद—

जनपद के 307 ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक क्षति अनुमानित है ।

देहरादून—

जिले में खड़ी फसलों को 50 प्रतिशत से कम क्षति हुई है ।

फर्रुखाबाद—

तहसील फर्रुखाबाद के 239 ग्रामों में खड़ी फसल को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने का अनुमान है । अन्य तहसीलों में 50 प्रतिशत से कम हानि का अनुमान है । जीवन हानि नहीं है ।

नैनीताल—

नैनीताल सदर में कई मकानों, विद्यालयों तथा राजकीय इमारतों की क्षति हुई है जिसका अनुमान करीब एक लाख रु0 का है । भवाली तहसील में लगभग 50 हजार रु0 की सरकारी तथा व्यक्तिगत इमारतों की क्षति हुई है तथा 35 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं । नैनीताल तहसील के ग्राम बाजून, अघोरा, भीमताल, मल्ला रामगढ़, रामगढ़खास, ओखला कुन्डा तथा रतीघाट में सरकार तथा व्यक्तिगत भवनों को लगभग 80,500 रु0 की क्षति का अनुमान है । 23 व्यक्ति प्रभावित हुए । वन विभाग के 1,050 चीड़ के पेड़ तथा विद्युत् तथा टेलीफोन के तारों की क्षति हुई । तहसील नैनीताल में खड़ी फसल की क्षति 10 से 30 प्रतिशत तक हुई ।

सहारनपुर—

तहसील नकुड़ में खड़ी फसल को 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति का अनुमान है ।

हरदोई—

तहसील शाहाबाद के 82 ग्राम प्रभावित हुए हैं तथा 5,265 हे0 भूमि को 50 से 70 प्रतिशत तक क्षति का अनुमान है ।

झांसी—

130 ग्राम प्रभावित होने की सूचना है । जिसमें से झांसी तहसील के 16 ग्राम तथा मोठ तहसील के 2 ग्रामों में खड़ी फसल को 15 से 35 प्रतिशत क्षति का अनुमान है । मऊरानीपुर के 61 ग्रामों के 50 से 90 प्रतिशत तथा गरौठा तहसील के 57 ग्रामों में 40 से 80 प्रतिशत तक क्षति का अनुमान है ।

बिजनौर—

तहसील बिजनौर में खड़ी फसलों को 10 से 20 प्रतिशत तक क्षति का अनुमान है । ग्राम पूरनपुर गढ़ तहसील नजीबाबाद में दिवाल गिरने से एक वर्ष की लड़की की मृत्यु हुई ।

[श्री बैजनाथ कुरील—]

रायबरेली—

42 ग्राम प्रभावित होने की सूचना है। तहसील महराजगंज के 3 ग्रामों के खड़ी फसल को 60 से 80 प्रतिशत क्षति का अनुमान है। शेष 39 ग्रामों में 50 प्रतिशत से कम की क्षति हुई है।

शाहजहांपुर—

146 ग्राम प्रभावित होने की सूचना है। खड़ी फसल को 30 से 60 प्रतिशत क्षति का अनुमान है।

एटा—

जनपद की चारों तहसीलों (एटा, कासगंज, अलीगंज तथा जलेसर) के 909 ग्राम प्रभावित होने की सूचना है। खड़ी फसल को 10 से 80 प्रतिशत क्षति का अनुमान है।

उन्नाव—

296 ग्राम प्रभावित होने की सूचना है जिनमें 41 ग्रामों की खड़ी फसल का 50 प्रतिशत से अधिक क्षति का अनुमान है।

सभी जनपदों को आदेश 3-3-82 को ही भेज दिये गये थे कि जिन क्षेत्रों में फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक हानि है वहां मुख्य देयों की वसूली रोक दी जाय और छूट के प्रस्ताव तुरन्त भेजे जांय। जहां 50 प्रतिशत से कम हानि है वहां भी उत्पीड़न कार्यवाही न करने के आदेश भेज दिये गये हैं। विद्युत, सहकारिता आदि विभागों के सचिवों से भी कहा गया है कि वे अपने विभागीय देयों की वसूली रोकने के संबंध में यथा आवश्यक आदेश जारी कर दें।

दिनांक 5-3-82 को समस्त जिलाधिकारियों तथा विभागों को लिखा गया है कि वे प्रभावित क्षेत्रों में विभागीय योजनान्तर्गत तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत कार्यक्रमों को गति प्रदान करें जिससे प्रभावित लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों। जिलाधिकारियों को नियमानुसार दैवी आपदा से मृतक के परिवार वालों को 1,000 रु० तक अहेतुक सहायता तथा क्षतिग्रस्त मकानों हेतु नियमानुसार गृह अनुदान वितरण के लिए भी निर्देशित किया गया है।

बैंक देयों की रिशिड्यूलिंग के सम्बन्ध में सचिव, संस्थागत वित्त से कहा गया है कि वे बैंकों के साथ बातचीत कर आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

जिसकी सूचना है उन को पहले पूछ लेने दीजिए।

श्री राम गोविन्द—

उस दिन आप ने निर्देश दिया था कि पूरे प्रदेश के सभी जनपदों का विवरण..

श्री अध्यक्ष—

सवाल पूछने दीजिए, मान्यवर ।

श्री राम गोविन्द—

हमारे जिले में जबरदस्त पत्थर पड़ा है मेरे जिले का इसमें नाम ही नहीं है...

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें । जिनका प्रश्न है उनको पूछने दीजिए। मैंने माननीय छत्तर सिंह को बुलाया है ...

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर...

श्री अध्यक्ष—

बैठ जाइये । यह प्रतिदिन का आप का कार्यक्रम हो गया है कि आपको बैठने के लिए कहा जाता है आप खड़े हो जाते हैं । आप बैठें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

आप की आज्ञा से ....

श्री अध्यक्ष—

मेरी आज्ञा से नहीं, मेरी बिना आज्ञा से ।

श्री छत्तर सिंह—

क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह अपने स्तर से किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर एक हजार या साढ़े सात सौ या पांच सौ की सहायता की घोषणा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, प्रति हेक्टेयर की बात उस दिन की गयी थी, हरियाणा ने कुछ किया है । मैंने हरियाणा से जानकारी करी है चिट्ठी लिखी, टेलेक्स भेजा है कि किस आधार पर किया है ? उन्होंने क्राप इन्श्योरेन्स के जरिये किया है या किस तरह से किया है ? वह आ जाने पर परीक्षण करेंगे ।

श्री हुकम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा वर्षा और उपल वृष्टि। कई जगह बिजली गिरने से कुछ लोगों को नुकसान हुआ है । इसमें उन लोगों को भी शामिल कर लिया जाय जिन्हें बिजली गिरने से नुकसान हुआ है विशेषकर मेरे चुनाव क्षेत्र शामली में जहां दो व्यक्तियों को नुकसान हुआ एक की मृत्यु बिजली गिरने से हुई और एक आदमी का मकान जल गया बिजली से । जहां बिजली गिरने से नुकसान हुआ है उनको सहायता देने की कृपा करेंगे ? इसके साथ ही में मंत्री जी

[श्री हुकुम सिंह—]

से जानना चाहूंगा कि जो क्षेत्र वाली बात कही है कि जो क्षेत्र प्रभावित हैं उन क्षेत्रों में अपने सरकारी देय रोक दिये हैं। मुजफ्फरनगर में आप देखें। आपने कहा 25 प्रतिशत नुकसान हुआ है। गन्ने की फसल बच गयी है। जहां पर उपल वृष्टि हुई है मैं नहीं सोचता कि किस प्रकार आपके अधिकारियों ने आपको जानकारी दी है कि दूसरे फसलों को नुकसान हुआ, गन्ने की फसल बच गई ? गन्ने को ओला लगता ही नहीं। पूर्णतया बर्बाद हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन सारी बातों का आप सर्वेक्षण करा लें और उसके बाद ही सूचना देने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, बिजली गिरने से जो नुकसान हुआ है वह भी नेचुरल केलेमिटी में आता है और उनको भी वही सहायता मिलेगी जो अन्य को मिलेगी। जहां तक गन्ने का सवाल है, जो जिलों से सूचना आयी है उसके अनुसार गन्ने पर इसका कोई असर नहीं हुआ है।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का बयान हम लोगों ने पढ़ा, मैं एक निवेदन आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

निवेदन न कीजिए, आप प्रश्न करें।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, प्रदेश के विभिन्न जिलों के नाम इसमें आये हैं लेकिन पूर्वी जिलों के जैसे बलिया है, वहां पर भी ओला वृष्टि हुई है लेकिन उसके बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

वहां नहीं पड़ा तो इसमें काहे को आयेगा ?

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, वहां पड़ा है और फसलों को नुकसान हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय बलिया के बारे में भी सूचना मंगाकर वहां का सर्वे कराकर कि कितना नुकसान हुआ है, इसकी सूचना देंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, अभी तक सूचनायें आ रही हैं। यह आदेश जा चुके हैं कि प्रदेश में जहां कहीं भी इससे नुकसान हुआ हो वह इससे कवर होगा, कोई भी जिला नहीं छूटेगा। इसमें किसी जिले का नाम न होने से यह मतलब नहीं है कि वहां नुकसान नहीं हुआ है। और हमने भी सूचना मंगाई है।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय मंत्री जी, हमीरपुर में चार तहसील हैं, चरखारी तहसील में चरखारी और पनवाड़ी तहसील महोबा में बेल ताल, महोबा में कवरेज में, कुलपाहा तहसील में और मौदहा तहसील म ब्लाक मौदहा । यहां पर ओला वृष्टि से बहुत प्रभाव पड़ा है । वहां पर गल्ला बिनने तक की जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन ने जो रिपोर्ट आपको दी है वह गलत है । आपके आदेशों की अवहेलना की गई है । वहां पर हमीरपुर में ओला पड़ा है । क्या आप वहां की सूचना भी मंगायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, मैंने बताया कि अभी इस सिलसिले में सूचना और मांगी गई है । जो जिले छूट गये हैं और वहां ओला वृष्टि से क्षति हुई तो वे भी इस लिस्ट में आ जायेंगे । सूचना मंगाना जारी है । 10 तारीख को भी कुछ जगहों में ओला पड़ा है ।

(व्यवधान)

श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मनवगढ़-किथोरा और रामपुरा में एक भी एकड़ जमीन नहीं बची है जहां किसान अपनी फसल लगा सके । मैं पूछना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के इन तीन ब्लाकों में कितनी हानि आंकी गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, जहां तक आंकने का प्रश्न है, वह क्रम अभी चल रहा है । अधिकारी आकलन कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

जब पूरी सूचना आ जायेगी, तब उसके अनुसार कार्यवाही होगी ।

श्री विजय सिंह राना--

मंत्री जी ने कहा कि जिनकी रिपोर्ट नहीं आयी है उनकी सूचना मंगा ली जायेगी । मैं जानना चाहता हूं कि हमारे आगरा जिले में तिरावली, सदर और फतावा तहसीलों में भारी ओलावृष्टि हुई है तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वहां से भी इसकी रिपोर्ट मंगायेंगे, वह कब तक मंगा लेंगे और कब तक उस पर कार्यवाही हो जायेगी ? दूसरी बात यह है कि आपने राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत काम करने की घोषणा यहां पर की है कि ऐसी योजना चल रही है । जिलों में ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है । एक ब्लाक के अन्दर एक एम0 एल0 ए0 को एक किलोमीटर सड़क दी है । वह काम तो समाप्त हो गया है । अब कौन सी योजना आप दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, जहां से रिपोर्ट नहीं है वहां से मैंने रिपोर्ट मंगाने के आदेश दिये हैं । इतने आदेश हो चुके हैं कि अगर किसी जिले में क्षति नहीं हुई है तो वह भी निल रिपोर्ट भेज दें । पूरे प्रदेश के लिए आदेश हो गये हैं ।

श्री भगवानदीन कुशवाहा--

मेरे यहां ग्राम विसोहा डेरापुर में एक दीवार ढह जाने से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और माननीय मंत्री जी ने एक हजार रुपया की सहायता की है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि वह गरीब परिवार के लोग हैं तो उनको दो-दो हजार रुपया देने की घोषणा करेंगे और दूसरा प्रश्न हमारे तहसील में झींझर, संदलपुर, रसूलाबाद में 5-5 के0 जी0 के ओले गिरे हैं उससे पूरी फसल नष्ट हो गई है तो उनकी लगान माफी की घोषणा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, जहां तक इन परिवारों को सहायता का प्रश्न है वह अभी नियमानुसार एक-एक हजार दिया गया है।

(व्यवधान)

मैं कह रहा हूं अगर ऐसी स्थिति है तो उनकी सहायता बढ़ाई जा सकती है किसी और तरीके से उनकी मदद की जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

(डाक्टर बृज किशोर मिश्र का नाम पुकारे जाने पर) ऐसे प्रश्न आप लोग पूछिये जो पूछे नहीं गये हों, बार-बार खड़े होकर एक ही तरह के प्रश्न दोहराने से क्या फायदा है ?

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें देवरिया जनपद का नाम नहीं आया है वहां पडरौना में सैकड़ों घर इस उपल वृष्टि से गिर गये हैं, वह तो इतने गरीब हैं कि मिट्ठी और छाछ पर जीवित रहते हैं। तो उन लोगों के घर गिर गये हैं उनको मुआवजा देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने यह कहा जब रिपोर्ट आ जायेगी सबको देखेंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हर वर्ष कहीं न कहीं ओले, पत्थर या बाढ़ आती रहती है और सरकार यह घोषणा कर देती है कि वसूली स्थगित कर दी गई। तो जब वसूली स्थगित कर दी गई तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में सरकारी देयों की वसूली स्थगित करने के निर्देश दे रहे हैं उन क्षेत्रों में ऋणों के ब्याज माफी के भी आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, जो सरकारी देय होते हैं उसमें ब्याज नहीं लगता है जो बैंकों ऋण होते हैं उसमें ब्याज लगता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

एक समय में एक ही सदस्य पूंछ सकते हैं सब तो नहीं पूंछ सकते ।

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय मंत्री जी ने दो तारीखों का हवाला दिया है, जिनमें ओला पड़ा एक तो 28-2-82 और दूसरा 1-3-82 । तो इसके पहले भी ओले गिरे हैं । मैं यह बात माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कानपुर देहात में 577 गांव ओले से प्रभावित हुये हैं उसमें रसूलाबाद, तटवन और बिलहौर भी प्रभावित हुए हैं । तो क्या उनको इसमें शामिल किया गया है या नहीं ? अगर नहीं किया गया है तो जो रिपोर्ट आपको जिलाधिकारी ने दी है वह सही नहीं है और वह रिपोर्ट अधूरी है ।

श्री बैजनाथ कुरील--

रिपोर्ट तो पूरी तरह से छानबीन करके आयेगी कि कौन-कौन गांव प्रभावित हुए हैं, यह तो अनुमानित आंकड़े हमारे पास आये हैं, जो हमने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किये हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप हमारी तरफ मत नजर लगाइये ।

श्री यदुनाथ सिंह--

जैसा मंत्री जी ने कहा जनपद मिर्जापुर की तहसील सदर, चुनार व राबर्ट्सगंज--तीनों तहसीलों में ओलावृष्टि से बड़ी क्षति हुई और इसके पहले 12 फरवरी को भी वहां ओला और आंधी से हुई क्षति की दृष्टि से मैंने पत्र दिया था, तो उसको देखते हुए वह क्या तीनों तहसीलों के छात्रों की वर्ष 81-82, 82-83 के लिए फीस माफी करने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जहां भी जो क्षेत्र प्रभावित हैं, उनके देय स्थगित कर दिये गये हैं और अब आगे परीक्षण होगा ।

श्री किरनपाल सिंह--

मेरे जिले बुलन्दशहर में सौ प्रतिशत फसल नष्ट हुई है, वहां दुबारा खेतों की जुताई शुरू हुई है, मैंने ओला पीड़ित क्षेत्रों का खुद दौरा किया है, वहां पर गरीब जनता की मांग के बारे में मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि मंत्री जी जहां 100 प्रतिशत फसल नष्ट हुई है वहां सस्ते राशन की दुकानें खुलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

विभाग को लिखा जा चुका है कि वह प्रबन्ध करे और कोई वहां पर भूखा न रहने पावे, सब के पास सामान रहे ।

श्री सरदार सिंह--

मेरे मथुरा जिले में कई सालों से लगान और सरकारी देय स्थगित होते चले आ रहे हैं, इस बार भी ओला पड़ा है और वहां पर 1,500 ग्राम प्रभावित है, जिससे वहां के किसानों पर बहुत भार हो गया है, तो क्या मंत्री जी वहां का

[श्री सरदार सिंह--]

सब लगान और सरकारी देय माफ करने और किसान को ऋण से मुक्त करने के आदेश करने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सब नियमों के अनुसार किया जायेगा....

श्री अध्यक्ष--

वह यह बात कह चुके हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मंत्री जी ने अभी कई प्रश्नों का उत्तर दिया कि यह सूचना मंगाई जा रही है, तो मेरा सुझाव यह है कि 30 या 31 तारीख के लिए अब यह रख दिया जाए, ताकि तब तक सब सूचनाएं मिल जाएं कि कितना नुकसान हुआ है और कितनी राहत वहां पर जा रही है ।

श्री कन्हैया लाल--

वक्तव्य में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मथुरा जनपद में नुकसान हुआ है, जो कि अन्य जिलों से कई गुना ज्यादा है । रिपोर्ट में है कि कानपुर देहात और शहर देहात दोनों जिलों के जितने आदमियों की मृत्यु हुई है, उनको एक-एक हजार रुपया दिया गया है । वह मथुरा जिले में 4 आदमियों की मृत्यु बता रहे हैं, लेकिन वहां पर एक भी व्यक्ति को कोई रुपया नहीं दिया गया है तो यह क्यों ? दूसरी बात यह है कि जब वहां पर 1,500 सौ गांव बर्बाद हो गये, तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरा जिला ध्वस्त हो गया, तो क्या वह मेरे जिले का पूरा लगान माफ करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, लगान माफी के लिए हमारे 'रेवेन्यू मैनुअल में जो तरीके दिए गये हैं, उसके अनुसार होगा । जैसे कि जहां 75 प्रतिशत से ऊपर नुकसान हुआ है शत प्रतिशत माफ हो जायगा,

(व्यवधान)

उससे कम है तो 6 आना माफ होगा । उसके अलावा बाकी जो स्थगित है, वह देना पड़ेगा ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

गत वर्ष भूकम्प से मेरे क्षेत्र में बहुत से आदमियों के मकान ढह गये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, आप नहीं बुलाए जायेंगे, यदि इस तरह से बिना बुलाए बोलेंगे ।

श्री यशपाल सिंह--

यह प्राकृतिक आपदाएं तो आती रहती हैं और इनमें सबसे पहला काम यह होता है कि वसूलियां स्थगित कर देते हैं, लेकिन आगे जाकर उन वसूलियों की जो वसूली होती है तो उससे किसानों की कमर ही टूट जाती है। आपके जो नियम हैं, ऐसी आपदाओं के बारे में आप तकावी और सहायता देते हैं और वह किसानों तक कितनी पहुंच पाती है, उसको तमाम सदस्य और मान्यवर, आप स्वयं भी जानते हैं। तो इस प्रकार से 100-100 और 200-200 रुपया जो देते हैं, वह किसानों को नहीं मिलेगी। तो क्या इस पर आप विचार करने की कृपा करेंगे कि उनको अधिक सहायता मिल सके।

श्री बैजनाथ कुरील--

अगर हम पूरी माफ कर देंगे तो मैं समझता हूं कि शासन की वित्तीय स्थिति ही खराब हो जायेगी अतः यह संभव नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय मंत्री जी का जो वक्तव्य आया है उसमें मान्यवर, जनपद अल्मोड़ा का कहीं नाम नहीं है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र रानीखेत तहसील में चौखोटिया खेड़ा विकास खंड में और चमोली जनपद के विकास खंड गैरसैण पट्टी खनसा में बर्फ की वजह से सारी फसलें बरबाद हो गयी हैं। जो जिलाधिकारियों से रिपोर्ट आती है वह सही नहीं होती है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में भूचाल से बहुत मकान ढह गये हैं। मैं बार-बार मन्त्री जी कहता रहा और एक बार तो एस0 डी0 एम0 भी मेरे साथ गये उनको भी गिरे हुए मकान दिखाये, वहां के पटवारी ने भी इस आशय की रिपोर्ट, एक बार नहीं कई बार मन्त्री से मिला, तो मुझे शंका होती है कि जहां-जहां पर फसलें बरबाद होती हैं, उनके बारे में जिलाधिकारी सही रिपोर्ट देते होंगे। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि सदन के माननीय सदस्यों की वे एक कमेटी बना दें जो प्रदेश के गांव-गांव में जाकर देखें और अपनी रिपोर्ट शासन को दे ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, दोनों फसलों रबी और खरीफ की उत्पादन लागत बढ़ गयी है लेकिन नियमों के अनुसार जो बहुत पुराने बने हुए हैं, दोनों फसलों, रबी और खरीफ के नुकसान के परसेन्टेज पर आप किसानों को रेमिशन देते हैं। तो क्या दोनों फसलों, रबी और खरीफ के अलग-अलग से उसकी फसल के आधार पर नुकसान को देखकर रेमिशन देने पर विचार करेंगे।

श्री बैजनाथ कुरील--

यह बात सही है कि उत्पादन कास्ट बढ़ गयी है लेकिन यह भी सही है कि उत्पादन भी बढ़ गया है। पहले के जो नियम बने हुए हैं, अभी उनमें तरमीम करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

इस बात को ध्यान रखते हुए कि जो दैवी आपदा होती है, उसमें शासन आर्थिक अहेतुक सहायता देता है और लगान वगैरह माफ करके राहत देता है। ये नियम 70–80 वर्ष पुराने बने हुये हैं और इनके बारे में सदन में चिन्ता की गयी है। तो मैं शासन से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि जो अहेतुक सहायता दी जाती है, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये उसमें जो तख्मीना निकालते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जहां पर कास्ट बढ़ी है, वहां पर शासन का रेवेन्यू भी बढ़ा है, जो हमारे नियम बने हुये हैं, उनको पुनरीक्षित करने का कोई आश्वासन मंत्री जी देंगे और जैसा कि माननीय विष्ट जी ने कहा, मेरे पास भी अल्मोड़ा से सूचना आयी है और अखबारों में भी छपा है कि अल्मोड़ा में हिमपात और भूस्खलन हुआ है, 6 व्यक्तियों की वहां पर मृत्यु भी हुयी है, क्या सरकार के पास इस स्तर पर इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है ? यदि नहीं, तो जानकारी प्राप्त करके उनको विशेष सहायता देने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जैसा कि माननीय गुप्ता जी के पहले प्रश्न का सम्बन्ध है हमारे जो नियम हैं उनका परीक्षण कराने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो हमारी वित्तीय स्थिति है उसमें हम कुछ और छूट दे पायेंगे यह मैं इस समय नहीं कह सकता हूं। भूस्खलन से जो क्षति हुई है उसकी भी जानकारी करायी जा रही है, वह भी एक नेचुरल कैलेमिटी है, इसमें वह भी कवर हो जाता है।

श्री अब्दुल रहमान खां 'नश्तर'—

हमारे यहां 5 आदमियों की मृत्यु ओलावृष्टि से हुई है और एक की मृत्यु करेन्ट लगने से हुई है और यह सभी लोग ऐसे हैं कि गरीबी की रेखा के नीचे स्तर के हैं। इनके परिवारों को जो एक हजार रुपये की सहायता दी जा रही है उससे उनका कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो क्या मंत्री जी 5 हजार रुपये प्रति परिवार देने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मैं इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर कोई आश्वासन नहीं दे सकता। कानपुर तो ऐसा शहर है कि वहां के लोग अगर चाहें तो आसानी से 5 हजार रुपये क्या 10 हजार रुपये दिला सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द—

बलिया जनपद पिछली बाढ़ में भी नष्ट हो गया और पत्थर के कारण भी सारी फसल नष्ट हो गयी है। तो वहां के किसानों की परेशानी को देखते हुये क्या वहां पर लगान की वसूली स्थगित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उसका उत्तर तो दिया जा चुका है।

श्री छत्तर सिंह—

क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एक ही फसल के नुकसान को आधार मान कर जो सहायता दी जाती है वह दी जाया करे? दूसरी बात यह कि आम की फसल को भी बहुत नुकसान हुआ है, क्या उससे हुई क्षति को इसमें शामिल किया जायेगा और राहत दी जायेगी? और ऐसी जगह पशुओं के····

श्री बैजनाथ कुरील—

जहां तक मेरी जानकारी है आम इसमें नहीं आता है, लेकिन हम इस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जब तक मान्यवर, पुराने नियमों में परिवर्तन नहीं होगा, कोई राहत मिल पाना सम्भव नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, आप क्या नियमों में परिवर्तन करने पर विचार करेंगे?

श्री बैजनाथ कुरील—

उसमें कोई दिक्कत नहीं है, विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
17 मार्च, 1982

पी0 एस0 यू0 पी0—27 वि0 सभा—17-8-83 (पी0 डी0)।
27 वि0 सभा—10